खण्ड-299, अंक-3
शुक्रवार, 6 श्रावण, शक संवत् 1894
(28 जुलाई, 1972 ई0)

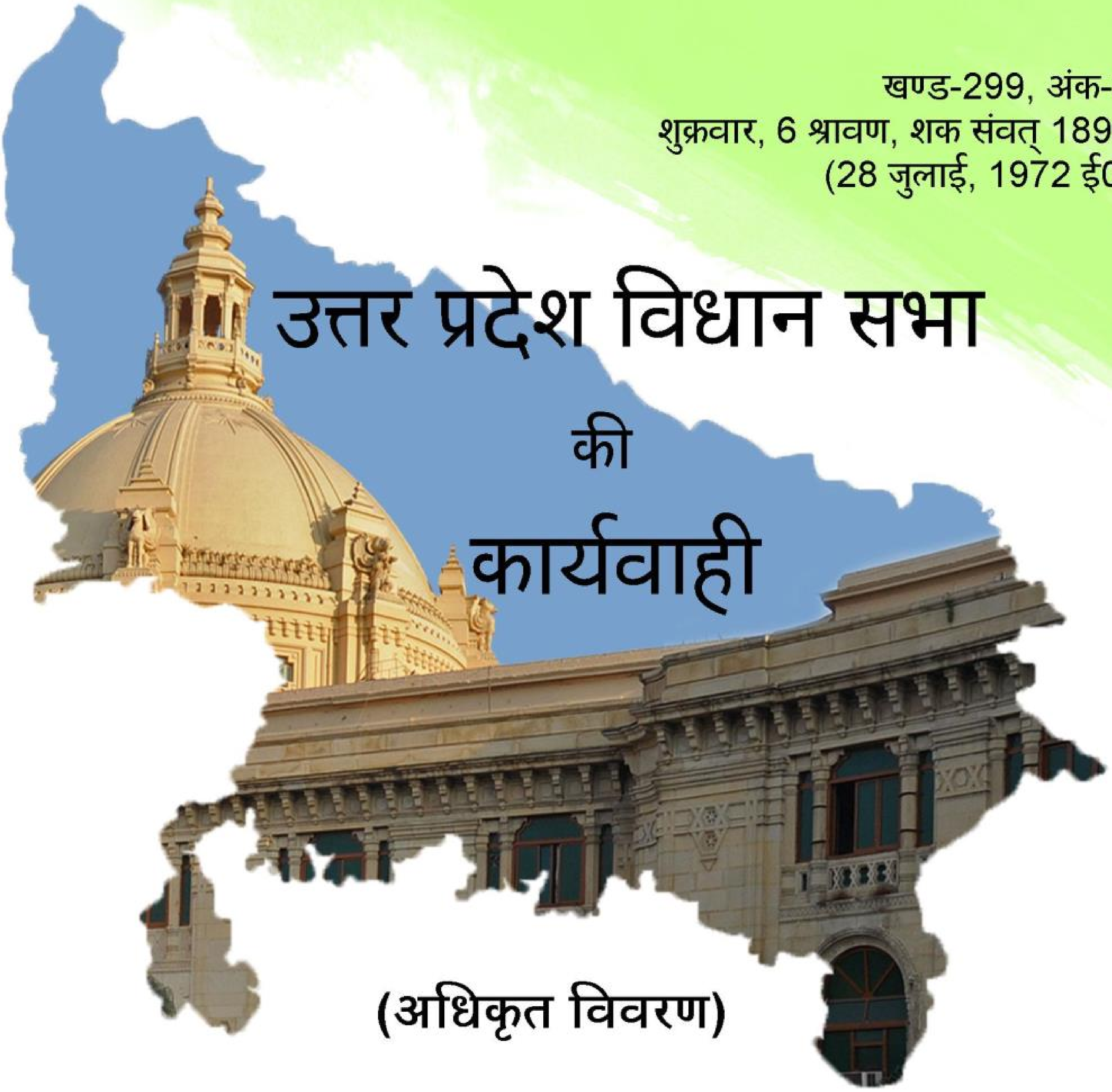

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 299 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार,28 जुलाई, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--379

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० फाइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी

गलाब सिंह, श्री,
गोपालदत्त ओझा श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण , श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, "कृष्ण" श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री

बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
ममूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महाबीर सिंह, चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वर दत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
पानवती देवी, श्रीमती
मुंशी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल संड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री

राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पांडेय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
राम लाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपित, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय पाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बक्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री

श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट ——सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं राज्य सूचना मंत्री श्री पुरुषोत्तमदास टंडन भी उपस्थित थे

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 28 जुलाई, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पुलिस बरिष्ठ अधिकारी, नैनीताल के विरुद्ध आरोप

** 1—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 मार्च, 1972 को श्री ओम प्रकाश शर्मा, एम0 एल0 सी0 तथा श्री मुंशी लाल एम0 एल0 ए0 ने संयुक्त रूप से गृह सचिवालय को पुलिस वरिष्ठ अधिकारी नैनीताल के विरुद्ध नियमों का पालन न करने तथा पक्षपात कर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने और अपराधों को छिपाने के सम्बन्ध में गम्भीर आरोप लगाये हैं? यदि हां, तो अब तक शासन ने उस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां। उक्त पत्र में उल्लिखित आरोपों पर जांच करके अपनी रिपोर्ट भेजने के लिये पुलिस महानिरीक्षक से कहा गया है। जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। मान्यवर, इसके संबंध में मैं एक बात निवेदन कर दूं कि अभी-अभी रिपोर्ट मिली है जिसमें यह है कि जो आरोप लगाये गये हैं, उनमें कोई खास तथ्य नहीं पाये गये।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, सुन नहीं पाया; उन आरोपों का क्या हुआ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, इन आरोपों की जांच डी0 आई0 जी0 हिल रेंज ने की और उन आरोपों में कोई खास तथ्य नहीं पाये गये।

एक सदस्य—

मान्यवर, मंत्री जी की बात अभी समझ में नहीं आई।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ये आरोप जो विशेष तौर से एस0 पी0 के विरुद्ध लगाये गये थे, उनकी जांच डी0 आई0 जी0 हिल रेंज ने की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एस0 पी0 की ख्याति अच्छी है आरोपों में कोई खास तथ्य नहीं है।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सदस्य विधान परिषद् और सदस्य विधान सभा, इन दोनों ने, यह मांग की थी कि पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष का तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया जाय और उसके बाद जांच करवाई जाय, तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति है?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, जो थानाध्यक्ष था, जिसके क्षेत्र में कत्ल हो गया था, उसका ट्रांसफर नहीं, उसको निलम्बित कर दिया गया। तो जहां कोई चीज पाई गयी, वहां ऐक्शन लिया गया।

श्री राम सिंह खन्ना---

क्या माननीय मंत्री जी इन आरोपों की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये, इन माननीय सदस्यों की मांग पर विचार करने के बाद किसी दूसरी एजेन्सी से इनकी तहकीकात करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, इस संबंध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच डी0 आई0 जी0, श्री चतुर्वदी, ने की है जो कि पहले डाइरेक्टर आफ विजिलेंस थे और जो एक महत्वपूर्ण और ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो इन माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये थे, वे आरोप क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, यदि आप कहें तो पढ़कर सुना दूं, कई आरोप हैं।

श्री अध्यक्ष---

जो मुख्य-मुख्य आरोप हैं, उनको बता दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, एक आरोप तो यह था कि थाना सितारगंज का जिसमें दिनांक 28-29 फरवरी, 1972 की रात गोली मार कर 11 व्यक्तियों को जिन्दा जला दिया गया।

दूसरा आरोप भी इसी सितारगंज थाने का है जिसमें पांच व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी और आरोप है कि एक पार्टी के हथियार जमा करा लिये गये और दूसरी पार्टी के हथियार नहीं जमा कराये।

नेक्स्ट आरोप भी इस प्रकार का है कि एक पार्टी की पुलिस फेवर कर रही है। एक आरोप है कि एक सब-इन्सपेक्टर, श्री नेगी को थानाध्यक्ष बना दिया गया।

इसी तरह से एक आरोप है कि एक एस0 पी0 के रीडर थे, उनको कहीं का चार्ज दे दिया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी इन आरोपों को गम्भीर मानते हुये जो पुलिस अधीक्षक के खिलाफ हैं.....

श्री अध्यक्ष---

अब इसके बारे में आप खुद राय बना सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने गम्भीर आरोप होने के बाद यह जो अधिकारी हैं इनको निलम्बित किया गया या नहीं और यह जो जांच हो रही है यह कब तक समाप्त हो जाएगी और क्या इसको शीघ्र समाप्त करने का आश्वासन देंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो कत्ल हुआ था उस सम्बन्ध में जो थानेदार दोषी था उसका केवल ट्रांसफर ही नहीं हुआ बल्कि उसका निलम्बन भी कर दिया गया। इससे एस0 पी0 का कोई सम्बन्ध नहीं था। मैंने कहा कि एस0 पी0 से सम्बन्धित सभी आरोपों की जांच की गयी और डी0 आई0 जी0 के अनुसार एस0 पी0 के विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनते हैं जिससे कि कोई कार्यवाही की जाय। उनकी ख्याति अच्छी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, जो आरोप एम0 एल0 सी0 और एम0 एल0 ए0 महोदय ने गृह सचिव को लिखित दिये थे उनमें नैनीताल जिले की भयंकर अपराध स्थिति और नाजायज हत्यारों की चर्चा भी थी और पिछली दफा मैंने भी एक प्रश्न इसी विषय में पूछा था कि 11 सदस्यों के एक परिवार को एक ही रात में गोली से उड़ा दिया गया और आग लगाकर उसके पशु रात में भस्म कर दिये गए और 3 अप्रैल, 1972 को दूसरे परिवार को इसी तरीके से गोली से उड़ा दिया गया। तो यह तो अपराध स्थिति है। क्या मंत्री जी को पता है कि उस हल्के के डी0 एस0 पी0 ने लिखा था कि यही स्थिति चलती रही तो स्थिति और खराब हो जाएगी। तो किस कारण से एस0 पी0 ने उस एस0 ओ0 का वहां से ट्रांसफर नहीं किया और स्थिति बिगड़ती चली गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया, उस थानेदार का ट्रांसफर कर दिया गया और उसका निलम्बन किया गया और अब भी सी0 आई0 डी0 और डी0 एस0 पी0 एन्टी-करप्शन कम्पलेन्ट्स उसकी जांच कर रहे हैं। मान्यवर, वर्मा जी के सूचनार्थ मैं बता देना चाहता हूं जो वहां हथियारों की रिकवरी की गयी। सन् 69 में 2 रायफलें रिकवर की गयीं थी और 71 में भी 2 की गयीं। 69 में 22 गन्स रिकवर की गयीं जब कि 71 में 48 की गयीं। 69–70 में कोई रिवाल्वर रिकवर नहीं की गयी थी जब कि 71 में 3 रिकवर की गयीं। 69 में 57 पिस्टल्स रिकवर की गयी थीं। और 71 में 116 रिकवर की गयीं। तो वहां की पुलिस सतर्कता से काम कर रही है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी एक स्पष्ट आरोप की तरफ ध्यान देंगे जिसमें यह कहा गया है कि आर0 डी0 राव और मुकामी पुलिस और एक सरदार सांगा ने मिल कर जो चाल चला है कि नसीम खां को सांगा ने कब्जे में कर लिया और राव लापता है जब कि 107/117 में पांच बार तारीख पड़ चुकी है और वारन्ट जारी हो चुका है, लेकिन पुलिस उसे हाजिर अदालत नहीं कर सकी, तो क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि आर0 डी0 राव कहां है, मार डाला गया या जिन्दा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह बड़ा विस्तृत प्रश्न है। इसको सूचना मान कर हम जांच करा लेंगे।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि सब इन्स्पेक्टर को निलम्बित कर दिया गया। तो क्या यह निलम्बन या तबादला एसेम्बली क्वैश्चन के बाद हुआ है या एस0 पी0 ने स्वयं अपने आप किया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जब शासन के नोटिस में आया है तभी ट्रांसफर हुआ है और कार्यवाही हुई है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, प्रश्न में नैनीताल के पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के सम्बन्ध में पूछा गया है और मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह पुलिस सब इन्सपेक्टर के मुताल्लिक है। आपने जो जवाब दिया है वह सब इन्सपेक्टर के खिलाफ उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आरोप तो बहुत से व्यक्तियों के खिलाफ है उनका निलम्बन और ट्रांसफर कर देने में क्या आपत्ति है जब तक कि इन्क्वायरी पूरी न हो जाय ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने अपने उत्तर में बताया कि वहां के थानेदार और एस० पी० के सम्बन्ध में भी डी० आई० जी० ने जांच की परन्तु कोई आरोप सिद्ध नहीं हुये।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

यह जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनका नाम क्या है और वे कितने दिनों से नैनीताल में हैं ? अगर उनके तीन वर्ष हो चुके हैं तो उनको वहां से हटाने में क्या आपत्ति है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इनका नाम आई० जी० नगी है और अभी उनको वहां 3 वर्ष नहीं हुये हैं।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

अभी मंत्री जी ने यह बताया कि इतनी बन्दूखें और रिवाल्वर आदि बरामद हुये हैं। क्या वे बन्दूकें चीनी थीं या और किसी देश की बनी थीं ? बाहर से बहुत सी बन्दूकें अनलाइसेंसड मंगवाई जा रही हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

माननीय सदस्य ने सूचना दी है। उसके खिलाफ भी जांच करवा लेंगे।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

ये बन्दूखें कहां की बनी थीं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा तो कि उसकी जांच करवा लेंगे।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह—

बाहर से बहुत सी विदेशी बन्दूकें आ रही हैं। इतनी सूचना तो मंत्री जी को होनी चाहिये कि वे बन्दूकें कहां की बनी हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राम सिंह खन्ना—

मेरी सूचना को सही मान कर क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यहां पर इस्लाम अहमद साहब आई० जी० थे वे मिसेस खान से फैमिली सर्कमस्टेन्सेस के कारण प्रीजुडिस्ड थे और इसमें इसी कारण से सही तथ्य नहीं आ सके। क्या इसको देखते हुये मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि वह किसी दूसरी एजेंसी से इसकी जांच करवावेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं किसी और एजन्सी से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक एम0 एल0 ए0 और एक एम0 एल0 सी0 ने लिखित रूप से दिया है। उन्होंने गम्भीर आरोप लगाये हैं। क्या मंत्री जी को जो रिपोर्ट मिली है उसको वह निष्पक्ष कह सकते हैं और ऐसा मानकर किसी और एजेन्सी से इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जांच की है और अब किसी और से इसकी जांच करवाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

श्री बलवीर सिंह—

जैसा कि कहा गया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप थे वे सिद्ध नहीं हुये हैं फिर किसी सब-इन्स्पेक्टर को किस प्रकार से हटाया गया और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने एस0 पी0 के सम्बन्ध में उत्तर दिया है कि उसके खिलाफ कोई आरोप सही नहीं पाये गये और सब-इन्स्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही हुई है।

श्री बलवीर सिंह—

आपका उत्तर था कि दोनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

जिन डी0 आई0 जी0 महोदय के बारे में कहा कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कोई सी0 आई0 डी0 या विजिलेंस की इन्क्वायरी चल रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिन दो आदमियों ने, एक एम0 एल0 सी0 और एक एम0 एल0 ए0 ने यह स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट दी थी क्या उनको भी मौके पर अपने एलीगेशन्स को सब्स्टैन्शियेट करने का मौका दिया था और दूसरे यह कि जिले के एस0 पी0 साहब कामयाब हुये या नाकामयाब, एक तो आपने बताया कि अनआथोराइज्ड लाइसेन्स पकड़ा और दूसरे मैंने बताया कि 11 सदस्य एक परिवार के सारे खत्म कर दिये गये 28–29 फरवरी को और 3 अप्रैल को एक और परिवार ढोडहा गांव में खत्म कर दिया गया, तो जब यह दोनों बातें आप खुद मान रहे हैं फिर यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि उस जिले में काम ठीक चल रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया जिस थानाध्यक्ष के क्षेत्र में ये कत्ल हुये उसको निलम्बित किया गया, उसके खिलाफ और जांच हो रही है। जहां तक एस0 पी0 का सम्बन्ध है, मैंने निवेदन किया कि उसके सम्बन्ध में आरोप सिद्ध नहीं हुये।

अधिशासी व सहायक अभियन्ता, वाराणसी के विरुद्ध आरोपों की जांच

**2—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि फरवरी, 1972 में मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग ने वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध

अनेक भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के आरोप जांच के बाद सही पाये और शासन को उनके स्थायीकरण व पदोन्नति न करने की सिफारिश की ? यदि हां, तो आरोप क्या-क्या थे, जांच किसने की और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

मुख्य अभियन्ता से इस संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वह शासन के विचाराधीन है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, जो जवाब दिया गया है उसमें है स्वायत्त शासन मंत्री श्री धर्मदत्त वैद्य । तो कौन स्वायत्त शासन मन्त्री हैं ? श्री बेनी सिंह अवस्थी या धर्मदत्त वैद्य ?

श्री अध्यक्ष—

पहले वह थे अब श्री बेनी सिंह हैं स्वायत्त शासन मन्त्री ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो रिपोर्ट विभाग ने शासन को भेजी है वह क्या है और उसमें इंजीनियरों के खिलाफ क्या चार्जेज लगाये गये हैं ?

श्री बेनी सिंह—

यह रिपोर्ट जांच की प्राइमरी रिपोर्ट है । मोटे तौर पर यह चार्जेज उनके खिलाफ थे (1) सप्तम शाखा वाराणसी में मेसर्स राज फ़ाउन्डरी, कानपुर से काफी बड़ी मात्रा में बहुत ऊंची दरों में विभिन्न प्रकार की सामग्री खरीदी गयी, (2) 16 जून से अप्रैल, 1970 तक 2.30 लाख की सामग्री के क्रय में 86,000 रुपये का अधिक भुगतान किया गया, (3) सामग्री आवश्यकता से अधिक खरीदी गयी और (4) ऐसी फर्म से सामग्री खरीदी गयी जो घटिया किस्म का माल बेचने के लिये प्रख्यात है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या जिन अभियन्ताओं के खिलाफ यह रिपोर्ट आयी है उनकी पदोन्नति भी कर दी गयी है या शासन के विचाराधीन है ?

श्री बेनी सिंह—

पदोन्नति नहीं की गयी ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिस प्रकार की गड़बड़ी प्रकाश में आयी है इस प्रकार की गड़बड़ियां और आगे न हो सकें इसके लिये शासन कौन सी व्यवस्था करने जा रहा है ?

श्री बेनी सिंह—

जहां-जहां रिपोर्ट मिलेगी सरकार उसकी इंक्वायरी करायेगी, जांच करायेगी और सजा देगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन अभियन्ता के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाई हुई ? इनका सस्पेंशन हुआ या नहीं, और इनकी जांच कौन कर रहा है ?

श्री बेनीसिंह—

मान्यवर, जाब्ते की कार्यवाई यह है कि जब रिपोर्ट मिली तो उस पर प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं, यह देखा गया। यह जांच हुई उसकी रिपोर्ट आ गई, उनके अधीक्षण अभियन्ता डिटेलवार उसकी जांच कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं और ज्यादा गहराई में जा रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा पूरा जवाब नहीं आया। सस्पेंशन हुआ या नहीं और जांच कौन कर रहा है? इसका जवाब भी यह दें?

श्री बेनीसिंह—

जैसा बताया अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी कर रहे हैं। सस्पेंशन अभी उनका इसलिये नहीं हो रहा है कि पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। यदि बिना पूरी जांच किये सस्पेंशन कर दिया जाय और बाद में वह केस सरकार न बना पाए, तो उसे सस्पेंशन पीरियड का भी बेकार में वेतन आदि देना पड़ता है। इसलिए उस की जांच आ जाए तो उस पर विचार किया जाए।

श्री बलबीर सिंह—

ये कौन-कौन अधिकारी हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं? क्या उनकी पदोन्नति का मसला सरकार के विचाराधीन है?

श्री बेनीसिंह—

अधिशासी अभियन्ता का नाम है श्री राजेन्द्र दयाल। पदोन्नति का जो मामला है वह जरूर शासन के विचाराधीन है और वह देख रहे हैं कि इसको करना चाहिए या नहीं।

श्री बलबीर सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो जांच आप करा रहे हैं वह जब तक कम्पलीट न हो जाए, तब तक उनकी पदोन्नति न की जाए?

श्री बेनी सिंह—

पदोन्नति रोकने के कायदे हैं, उसी के अनुसार रोका जा सकता है, यदि उसके अन्तर्गत हुआ तो जरूर रोका जाएगा।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस की जांच हो रही है, तो क्या वह बतायेंगे कि यह जो शिकायत है यह किसके माध्यम से प्राप्त हुई है और कौन इसकी जांच कर रहा है और उस जांच के दौरान उनको सस्पेंड करेंगे या नहीं?

श्री बेनीसिंह—

उस वक्त श्री ए0 के0 राय मुख्य अभियन्ता थे। उन्होंने जांच करके यह रिपोर्ट मंत्री जी के पास 22-2-72 को भेजी। उस पर बनारस के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेकर कार्यवाही करने के लिये कहा गया।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आरोप लगाये गये हैं उनको आरोप सिद्ध करने का पूरा-पूरा मौका दे रहे हैं या नहीं?

श्री बेनीसिंह—

मैंने पहले अर्ज किया कि उनका एक्सलेनेशन लिया जा रहा है और उनको पूरा-पूरा मौका मिल रहा है इसलिये कार्यवाही में देर हो रही है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो मुख्य अभियन्ता हैं और जिन्होंने यह जांच की है जिसका जिक्र है, दूसरे अभियन्ता से मनमुटाव है, कुछ ऐसा भी झगड़ा है बटवारे का ?

श्री बेनीसिंह—

शास्त्री जी के पड़ोस का मामला है बता सकें तो अच्छा है ।

श्री धर्मवीर—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सार्वजनिक सेवा नियमों के अन्तर्गत जिस अधिकारी के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत होती है और जांच शुरू होती है, अगर वह मुअत्तल नहीं होता तो अविलम्ब ट्रांस्फर कर दिया जाता है । क्या उसको ध्यान में रखते हुये उन अधिकारियों को अविलम्ब ट्रांस्फर करेंगे ताकि जांच निष्पक्ष हो सके ?

श्री बेनीसिंह—

ऐसा किया जा रहा है ।

श्री कृष्णस्वरूप वश्य (जिला बदायूं)—

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि प्रतिवेदन आने के बाद उपरोक्त अधिकारी को स्थायी किया गया और मुख्य अभियन्ता श्री राय के इस प्रतिवेदन में उन पर गम्भीर आरोप सिद्ध हुए हैं उनको निलम्बित नहीं किया गया ?

श्री बेनीसिंह—

उसको स्थायी तो अभी नहीं किया गया लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि जब तक इनक्वायरी करके आरोप सिद्ध न हो जाय तब तक किसी का स्थायित्व कानूनन नहीं रोका जा सकता है । लेकिन वह अभी तक स्थायी नहीं किया गया ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की भी जांच कराएंगे कि बनारस के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर और जो अन्य पदाधिकारी हैं उनकी वजह से पिछले साल बजट में जो भी मुगल-सराय वगैरह में ड्रेनेज का काम सौंपा गया था कुछ भी नहीं हो पाया, टेंडर्स भी इश्यू हुए, ऐक्सेप्ट भी हुए, साल भर से एक भी काम नहीं निकला, केवल इस बिना पर कि पारसाल जो बजट अलाटमेंट हुआ बनारस और मुगलसराय के एलेक्ट्रिसिटी विभाग के उन अधिकारियों ने बिलकुल पूरा नहीं किया पैसे के कारण या चाहे जो कारण हो, इसे दृष्टि में रखकर उन लोगों को सबको वहां से तब्दील कर देंगे ?

श्री बेनीसिंह—

यह तो हाइपाथेटिकल प्रश्न है कि ऐसा हुआ हो तो ऐसा कर दो । जो काम नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं तो सूचना दे रहा हूं कि जो स्कीम है वह पूरी नहीं हुई ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, हेड आफ दि डिपार्टमेंट के लिखने के बाद भी ट्रान्स्फर नहीं किया गया। क्या इसका कोई राजनीतिक कारण है ?

श्री बेनीसिंह—

मुख्य अभियन्ता से प्रारम्भिक जांच करायी गयी थी। उसकी विस्तार से जांच अब एस० ई० कर रहे हैं। जब उनकी पूरी रिपोर्ट आ जायेगी तो कार्यवाही की जायेगी। इसमें राजनीतिक कारण क्या है।

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जब कई प्रश्नकर्ताओं को संदेह पैदा हो गया है कि किसी मंत्री जी से सम्बद्ध वे इंजीनियर महोदय हैं और मुख्य अभियन्ता के कहने पर भी ट्रान्स्फर नहीं किया गया तो क्या सी० बी० आई० को इस मामले को देने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनीसिंह—

मैंने निवेदन किया कि जब पूरी जांच रिपोर्ट आ जायेगी तभी मुनासिब कार्यवाही की जायेगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगरपालिका बलिया के ग्रामों में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार ऐक्ट

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद में नगरपालिका के पूर्वांचल के कुछ ग्रामों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अप्रैल, सन् 1972 में किया गया है ? यदि हां, क्या सरकार को मालूम है कि जिन गांवों में जमींदारी उन्मूलन जब भूमि सुधार ऐक्ट लागू किया गया है उनमें अखार नगवां, जनाड़ी, सहरसपाली गांव ऐसे हैं जिनमें वर्तमान कानून के अन्तर्गत उन गांवों के कुछ हिस्से से भी जमींदारी प्रथा का खात्मा हो रहा है और बहुतांश हिस्से में इसलिये नहीं हो रहा है कि ये हिस्से कभी भी नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे हिस्सों में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार ऐक्ट, 1951 कब तक लागू होगा ?

राजस्व उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, शायद जब तक माननीय मन्त्री जी रहेंगे सूचना नहीं आ सकेगी। 5-5-72 को यह प्रश्न भेजा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि आपने सूचना मंगाने के लिये जिलाधीश बलिया को कब लिखा ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा लिखा गया। मुझे खेद है कि उसके बावजूद भी जवाब नहीं आया। चौधरी साहब की शिकायत सही है कि अब तक जवाब नहीं आया। वैसे मैं उनको बता दूं कि 19 गांव ऐसे थे जिनकी जमींदारी समाप्त नहीं हुई थी और उसका कारण यह था कि गांव बलिया नगरपालिका में शामिल थे। उसके बाद जब पता लगा

तो 16 गांव में पूरी तौर से और 3 उन गांव में जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया है आंशिक रूप से जमींदारी समाप्त 1970–71 में की गयी। कुछ अंश में रह गयी है। सूचना यह मांगी गयी है कि कितने हिस्से में रह गयी है और वह क्यों रह गयी है। जवाब न देने के लिये उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जवाब न देने के लिये क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने कहा तो कि स्पष्टीकरण मांगा है।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

बार-बार शासन द्वारा रिमाइंडर देने के उपरान्त भी जब जिलाधीश उत्तर नहीं दे रहे हैं तो रिमाइंडर के बाद जवाब न देने पर क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

रिमाइंडर के बाद भी इस बात का स्पष्टीकरण पूछा जाता है कि रिमाइंडर के बावजूद उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अध्यक्ष, जिला सहकारी संघ लिमिटेड, हल्द्वानी (नैनीताल) का पत्र

*1—श्री डूंगरसिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष नैनीताल, जिला सहकारी संघ लिमिटेड, हल्द्वानी का पत्रांक 936–डी0 सी0 एफ0 1971–72, दिनांक 25–2–72 उन्हें तथा निबन्धन सहकारी विभाग, उत्तर प्रदेश को 3 मार्च, 1972 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें पत्र अंकित समस्याओं के निराकरण के लिये शासन ने क्या कदम उठाये हैं ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जी हां।

उस पत्र में अंकित समस्यायें, जिला सहकारी संघ, हल्द्वानी तथा उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, लखनऊ के आपसी लेन-देन से सम्बन्धित हैं। अतः उक्त पत्र को उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को भेज दिया गया है जिस पर वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री डूंगरसिंह विष्ट—

नैनीताल जिला सहकारी संघ को कितना रुपया उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को देना है और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को लीसा उद्योग से कितना रुपया मिला है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

रुपये के अन्तिम लेन-देन के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन जैसा कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी ओर से कह रहे हैं उसके मुताबिक 2,50,264 रु0 35 पैसे प्रान्तीय सहकारी संघ को हल्द्वानी सहकारी संघ से लेना है और हल्द्वानी सहकारी संघ की अपनी ओर से यह मांग है कि 1,60,112 रु0 लीसा उद्योग के लाभांश का लेना है।

श्री डूंगरसिंह विष्ट--

हल्द्वानी सहकारी संघ ने जिस बैलेंसशीट का जिक्र किया है उत्तर प्रदेश सहकारी संघ तथा जिला सहकारी संघ हल्द्वानी ने 1969-70 की बैलेंसशीट के अनुसार जिस लाभांश की मांग की है क्या उसका हिसाब माननीय मंत्री जी ने अथवा निबन्धक ने देखने की कृपा की है और न वह हिसाब ठीक पाया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

इस प्रश्न का उत्तर गत सोमवार, 21 जुलाई, 1972 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में ब्योरेवार दिया जा चुका है जिसमें वर्षवार लाभांश का ब्योरा दिया गया था। इस समय जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है वह दोनों संघों ने लेन-देन के सम्बन्ध में दावा किया है उसके सम्बन्ध में है और उसे मैंने निवेदन कर दिया। इसके अतिरिक्त जो सूचना 26 जुलाई, को प्रान्तीय सरकारी संघ ने दी है उसके मुताबिक अब यह मामला लीसा उद्योग की एक उप समिति को सौंप दिया गया है जिसमें प्रान्तीय सहकारी संघ हल्द्वानी, सहकारी संघ तथा अल्मोड़ा सहकारी संघ का एक-एक प्रतिनिधि सदस्य होगा और ये तीनों मिलकर इस विवाद का फैसला करेंगे।

श्री डूंगरसिंह विष्ट--

तीनों संघों ने मिलकर 6 परसेंट ब्याज पर बैंक से लोन लेकर लीसा उद्योग को चलाया और अल्मोड़ा सहकारी संघ की उत्तर प्रदेश सहकारी संघ ने 1969-70 की बैलैन्सशीट के अनुसार डेढ़ लाख रुपया लाभांश का दे दिया है तो फिर नैनीताल सहकारी संघ को क्यों नहीं दिया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, ये तीनों सहकारी संघ लीसा उद्योग का संचालन कर रहे हैं और जब यह एग्रीमेंट हुआ तब तीनों सहकारी संघ की ओर से एक-एक प्रतिनिधि के द्वारा एक उप समिति के गठन का भी प्रबन्ध किया गया और जब कभी इन तीनों उद्योगों के बीच झगड़ा होगा तो यह उप समिति निर्णय करेगी। जहां तक अल्मोड़ा सहकारी संघ को लाभांश देने का प्रश्न है वह अल्मोड़ा सहकारी संघ और प्रान्तीय सहकारी संघ के बीच में एक फैसला हुआ और उसी के अनुसार उनको लाभांश दिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि एक प्रतिनिधि वे अल्मोड़ा संघ का और एक प्रतिनिधि हल्द्वानी संघ का उस उप-समिति में रखेंगे। क्या माननीय मंत्री जी को यह भी विदित है कि जिला टेहरी गढ़वाल सहकारी संघ, यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन को लीसा देता है तो क्या माननीय मंत्री जी इस टेहरी सहकारी संघ के प्रतिनिधि को भी शामिल करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, लीसा उद्योग के ऐग्रीमेंट में जिन 3 संघों के प्रतिनिधियों का उल्लेख किया गया है उन्हीं को इस उप-समिति में रखा गया है।

श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी--

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस उप-समिति में केवल अल्मोड़ा और नैनीताल के सहकारी संघ के प्रतिनिधियों को रखा गया है ? क्यों नहीं कोटद्वारा गढ़वाल के सहकारी संघ के प्रतिनिधियों को रखा गया है ? क्या उन्हें भी उसमें शामिल करने की आप कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, लीसा उद्योग विभिन्न जिला सहकारी संघ अपने आप चला रहे थे लेकिन अल्मोड़ा और नैनीताल के सहकारी संघों ने स्वयं चलाने में असमर्थता दिखाई और तब उन्होंने प्रान्तीय सहकारी संघ से सहयोग लिया और एक उद्योग मंडली गठित हुई। दूसरे किसी भी सहकारी संघ ने इसमें शामिल होने का प्रार्थना-पत्र नहीं दिया।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

मैं पुनः माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या उन्हें विदित है कि जिला टेहरी गढ़वाल सहकारी संघ के नाम पर उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन को लीसा दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन जो कि टेहरी गढ़वाल सहकारी संघ को लीसा नहीं देता है इसलिये वह बन्द पड़ा है? यदि हां, तो क्या टेहरी गढ़वाल सहकारी संघ को भी उसमें शामिल करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

यह कुछ अन्डरस्टैंडिंग की बात है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

यह एक्चुअली गलत है। मान्यवर, उनसे पूछा यह गया है कि उन्हें इस बात का ज्ञान है कि टेहरी गढ़वाल जिला सहकारी संघ के नाम पर भी आप लीसा देते हैं किन्तु आप उनको एलाट नहीं करते हैं? यदि ऐसी बात है, तो क्या आप इस पर पुनः विचार करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, लीसा का कोटा वन विभाग द्वारा एलाट किया जाता है और वे प्रान्तीय कोआपरेटिव संघ को लीसा देते हैं और प्रान्तीय कोआपरेटिव संघ द्वारा विभिन्न जिला सहकारी संघों को समय-समय पर कोटा एलाट होता है। इस तरीके से दिया जाता है।

[28 जुलाई, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा) के भूमि संरक्षण संबंधी प्रार्थना-पत्र

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत पट्टी तल्ला अट्ठागुल्ली ग्राम पनेर गांव के श्री वीर राम ने लखनऊ से दिनांक 27 नवम्बर, 1971 को एक आवेदन-पत्र उप अरण्यपाल, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत को अपने खेतों के भूमि संरक्षण के विषय में भेजा है? यदि हां, तो उस आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

वन उप मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)—

जी हां। जिला अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत, पट्टी तल्ला अट्ठागुल्ली ग्राम पनेर गांव के श्री वीर राम का दिनांक 27-1-1971 का एक प्रार्थन-पत्र उप अरण्यपाल, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत को उनके खेतों के भूमि संरक्षण के विषय में प्राप्त हुआ है। श्री वीर राम के खेतों का सर्वेक्षण कर लिया गया है। परन्तु उनमें अभी भूमि संरक्षण का कार्य नहीं किया गया है क्योंकि श्री वीर राम के खेतों के आसपास वाली भूमि पर भी भूस्खलन हुआ है और उन भूमि के कृषकों को भी उनके खेतों में भूमि संरक्षण का कार्य करवाने के लिये सहमति देने के लिए कहा जा रहा है। जब ये लोग सहमत हो जायेंगे तब श्री वीर राम के खेतों तथा अन्य आसपास के खेतों में भूमि संरक्षण का कार्य किया जा सकेगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बतलाया कि वे गांव के लोगों की सहमति से वहां भूमि संरक्षण का कार्य करवा रहे हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वन विभाग ने एक ऐसी नीति बना ली है कि जहां-जहां भी पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि स्खलन हो रहा है वहां वहां वे भूमि संरक्षण का कार्य करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो अन्य क्षेत्रों में यह कार्य कब किया जायेगा ?

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

जहां पर बंधे टूटे हैं वहीं पर यह कार्य अभी हो रहा है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जंगल बुरी तरह से कटते जा रहे हैं जिसके कारण लगातार भूमि का स्खलन हो रहा है और साथ ही साथ प्रति वर्ष जो अतिवृष्टि हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए वन विभाग कोई एसी योजना बनायगा जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्लान्टेशन किया जा सके और भूमि का संरक्षण किया जाय ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ऐसी योजना शासन के विचाराधीन है और योजना बनते ही उस पर शीघ्रही कार्य शुरू होगा ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो योजना आपके विचाराधीन है वह योजना कब तक कार्यान्वित हो जावेगी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

बहुत शीघ्र ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

जिस तरह से रानीखेत में भूमि संरक्षण के लिये एक वन प्रभाग कुमायूं डिवीजन का खोला गया है, चमोली-गढ़वाल में होने वाले भीषण भूमि कटाव को देखते हुये वहां भी एक डिवीजन इस तरह का खोलने के लिये सरकार तैयार है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

ऐसी योजना बनायी जायेगी ।

*2—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[10वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत उत्तरित]

सहायक निबन्धकों की नियुक्ति

*3—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थिति)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सितम्बर, 1970 में 50 सहायक निबन्धकों के पद की स्वीकृत सरकार द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो उनमें से कितने सहायक निबन्धकों को पदोन्नति करके नियुक्त किया गया और कितने स्थान अभी भी रिक्त हैं ? उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक करने के लिये सरकार सोच रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां । 50 सहायक निबन्धकों के पदों में से 12 पद 6 निरीक्षण वर्ग–1 की अभी हाल में की गई तदर्थ पदोन्नति द्वारा तथा 6 पहिले से पदोन्नति सहायक निबन्धकों द्वारा भरे जा चुके हैं और 38 पद अभी रिक्त हैं जिन्हें भरने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*4—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

हरिजन एवं समाज कल्याण समितियों का पुनर्गठन

*5—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण-कार्यों की उचित देखभाल हेतु समस्त जिलों में हरिजन एवं समाज कल्याण समितियों का पुनर्गठन किया गया है ? यदि हां, तो इस पुनर्गठन के लिये जो परिपत्र जिला इकाइयों को भेजा गया है उसकी प्रतिलिपि क्या है ?

श्री गुलाब सिंह—

जी हां । सम्बन्धित शासनादेश संख्या 2057/छब्बीस—943-65 दिनांक 10 जनवरी, 1972 एवं 5455/छब्बीस—943-65 दिनांक 26 जुलाई, 1972 की प्रतिलिपियां संलग्न हैं †।

*6—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन पुनर्गठन समितियों के उपाध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे ? यदि हां, तो इसमें हरिजन और पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत क्या होगा और सरकार ने अब तक किन-किन लोगों को किन-किन समितियों का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है और इसमें कौन-कौन व्यक्ति हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री गुलाब सिंह—

जी हां । उपाध्यक्षों के नामन के सम्बन्ध में हरिजन और पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व का कोई अनुपात निर्धारित नहीं है । अभी तक उपाध्यक्ष के पद पर किसी का नाम नहीं किया गया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जो शासनादेश है उसमें स्पष्ट है कि जिला हरिजन समिति की बैठक 2 महीने में एक बार अवश्य होगी और उसकी बैठक की सूचना शासन को भी प्राप्त होती है । तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस राज्य की कौन-कौन ऐसी जिला हरिजन समितियां हैं जिनसे शासन को सूचना मिली हो कि दो महीने में एक बार उनकी बैठक अवश्य हुई है ?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री त्रिलोक चन्द—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 1970 के आदेश के बावजूद अभी उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

श्री गुलाब सिंह—

श्रीमन्, आदेश 1970 का नहीं है, 1972 का है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यह जो हरिजन कल्याण समितियों का पुनर्गठन किया गया है उनमें जन प्रतिनिधि कौन-कौन लिये गये हैं और हरिजन तथा पिछड़ी जाति के प्रत्येक का प्रतिनिधित्व इनमें है या नहीं ?

समाजवादी दल की मान्यता तथा टेलीफोन की सुविधा समाप्त किये जाने पर आपत्ति

(उत्तर के लिए उपमन्त्री को पुकारे जाने के पूर्व ही श्री अनन्तराम जायसवाल खड़े हो गये।)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

हरिजन कल्याण समितियों से सम्बन्धित प्रश्न चल रहा है । इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसमें ही व्यवस्था का प्रश्न है । इसलिये कि आपने मनमाने ढंग से सारा काम किया है । ऐसे आदेश कर दिये हैं जो लागू नहीं होने चाहिये । जिनकी संख्या सात रही उनकी भी मान्यता रही है । आपके आदेश के खिलाफ हमने प्रतिवेदन भी किया ।

श्री अध्यक्ष—

यह वक्त नहीं है कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यही वक्त है ।

श्री अध्यक्ष—

जब प्रश्नों का समय समाप्त हो तब उठाइये, बीच में नहीं उठाइये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपके कहने से थोड़े ही हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

यह तय हो गया है कि संख्या 25 होनी चाहिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कभी नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष —

मैं आपको दिखा दूंगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आप कहां से दिखा देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

वर्मा जी का फैसला है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उन्होंने कर दिया होगा । लेकिन इस व्यवस्था पर अमल नहीं हुआ । उसी साल स्वतंत्र पार्टी की संख्या 14 थी ।

श्री अध्यक्ष---

इस वक्त यह प्रश्न नहीं आयेगा । मेरे कमरे में बात कर लीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आपके कमरे में क्या आयें ।

श्री अध्यक्ष---

अगर आपका कहना सही होगा तो आपका रिइंसटेट हो जायेगा ।

प्रश्नोत्तर [क्रमागत]

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि इन हरिजन कल्याण समितियों में जन प्रतिनिधि कौन-कौन लिये गये हैं और हर हरिजन और पिछड़ी जाति का इनमें प्रतिनिधित्व है या नहीं ?

श्री गुलाबसिंह---

मान्यवर, इस वक्त संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य और विधान परिषद् के सदस्य हैं और बाकी तीन सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होने हैं। उनको शीघ्र मनोनीत किया जायेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, जन प्रतिनिधियों का तो उत्तर आ गया कि संसद सदस्य, विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य होंगे । मेरे प्रश्न का दूसरा पार्ट यह था कि हरिजन और पिछड़ी जाति के सदस्यों का इसमें प्रतिनिधित्व है या नहीं ?

श्री गुलाबसिंह---

मान्यवर, इसमें यह लिखा है कि यदि क्रम संख्या 5 में जिले की विमुक्त जाति, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का कोई विधायक सदस्य न हो तो मनोनीत किया जायगा । इस के अनुसार मनोनीत किया जायगा, अभी किया नहीं है शीघ्र ही करने वाले हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

यह जो आप तीन आदमियों की मनोनीत करेंगे क्या वे सब हरिजन, पिछड़ी जाति और जन जातियों के ही प्रतिनिधि होंगे ? अथवा सवर्ण जातियों के भी प्रतिनिधि आप मनोनीत करेंगे ?

श्री गुलाबसिंह---

इसमें सभी प्रकार के लोग होंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आपने चूंकि अभी कहा है कि संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समिति के अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी होंगे या गैर सरकारी व्यक्ति होंगे ?

श्री गुलाब सिंह---

अभी समिति का गठन हुआ है उसमें जिलाधीश अध्यक्ष हैं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि सदन ने निश्चय किया था कि जो जिले की समितियां हैं उनके अध्यक्ष सरकारी जिलाधीश आदि न हों बल्कि गैर सरकारी व्यक्ति हों ताकि उनमें संसद सदस्य तथा विधान सभा सदस्य उपस्थित हो सकें, क्यों कि आप जानते हैं कि आगरे के मामले में माननीय सदस्यों की बड़ी अवहेलना हुई है। क्या इसको देखते हुये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर किसी गैर सरकारी आदमी को ही मनोनीत करने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री गुलाबसिंह---

इस पर शासन विचार कर रहा है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

जब भी मंत्री जी उपाध्यक्ष को मनोनीत करेंगे तो क्या वह इसका खयाल रखेंगे कि उसमें हरिजन और पिछड़ी जातियों का भी प्रतिनिधित्व हो ?

श्री गुलाबसिंह---

जरूर ध्यान रखेंगे ।

सरकार द्वारा बचीगौढ़ ट्रस्ट, नैनीताल का क्रय

*7---श्री डूंगरसिंह विष्ट---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल स्थित स्वर्गीय श्री बचीगौढ़ ट्रस्ट को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे जाने के विरोध में दिनांक 2 मार्च, 1972 को कोई प्रार्थना पत्र जनता की ओर से मिला ? यदि हां, तो शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

जी हां । इस आशय का दिनांक 2 मार्च, 1972 का एक पत्र प्रश्नकर्त्ता से प्राप्त हुआ था । फिलहाल भवन को क्रय करने का विचार स्थगित कर दिया गया है ।

श्री डूंगरसिंह विष्ट---

जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां पर प्रश्नकर्त्ता का ही प्रार्थना पत्र नहीं बल्कि इस ट्रस्ट के जो असली हकदार हैं उनका भी एफीडेविट पंहुचा है। तो क्या मंत्री जी इस संदर्भ में आश्वासन देंगे कि स्थगित करने के बजाय इसको समाप्त करने की कृपा करें ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह प्रश्न विचाराधीन है ।

बरेली तथा पीलीभीत जिला सहकारी बैंकों में गबन एवं अवक्रमण

*8—श्री सुरेन्द्रविक्रम सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को पता है कि बरेली और पीलीभीत की जिला सहकारी बैंकों में शत प्रतिशत गबन है जैसा कि पिछली आडिट रिपोर्ट है ? यदि हां, तो आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला सहकारी बैंक लि० बरेली व पीलीभीत की वर्ष 1970–71 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार उनमें कोई गबन नहीं है । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*9—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सहकारिता मंत्री को पता है कि डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग बरेली ने मार्च, 1971 से नवम्बर, 1971 तक 11 बार विभाग को व सरकार को बरेली व पीलीभीत की सहकारी बैंकों को सुपरसीड करने हेतु तत्काल कार्यवाही के लिये लिखा ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला सहकारी बैंक बरेली के सम्बन्ध में विभागीय निरीक्षणों, आडिट नोटों व अन्य जांचों के परिणाम स्वरूप प्रकाश में आई हुई अनियमितताओं व गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुये बैंक के संचालक मंडल के विरुद्ध आरोपों की सूची निबंधक को वैधानिक परामर्श के लिये दिनांक 12 अगस्त, 1971 को भेजी गई थी ।

इस सम्बन्ध में निबंधक महोदय ने परामर्श दिया कि नया चुनाव करके नया संचालक मंडल अभी 20 मार्च, 1971 को ही गठित किया गया है । अतः नये संचालक मंडल को निलम्बित करना ठीक न होगा और दोषी संचालकों के विरुद्ध सरचार्ज की कार्यवाही करना उचित होगा । इसी आशय के आदेश उप निबंधक, बरेली को दे दिये गये हैं ।

जिला सहकारी बैंक पीलीभीत को सुपरसीड करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और न कोई रिपोर्ट शासन अथवा निबंधक को भेजी गई ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी रजिस्ट्रार, बरेली, रेन्ज ने बरेली बैंक वाले मामले में क्या रिपोर्ट भेजी है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सहकारी बैंक के निबन्धक ने बरेली बैंक के आडिट से सम्बन्धित एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें गबन का कोई भी मामला नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यदि आप आज्ञा दें नियम 49 में तो मैं दर्शाऊंगा कि माननीय मंत्री जी के पास अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप लिखकर भेजिये ?

श्री सुरेन्द्रविक्रम---

आप स्वीकार करते हैं तो मैं नियम 49 में दे दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन---

अगर गबन का कोई मामला नहीं है तो आप को उन बैंक वालों को पुरस्कृत करना चाहिये।

*10--श्री रामगोपाल संड---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*11---श्री रामगोपाल संड---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

यमुना फारेस्ट डिवीजन, देहरादून में लीसा का ठेका

*12---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यमुना फारेस्ट डिवीजन देहरादून में कितने निजी ठेकेदारों को रायल्टी पर लीसा निकालने को दिया गया है और उनसे सन् 1971 में 66 रुपया प्रति मन पर एग्रीमेंट के अनुसार कितने क्विंटल लीसा लिया गया है ?

वन मंत्री (श्री अजीतप्रताप सिंह)---

यमुना फारेस्ट डिवीजन में 18 ठेकेदारों को रायल्टी पर लीसा निकालने के लिये लीसा घावों को सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचा गया है तथा उनसे सन् 1971 में 66 रुपया प्रति क्विंटल की दर से एग्रीमेंट के अनुसार 19,380 क्विंटल 67 किलोग्राम लीसा लिया गया है ।

लालकुवां, नैनीताल में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे

*13---श्री डूंगरसिंह विष्ट---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिरंजीत शर्मा की दिनांक 3 जुलाई, 1970 को शिकायत पर जिला अधिकारी नैनीताल ने अपने पत्रांक 12406/11-49(69-70) दिनांक 24 जुलाई, 1970 के द्वारा जिन व्यक्तियों ने जिला नैनीताल के लाल कुंवा जगह में सरकारी भूमि में बड़े पैमाने पर गलत कब्जा कर लिया है उनसे सरकारी कार्यवाही द्वारा शीघ्र कब्जा छुड़वाने का आश्वासन दिया,तो क्या नाजायज कब्जेदारोंसे कब्जा छुड़ा लिया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

सरकारी भूमि से अनधिकृत काबिजों को हटाने के लिये बनाये गये अधिनियम के बार-बार उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किये जाने के कारण श्री चिरंजीत शर्मा के शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद भी अनधिकृत काबिजों को अभी तक लाल कुंवा क्षेत्र की सरकारी भूमि से नहीं हटाया जा सका है ।

बलिया के बाढ़ क्षेत्र में वितरित भूसा

*14---श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर) तथा श्री मुन्शी लाल चमार (जिला मैनपुरी)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत बाढ़ में बलिया जनपद के किन किन गांवों में कितना-कितना भूसा वितरित हुआ और विभिन्न गांवों में बेचे गये भूसे का निर्धारित मूल्य क्या था और किस भाव में बेचा गया ?

नोटः---तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

227 गांवों में भूसा बेंचा गया। सूची लम्बी† होने के कारण सचिव विधान सभा के कार्यालय में माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ रख दी गई है। सूची में बेंचे गये भूसे की मात्रा तथा बेंचने की निर्धारित मूल्य भी प्रत्येक गांव के सामने अंकित है।

चकबन्दी स्टाफ सम्बन्धी भार्गव कमीशन की सिफारिशें

*15—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1967 में चकबन्दी में कार्य कर रहे सी०ओ०, ए० सी० ओ० चकबन्दी कर्ता एवं लेखा लेखापालों के एब्जारवेशन हेतु भार्गव कमीशन की नियुक्ति हुई थी, उस की क्या मुख्य-मुख्य सिफारिश थीं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

वर्ष 1966 में चकबन्दी स्टाफ एब्जारवेशन कमेटी का गठन किया गया था जिसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीः—

(1) चकबन्दी अधिकारी रेक्टेन्गुलेशन अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी तथा अन्य जो इस श्रेणी में आते हैं उनके लिये तहसीलदार के रिक्त पदों का 20 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जावे।

(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा अन्य जो इस श्रेणी में आते हैं उनको नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों पर 25 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जाये।

(3) चकबन्दी कर्ता तथा अन्य जो इस श्रेणी में आते हैं, के लिये कानूनगों के सीधी नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जाये।

(4) चकबन्दी लेखपालों के लिये लेखपालों की नियुक्ति में 66 2/3 प्रतिशत आरक्षण किया जाये।

(2) समिति की सिफारिशों पर नवम्बर 1967 में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तहसीलदारों के पद पर 33 1/3 प्रतिशत पद चकबन्दी अधिकारी तथा समकक्ष अधिकारियों के लिये आरक्षित कर दिया जाये और ऐसा ही नायब तहसीलदार पद पर आरक्षण सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा समकक्ष अधिकारियों के लिये किया जाये। उपर्युक्त श्रेणी तीन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि कानूनगों की सीधी नियुक्ति बन्द कर दी जाये और जो जगहें हैं उनमें से 50 प्रतिशत कन्सालिडेटर्स आदि से भरी जावे और बाकी रेगुलर लेखपालों से भरी जावे। रेगुलर लेखपालों की उपलब्ध जगहों का 75 प्रतिशत चकबन्दी लेखपालों से भरा जाने का निर्णय लिया गया।

(3) चकबन्दी अधिकारी तथा समकक्ष अधिकारियों एवं सहायक चकबन्दी अधिकारियों तथा समकक्ष अधिकारियों के क्रमशः तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के पद पर 33 1/3 प्रतिशत आरक्षण के शासन के प्रस्ताव को लोक सेवा आयोग ने नहीं माना। पुनः संशोधित प्रस्ताव रखा गया जिसे भी लोक सेवा आयोग ने नहीं माना।

(4) कानूनगो के संवर्ग में रिक्त स्थानों में से एक तिहाई चकबन्दीकर्ता व उसके समकक्ष पदों के लिये आरक्षित कर दिये गये हैं व लेखपालों में इस प्रकार 50 प्रतिशत रिक्त स्थान चकबन्दी लेखपालों में से लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

†छापी नहीं गयी।

सीसपुर (कानपुर) की भूमि पर दोषपूर्ण कब्जा एवं लेखपाल तथा नायब तहसीलदार के विरुद्ध आरोपों की जांच

*16—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि गांव सभा सीसूपुर परगना कानपुर की कितने बीघे भूमि पर कितने वर्षों से कितने व्यक्तियों ने दोषपूर्ण अध्यासन किया हुआ है । और उन्हें बेदखल करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अब तक गांव सभा सीसूपुर की 27 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर 29 व्यक्तियों द्वारा दोषपूर्ण अध्यासन किया गया । इसमें से 21 व्यक्तियों को बेदखल करके 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि छुड़ा ली गई है । शेष आठ व्यक्तियों का वर्ष 1378 फसल से 1 बीघा 9 बिस्वा पर अनधिकृत कब्जा है जिसके लिये बेदखली की कार्यवाही दिनांक 24 अप्रल, 1972 को प्रारम्भ की गई थी ।

*17—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलावेंगे कि माह सितम्बर, 1971 में उन्होंने जो भूमि प्रबन्धक समिति बरईगढ़, तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर के सदस्य क्या अध्यक्ष के द्वारा लेखपाल व नायब तहसीलदार के विरुद्ध दिये प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी कानपुर को जांच करके पैरावाइज कमेंट्स भेजने के आदेश दिये थे ? उस जांच के क्या परिणाम रहे और दोषी लेखपाल तथा नायब तहसीलदार के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां । जांच के फलस्वरूप यद्यपि यह संकेत मिलता है कि गांव सभा बरईगढ़ की भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक दिनांक 6 जुलाई, 1970 में किया गया भूमि का आवंटन नियमित नहीं था तथापि यह स्पष्ट न होने के कारण कि भूमि का आवंटन किस आधार पर किया गया था और यदि मनमाने ढंग से किया गया था तो उसके लिये कौन व्यक्ति दोषी है, शासन द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका । जिलाधिकारी से पुनः पूंछ तांछ की गई है और पूर्ण व स्पष्ट सूचना प्राप्त होने पर यदि कोई सरकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

पाक युद्ध में हताहत देहरादून के परिवारों की सहायता

*18—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून जिले में 1971 के पाक युद्ध में कितने जवान एवं अधिकारी शहीद हुए, अपंग हुये अथवा खोये हुए हैं ? सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिये अभी तक क्या किया ? क्या सरकार को यह शिकायत मिली है कि देहरादून में शहीद व अपंग परिवारों को सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता भी पूरी नहीं मिली ? यदि हां, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

1971 के पाकिस्तान युद्ध में देहरादून जिले के 40 जवान एवं अधिकारियों के शहीद तथा 4 के खोये जाने की सूचना अब तक शासन को प्राप्त हुई है। इनके आश्रितों को दी गई सहायता की सूची संलग्न है। अब तक किसी सैनिक के स्थायी रूप से अपंग होने की सूचना शासन को नहीं है।

देहरादून जिले के किसी शहीद या अपंग परिवार की कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 475 पर ।)

यू० पी० स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें

*19—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि बहुत से विधायकों द्वारा यू0पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतों पर मंत्री जी ने अध्यक्ष को हटाने का निर्णय लिया था परन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। यदि हां, तो कृपया कारण बताने की कृपा करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

यू0पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतों पर जांच के प्रश्न पर कानूनी दृष्टि से विचार हो रहा है और यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

कोआपरेटिव सोसाइटी, नगला राई (मुजफ्फरनगर) के खंजाची व सेक्रेटरी पर आरोप

*20—श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या सरकार को मालूम है कि कोआपरेटिव सोसायटी नगला राई ब्लाक कैराना, जिला मुजफ्फरनगर के खजांची व सेक्रेटरी ने सोसायटी के लाखों रुपये को फर्जी कर्जी के तौर पर रक्खा है और सोसायटी के कागजात को अधिकारियों को नहीं दिखाया जा रहा है । यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में कोई आवश्यक कदम उठायेगी जिससे कि सोसायटी के कर्जे का रुपया तुरन्त वसूल हो जाय और आइंदा ऐसे लोगों के नाम कर्जा गोलमाल तरीके से जारी न किया जा सके ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

यह सही नहीं है कि कोआपरेटिव सोसाइटी नगला राई ब्लाक कैराना के खजांची व सेक्रेटरी ने लाखों रुपये फर्जी कर्जे के तौर पर दे रखे हैं । यह भी सही नहीं है कि समिति के कागजात अधिकारियों को नहीं दिखाये जा रहे हैं ।

मेरठ सहकारी बैंक के प्रशासक की पुर्नानियुक्ति

*21—श्री मंजूर अहमद, श्री ईश्वर दयाल त्यागी तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ सहकारी बैंक के वर्तमान प्रशासक को उनके भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के कारण उन्हें पहिली दिसम्बर, 1971 में इस पद से हटा दिया गया था और फिर फरवरी, 1972 ई0 में दुबारा उसी प्रशासक को बैंक में नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला सहकारी बैंक मेरठ के तात्कालीन प्रशासक को जो जिले के सहायक निबन्धक भी थे, दिसम्बर, 1971 में प्रशासनिक दृष्टि से बैंक के कार्य से अवमुक्त किया गया था । बैंक के प्रशासक के पद पर नव नियुक्त अधिकारी का भी माह फरवरी, 1972 में स्थानान्तरण पदोन्नति पर हो गया । अतः उप निबन्धक मेरठ ने, जो प्रशासक की नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी हैं, जिले के सहायक निबन्धक को पुनः जिला सहकारी बैंक का प्रशासक नियुक्त कर दिया ।

परन्तु जब उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण निबन्धक सहायक समिति के दिनांक 11-7-72 के आदेश से फतेहपुर को सहायक निबन्धक के पद पर हो गया है।

*22—श्री संजूर अहमद तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[9वें शुक्रवार में प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*23-24—श्री अवधेश कुमार—

[12वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 65-66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद के बाढ़ क्षेत्र में गृह निर्माणार्थ ऋण

*25—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने जो आठ लाख रुपया फैजाबाद के जनपद के लिये बाढ पीड़ितों के गृह निर्माण के ऋण का आवंटन किया था उसका वितरण आज तक जिला के प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

19 फरवरी, 1972 को दो लाख रुपया और 15 मार्च, 1972 को छः लाख रुपया आवंटित हुआ था किन्तु कतिपय प्रशासनिक कारणों से तथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक ऋण देने की सारी औपचारिकतायें पूरी न होने के कारण वित्तीय वर्ष 1971-72 में आवंटित धनराशि वितरित न की जा सकी और 30 मार्च को शासन को समर्पित कर दी गई। चालू वित्तीय वर्ष 1972-73 में फैजाबाद जिले को फिर से पीड़ितों के मध्य वितरण हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित करने के लिये शासन के आदेश भेज दिये गये हैं।

जिलाधिकारी से कहा गया है कि वे जांच करके बतायें कि किस अधिकारी की लापरवाही से समय के भीतर विशेष ऋण योजना का रुपया नहीं वितरित किया जा सका।

सहकारी विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध आवेदन-पत्र

*26—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती रजिस्टर्ड पत्र फैजाबाद स्थित विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 17 फरवरी, 1972 निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही व प्रगति हुई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां। विस्तृत जांच के उपरान्त शिकायतें निराधार पाई गई हैं।

जिला सहकारी बैंक, झांसी के संचालक मण्डल का चुनाव

*27—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, झांसी के संचालक मंडल का चुनाव कितने वर्ष पूर्व हुआ था और नियमानुसार चुनाव समय पर न करा सकने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त चुनाव कब तक हो जायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला सहकारी बैंक लि० झांसी के संचालक मंडल का पिछली बार चुनाव 30-6-67 को हुआ था। नियमानुसार चुनाव समय पर न करा सकने का कारण सामान्य निकाय की बैठक का समय से न होना है। इसका प्रमुख कारण एक सदस्य समिति के एक सदस्य की रिट याचिका पर माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी किये गये स्थगन आदेश रहा है। अब 23-4-72 को बैंक की साधारण सामान्य निकाय की बैठक सम्पन्न हो गई है जिसमें संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र स्वीकृत हो गये हैं और अब यह आशा की जाती है कि संचालक मंडल का चुनाव 31 जुलाई, 1972 तक सम्पन्न हो जावेगा।

आजमगढ़ की फर्जी सहकारी समितियां

*28—श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर ब्लाक, जिला आजमगढ़, ग्राम मक्खापुर खैरुद्दीनपुर व हथिनौरा ग्राम के सहकारी समिति फरजी बनाई गयी हैं। यदि हां, तो उक्त समिति को किस सुपरवाइजर ने बनाया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

फूलपुर ब्लाक जनपद आजमगढ़ के मक्खापुर हथनौरा साधन समिति वैधानिक ढंग से गठित हुई हैं। उक्त समिति श्री गिरधारी राम सुपरवाइजर के कार्यकाल में निबन्धित हुई है।

आजमगढ़ के बाढ़ क्षेत्र में आर्थिक सहायता एवं भूसे का वितरण

*29—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार इस बात की जानकारी कराने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़, तहसील घोसी के अन्तर्गत गत वर्ष 1971 में घाघरा नदी के भीषण बाढ़ के प्रकोप से क्षति ग्रस्त किन-किन गांवों में किन-किन किसानों के मकान ध्वस्त हो गये और उन गृहविहीन लोगों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई तथा पशुओं के चारा हेतु भूसा किन-किन गांवों में कितने क्विंटल वितरित किया गया ?

श्री उचित नारायण शर्मा

कुल 24 ग्रामों के 918 व्यक्तियों के मकानों को क्षति पहुंची। उन्हें 31,100 रु० गृह निर्माण अनुदान के रूप में सहायता दी गयी। पीड़ित व्यक्तियों की सूची सचिव, विधान सभा के कार्यालय में अवलोकनार्थ रख दी गई है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रदत्त सहायता का विवरण भी दिया गया है। 12 ग्रामों में 157 क्विंटल भूसा वितरित किया गया जिसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 477 पर)

गोरखपुर के बाढ़ क्षेत्र में वितरित आर्थिक सहायता

*30—श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 1971 की बाढ़ से हुई क्षति के लिये जिला गोरखपुर को कितनी आर्थिक सहायता दी गई थी और उसमें से विधान सभा क्षेत्र बुरियापार को कुल कितनी सहायता मिली थी?

श्री उचितनारायण शर्मा—

सन् 1971 की बाढ़ से क्षति के कारण गोरखपुर जिले को और उसमें से बुरियापार विधान सभा क्षेत्र को दी गई सहायता का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 478 पर)

*31—श्री रामपति—

क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष की बाढ़ सहायता की धनराशि इस वर्ष नसबन्दी अभियान में खर्च की जारही है। यदि हां, तो कुल कितना रुपया इस प्रकार खर्च किया जा रहा है और क्यों ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

बाढ़ सहायता की धनराशि नसबन्दी अभियान में नहीं खर्च की गई । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

तहसील मेजा (इलाहाबाद) की चाइल्ड वेलफेयर एवं सोशल वेलफेयर योजना

*32—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद, तहसील मेजा से केंद्रीय सरकार द्वारा चाइल्ड वेलफेयर और सोशल वेलफेयर योजना चलाने का निर्णय किया है तो उस पर कब तक कार्यवाही हो जायेगी?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (बेगम हमीदा हबीबुल्ला)—

केंद्रीय सरकार द्वारा प्रश्नगत तहसील में उक्त योजना चलाये जाने के बार में कोई सूचना शासन को नहीं है।

कानपुर की सघन सहकारी समितियों का आडिट

*33—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

कानपुर जिले की ऐसी कितनी और कौन-कौन सघन सहकारी समितियां हैं जिनका आडिट दो या दो से अधिक वर्षों से नहीं हुआ है क्या सरकार ऐसी सघन सहकारी समितियों का वितरण और उनका आडिट न होने की अवधि सेसदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ? क्या सरकार यह कारण भी बतायेगी कि यह आडिट क्यों नहीं कराया जा सका ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

कानपुर जनपद में बिल्डापुर, जगदीशपुर, चौकी कछगांव पनियामऊ, सिहारी, गौरी हसन पुर सरायछीतम सानी खेड़ा शेरपुर बैरा, जुरिया और रसवलरावत बराह साधन सहकारी समितियां हैं जिनका आडिट 2 या 2 से अधिक वर्षों से नहीं हुआ है । इन साधन समितियों का आडिट वर्ष 1967–68 से नहीं हुआ । 2 समितियों के रिकार्ड पुलिस/न्यायालय के संरक्षण में होने के कारण तथा शेष दस समितियों के रिकार्ड से संबंधित बस्ते उपलब्ध न होने के कारण उनका आडिट नहीं हो सका ।

*34—श्री सूबेदारसिंह—

क्या सरकार यह बतावेगी कि कानपुर जिले की ऐसी कौन सी सहकारी समितियां है जहां पर गत 1 मर्च, 1965 से 22 मार्च, 1972 तक गबन एवं अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं ? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण इस संबंध में की गई कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

कानपुर जनपद में 1–3–1965 से 22–3–72 तक 71 सहकारी समितियों में गबन एवं अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं । इनकी सूची संलग्न है । इस संबंध में की गई कार्यवाही का समितिवार विवरण उपरोक्त सूची में दर्शाया गया है ।

[देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 479 पर]

मुरादाबाद होलसेल सेन्ट्रल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि0 का कार्य

*35—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेंद्र बिहारी लाल सहायक निबन्धक कोआपरेटिव सोसाइटी यू० पी०, मुरादाबाद की रिपोर्ट माह मई, 1968 और श्री पी० दत्त एडिशनल रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज लखनऊ की रिपोर्ट दिनांक 22 जून, 1968, जो दोनों कि मुरादाबाद होलसेल सेंट्रल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड मुरादाबाद के कार्य की बाबत में क्या कार्यवाहियां की गई और किन-किन से स्टोर का रुपया वसूल किया गया और किन लोगों को सजायें दिलाई गई? यदिनहीं, तो क्यों और आइन्दा कब तक ऐसा होगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मुरादाबाद होलसेल सेंट्रल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि0, मुरादाबाद की कार्य विधि के विरुद्ध श्री महेंद्र बिहारी लाल तत्कालीन सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की जून, 1968(न कि मई, 1968) की रिपोर्ट तथा श्री पी0 दत्त तत्कालीन अतिरिक्त निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश लखनऊ की दिनांक 22 जून, 1968 की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भंडार का संचालक मंडल निलम्बित कर दिया गया था और संचालक मंडल पर, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत अधिभार स्थापित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। अधिभार का दायित्व स्थापित हो जाने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

तहसीलदार कैसरगंज (बहराइच) द्वारा तकावी का धन वितरण न करना

*36—श्रीअमरनाथ जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या दिनांक 4 अप्रैल, 1972 को प्रश्नकर्ता को चिट्ठी के साथ उन्हें जयराज सिंह, अध्यक्ष सोशलिस्ट पार्टी कैसरगंज जिला बहराइच का इस आशय का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है कि तहसीलदार कैसरगंज ने विभिन्न प्रकार की तकावी के लिये सरकार से प्राप्त धन को बाढ़ पीड़ित लोगों में वितरण न करके 1,66,940 रु0 सरकार को लौटा दिया है। यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त धन को बाढ़ पीड़ितों में तकावी के रूप में बंटवाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्री डबितनारायण शर्मा—

जी हां, प्राप्त हुआ था। कैसरगंज तहसील को तकावी वितरण हेतु आवंटित कुल धनराशि 8,81,000 रु0 में से 6,29,410 रु0 31 मार्च, 1972 तक वितरित कर दिया गया था और 2,51,590 रु0 शासन को समर्पित किया गया था। चालू वर्ष (1972–73) में फिर से बहराइच जिले को 45,000 रु0 पीड़ितों में तकावी वितरण हेतु आवंटित किया गया है।

आजमगढ़ में बाढ़ से क्षति ग्रस्त मकानों के निर्माणार्थ ऋण

*37—श्री रामबचन यादव, श्री श्यामलाल कनौजिया, श्री लालसा तथा श्री बलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को विदित है कि जनपद आजमगढ़ के नगर क्षेत्र में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने के लिये भारी रकम का ऋण दिया गया है? यदि हां, तो वह किन-किन लोगों को दिया गया और उनमें कितने लोगों की आमदनी 1,000 रु0 ताकाना से कम है?

श्री उचित नारायण शर्मा—

जी हां, जनपद आजमगढ़ में संलग्न सूची के 47 व्यक्तियों को ऋण दिया गया । उनमें से किसी की आमदनी 1,000 रु0 सालाना से कम नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 482 पर)

मुस्लिम कालोनी, देहरादून की मस्जिद का निर्माण

*38—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मंत्री को विदित है किसन् 1969-1970 में देहरादून से मुस्लिम का लोन में एकमस्जिद के निर्माण को शासन द्वारा इस कारण रोक कर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया कि निर्माण अवैधानिक था और उससे साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था ? क्या निर्माण की अनुमति दे दी गई है। यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री उचितनारायण शर्मा—

मस्जिद का निर्माण अनधिकृत था इस कारण रोक दिया गया और पुलिस बिठा दी गयी थी ताकि निर्माण का पुनः प्रयास न हो । साम्प्रदायिक तनाव नहीं उत्पन्न हुआ । अब निर्माण की अनुमति कतिपय शरतों के साथ दे दी गयी है । कालोनी में मस्जिद की आवश्यकता समझी जाती है और उनके निर्माण में किसी को युक्तिसंगत आपत्ति नहीं है ।

*39—श्री रामनिहोर राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उसी कालोनी के 11 मुसलमान नागरिकों ने उक्त अवधि में जिला अधिकारी को एक प्रार्थना-पत्र देकर यह अनुरोध किया था कि इस मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाई जाय?

श्री उचितनारायण शर्मा—

जी नहीं ।

अमरपुर कोडला, अलीगढ़ में सैनिकों के मकान हेतु भूमि का वितरण

*40—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की ग्राम समाज अमरपुर कोडला में सैनिकों को मकान हेतु भूमि देने के लिये मार्च, वर्ष 1968 में परगनाधिकारी कोल द्वारा आदेश हुये थे । यदि हां, तो उन आदेशों का पालन हुआ या नहीं ? यदि नहीं तो उन आदेशों के न पालन करने का कौन-कौन दोषी है और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उचितनारायण शर्मा—

जी नहीं । जांच से मालूम हुआ कि जिला कार्यालय में ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि परगनाधिकारी कोल द्वारा मार्च, 1968 में कोई ऐसा आदेश पारित किया गया हो कि गांव सभा अमरपुर कोडला में किसी सैनिक को कोई भूमि मकान बनाने के लिये दी जाय । अतः अन्य बातों का प्रश्न नही उठाता ।

*41—श्री नेतरामसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1968-69, 1969-70, और 1970-71 में किन-किन व्यक्तियों को ग्राम समाज अमरपुर कोडला तहसील कोल के आबादी में मकान हेतु भूमि दी है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

वर्ष 1968-69 में 45 व्यक्तियों को (सूची) आबादी भूमि आवंटित की गई थी परन्तु नियमानुकूल न होने के कारण उक्त कार्यवाही को अवैध घोषित करने हेतु मामला न्यायालय के विचाराधीन है। 1969-70 तथा 1970-71 में किसी को आबादी भूमि नहीं दी गई।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 484 पर।)

प्रतापगढ़ में टेस्ट वर्क के अन्तर्गत सड़कों, बांधों एवं नालों के निर्माण की स्वीकृति

*42--श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत टेस्ट वर्क के तहत हाल में कितनी सड़कों, कितने बांधों एवं कितने नालों का निर्माण कार्य एवं खुदाई कार्य होना स्वीकृत हुआ है और कार्यारम्भ कहां-कहां हो चुका है और कहां-कहां होना शेष है? क्या सरकार स्वीकृत कार्यों में विशेष प्रगति लाने का आदेश देगी?

श्री उदितनारायण शर्मा--

प्रतापगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 1971-72 में टेस्ट वर्क के अन्तर्गत किसी भी बांध एवं नालों का निर्माण कार्य नहीं लिया गया। टेस्ट वर्क के अन्तर्गत केवल 11 सड़कें ली गईं। इन पर 21-2-72 से 31-3-72 तक विभिन्न तिथियों में कार्य शुरू हुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस जिले में टेस्ट वर्क आरम्भ करने की आवश्यकता नहीं हुई, अतः अन्य बातें नहीं उठतीं।

बरेली में सघन सहकारी बैंकों के गबन संबंधी मुकदमें

*43--श्री शफीक अहमद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जनपद में 31 मार्च, सन् 1972 तक जिला सहकारी बैंक और यू० पी० कोआपरेटिव सहकारी बैंक के द्वारा दिया गया सघन सहकारी बैंकों के ऋण पर ब्लाकवार गबन के कितने मुकदमें चल रहे हैं और इन सबकी जिलेवार धनराशि कितनी है और जो मुकदमें चल रहे हैं उनके अलावा तफतीस (पुलिस) में कितने हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

बरेली जनपद में 31-3-72 तक उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक शाखा बरेली एवं जिला सहकारी बैंक बरेली द्वारा साधन सहकारी समितियों को दिये गये ऋण पर कोई गबन का मुकदमा अदालत में नहीं चल रहा है।

9 विकास क्षेत्रों की 22 सहकारी समितियों के 23 गबन के मामले पुलिस की जांच में हैं।

हसनगंज, उन्नाव के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायतें

*44--श्री चिरंजीलाल (जिला एटा)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1971 से मार्च, 1972 तक तहसीलदार तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व सचिव, एवं जिलाधिकारी जिला उन्नाव को प्राप्त हुई हैं। यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री उदितनारायण शर्मा--

जी हां।

शिकायतों पर जांच कराई गई थी आरोप सिद्ध नहीं हुए।

उपसंचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा महुंवा मुरारपुर (आजमगढ़) के चक की निगरानियां

*45—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के ग्राम महुंवा मुरारपुर सन् 1965 में उप संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा चक की निगरानियां एवं अपीलों के निस्तारण के समय चकबन्दी अधिकारी स्तर पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया ? क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ग्राम में 8 वर्ष बाद उन फाइलों पर बिना कृषकों को सूचना दिये गांव में मालियत लगाने का काम हो रहा है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां । ग्राम महुआ मुरारपुर, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ में वर्ष 1964 में उप संचालक चकबन्दी तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा चक की निगरानियों एवं अपीलों के निस्तारण के समय चकबन्दी कार्य को चकबन्दी अधिकारी स्तर पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया था । इसके बाद अभिलेखों में पायी गयी त्रुटियों से संबंधित शुद्धीकरण वादों के निस्तारण के पश्चात् वर्ष 1970 में ग्राम की चकबन्दी समिति के सदस्यों एवं कृषकों को नियमानुसार सूचना देने के बाद ही विनिमय अनुपात के निर्धारण का कार्य प्रारम्भ किया गया था ।

सहकारी लीसा फैक्टरी, रानीखेत को विशेष आडिट का आदेश

*46—श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कुछ शिकायतों के आधार पर जो सरकार को 1969 से 1971 तक सहकारी लीसा फैक्टरी रानीखेत के खिलाफ इस विषय की प्राप्त हुई थी कि फैक्टरी के हिसाब-किताब में गड़बड़ी और लाखों रुपये का गोलमाल किया जा रहा है विशेष आडिट के आदेश जारी किये थे? यदि हां, तो कब ? क्या आडिट रिपोर्ट सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सहकारी लीसा फैक्टरी, रानीखेत के नाम से न तो कोई सहकारी समिति पंजीकृत है और न कार्यरत ही है । अपितु एक संस्था रानीखेत सहकारी विकास समिति, रानीखेत के नाम से पंजीकृत संख्या 155 के रूप में कार्यरत है जो हल्द्वानी में एक लीसा फैक्टरी भी चला रही है । सन् 1969 से 1971 तक इस फैक्टरी के हिसाब में गड़बड़ी तथा लाखों रुपये का गोल माल होने की शिकायतें सहायक निबन्धक, अल्मोड़ा के कार्यालय में प्राप्त हुई थीं जिनकी विधिवत् जांच की गई । जांच के फलस्वरूप हिसाब में कोई गड़बड़ी और रुपयों का गोल माल साबित नहीं हुआ । अतः उक्त शिकायतों के आधार पर समिति का विशेष आडिट कराने का कोई प्रश्न नहीं उठा ।

*47-48—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

ग्राम पावली खास, (मेरठ) के भूमिहीनों के पट्टे का नवीनीकरण

*49—श्री आशाराम (जिला मेरठ), श्री रियासत हुसैन तथा श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पावली खास तहसील सरधना जिला

मेरठ की भूमि जो को सीलिंग से निकली थी भूमिहीनों को दिनांक 30 जून, 1971 तक पट्टे पर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पट्टों का शीघ्र नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

गांव पावली खास, तहसील सरधना, जिला मेरठ में 15 बी0 19 वि0 10 विस्वांसी भूमि सीलिंग से निकली थी जो कि प्रथम बार एक वर्ष के लिये सुख्खे उदल तथा बहाल को दिनांक 9 अगस्त, 1966 से पट्टे पर दी गई थी । बाद में दिनांक 8 अगस्त, 1967 से पुनः एक वर्ष के लिये उन्हीं लोगों को उक्त भूमि पट्टे पर दी गई । अन्त में दिनांक 4-10-68 से दिनांक 30 जून, 1971 तक 3 वर्ष के लिये उक्त भूमि का पट्टा सुख्खे, बहाल तथा सजान को दिया गया था । इसी बीच भूमि के विवादग्रस्त हो जाने के कारण उसका नवीकरण नहीं किया गया । विवाद के समाप्त होने पर ही भूमि के बन्दोबस्त का प्रश्न उठेगा ।

बाढ़ क्षेत्र इलाहाबाद में टेस्ट वर्क के लिये दिया गया धन

*50—श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद जिले में बाढ़ से विशेष हानि को देखते हुए 9 लाख रुपया टेस्टवर्क के लिये दिया गया है परन्तु स्थानीय अधिकारी फेमिन कोड (अकाल संहिता) क आधार पर यह धन जिला परिषद् के माध्यम से व्यय करने के बजाय सार्वजनिक निर्माण विभाग को व्यय करने के लिये दे रहे हैं । यदि हां, तो क्या सरकार कार्य की सुविधा को देखते हुए बजाये सार्वजनिक निर्माण विभाग के यह धन जिला परिषद् इलाहाबाद के माध्यम से व्यय करने की कृपा करेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इलाहाबाद जिले में टेस्ट वर्क्स चलाने हेतु 1971-72 में नौ लाख रुपये आवंटित किये गये थे परन्तु उनको आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि बाढ़ क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग क्रैश स्कीम के कार्यों में लगे थे । चालू वित्तीय वर्ष में टेस्ट वर्क के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि जिलाधिकारी ने टेस्ट वर्क्स चलाने की आवश्यकता नहीं समझी है । अतः जिला परिषद् के माध्यम से कोई व्यय कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले की चकबन्दी परामर्शदात्री समिति

*51—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक 7 अप्रैल, 1972 को नत्थी (ख) में प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के क्रम पर क्या राजस्व मंत्री कृपया बतावेंगे कि प्रस्तावित मार्ग के लिये जिस जिला परामर्शदात्री समिति ने अपनी संस्तुति दी थी उस समिति में कौन-कौन सज्जन थे ? और इस निर्मित सड़क के लिये ग्राम होरिलपुर की 1 बीघा 10 बिस्वां मात्र ही कृषि भूमि के लिये जाने की जो सूचना दी गई है, उसका आधार क्या है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जिला परामर्शदात्री चकबन्दी समिति में जिसने अपनी बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 1971 में प्रस्तावित मार्ग की संस्तुति की थी निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:—

1—सर्वश्री गिरीश चन्द्र, जिलाधिकारी फैजाबाद ।
2— ,, हरिनाथ तिवारी, विधायक ।
3— ,, प्रियदर्शी जेटली, विधायक ।
4— ,, जगदम्बा प्रसाद सिंह, विधायक ।

5—सर्वश्री राज बख्श सिंह, ब्लाक प्रमुख अकबरपुर ।
6— ,, रघुराज सिंह, ब्लाक प्रमुख वारून ।
7— ,, राम अभिलाख वर्मा, ब्लाक प्रमुख टांडा ।
8— ,, देवी प्रसाद सिंह, ब्लाक प्रमुख भीटी ।
9— ,, हरि मूर्ति सिंह, उप संचालक चकबन्दी ।
10— ,, एम0 एल0 तिवारी, सचिव सोलजर्स बोर्ड।
11— ,, ठाकुर प्रसाद सिंह, ब0 अ0 च0 फैजाबाद ।
12— ,, के0 के0 एन0 सिंह, ब0 अ0 च0 टांडा ।

2 ग्राम होरिलपुर में 1 बीघा 10 बिस्वा मात्र ही कृषि भूमि लिये जाने की सूचना दिये जाने का आधार चकबन्दी अभिलेख है।

जय जवान जय किसान, जूनियर हाई स्कूल, सागर बाग गोरखपुर की भूमि का अलाटमेंट

*52—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के एस0 के0 क्षेत्र राजधानी के अन्तर्गत राजधानी गांव में स्थित 'जय जवान जय किसान' "जूनियर हाई स्कूल सागर बाग" के नाम कितनी भूमि का अलाटमेंट भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया गया ? क्या इसके अमल बरामद मालियत हेतु विद्यालय के प्रबन्धक ने शपथ-पत्र के साथ कोई प्रार्थना-पत्र 1970 ई0 से मार्च, 1972 ई० के बीच दिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां । भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रस्ताव पास हुआ है परन्तु न तो हाकिम परगना से स्वीकृति प्राप्त की गई है और न शपथ-पत्र के साथ अमलदरामद के लिये दरख्वास्त दी गई ।

सघन सहकारी समिति, भारतल सिरसी, मुरादाबाद के एकाउन्टेन्ट के विरुद्ध शिकायत

*53—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1972, के साथ सर्वश्री बुद्धा, प्यारे, नौबत व ओमप्रकाश, सदस्यगण, सघन सहकारी समिति, भारतल सिरसी, जिला मुरादाबाद का इस आशय का शिकायत-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है कि उस समिति के एकाउन्टेंट ने समिति के अभिलेखों में जालसाजी करते हैं और सदस्यों के नाम फर्जी चेक काट कर रुपया निकाल लेते हैं ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में फर्जी चेक काट कर रुपया निकालने के कितने उदाहरण बताये गये और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां । शिकायती-पत्र की जांच की गई । जांच रिपोर्ट के अनुसार समिति के 7 सदस्यों के नाम से सात फर्जी चेक काट कर अंकन 5,100.00 रु0 बैंक से निकालने की साजिश की गई । परन्तु जिला सहकारी बैंक सम्भल द्वारा उक्त चेकों के संदेहात्मक होने के कारण भुगतान रोक दिया गया । उक्त जालसाजी एवं समिति के अभिलेखों में अनियमितताओं के संबंध में समिति के सचिव एवं सभापति के खिलाफ 5-5-72 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई तथा सचिव को पद से हटा कर समिति के समस्त अभिलेख सहायक विकास अधिकारी की सुरक्षा में दे दिये गये हैं ।

*54—चौधरी रामपाल सिंह यादव

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

ग्राम मुकधन्द्या, जिला सुल्तानपुर में गांव समाज की आवंटित भूमि का कब्जा

*55—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम मुकधन्द्या मौजा नगली तहसील कादीपुर जिला सुल्तानपुर के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों व हरिजनों को गांव समाज की कृषि भूमि का आबंटन 1970 में किया ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि 5 अप्रैल, 1972 तक उक्त भूमि पर उन लोगों को अधिकार नहीं मिला है ? जिसके नाम भूमि का आबंटन हुआ था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर में कथित नाम का कोई ग्राम नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

लेखपाल संघ, बलिया का नसबन्दी कार्य के संबंध में प्रस्ताव

*56—श्री निर्भयनारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला लेखपाल संघ बलिया अपने वार्षिक अधिवेशन दिनांक 18 फरवरी, 1972 में प्रस्ताव संख्या 4 में एक शिकायत की है, जिसकी प्रति शासन को भेजी गई है कि बलिया जिले के गत नसबन्दी शिविर में जितने लोगों ने नसबन्दी कराये हैं उन सभी लोगों को मकान मरम्मत हेतु सहायता का रुपया लेखपालों से जबरदस्ती नाजायज दबाव द्वारा तस्दीक कराकर दिया गया है जब कि नसबन्दी कराये हुए व्यक्तियों का मकान नहीं गिरा है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां ।

*57—श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला लेखपाल संघ, बलिया के अधिवेशन दिनांक 18 फरवरी, 1972 के प्रस्ताव संख्या 2 स्वीकृत कर इसकी सूचना शासन को दी है कि दिनांक 2 जनवरी, 1972 को 19 लेखपालों पर प्रति लेखपाल 10 नसबन्दी कराने के संबंध में जुर्माने की रकम लौटाया जाय ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है । क्या यह सही है, कि शासनादेश संख्या 7/2 (2) क0/68 राजस्व (क), दिनांक 4 जून, 1971 द्वारा लेखपालों को परिवार नियोजन कार्य से पृथक करने के लिये आदेश पारित किये गये ह ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित विषय पर लेखपाल संघ द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 नहीं बल्कि प्रस्ताव संख्या 8 पारित किया गया था । प्रश्नगत सामूहिक जुरमाने की रकम सम्बद्ध लेखपालों को लौटाई जाने की मांग लेखापालों के संघ द्वारा की जाने पर उस पर विचार नहीं किया जा सकता था । सम्बद्ध लेखपालों द्वारा स्वयं ही इसके लिये जिलाधिकारी को नियमानुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर ही इस पर विचार किया जा सकता है । यह सही है कि लेखपालों से फिलहाल परिवार नियोजन का कार्य न लिया जाने के शासनादेश तारीख 4 जून, 1971 को जारी किये गये थे । किन्तु लेखापालों पर उक्त सामूहिक जुरमाना इन शासनादेशों के जारी होने के लगभग पांच माह पूर्व, अर्थात् 3 तथा 4 जनवरी, 1971 को किया जा चुका था जब उनके विभिन्न निर्धारित कर्त्तव्यों में से एक कर्त्तव्य परिवार नियोजन का कार्य भी था ।

बुलन्दशहर की माल अदालतों में लंबित मुद

*58—श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में 31 मार्च, 1971 को एक वर्ष से अधिक के कितने मुकदमें निर्णय के लिये माल के अदालतों में बाकी हैं ? उनके जल्द निर्णय के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनपद बुलन्दशहर में 31-3-1971 को एक वर्ष से अधिक का निर्णय के लिये जिले के माल न्यायालयों में कोई मुकदमा बाकी नहीं था ।

*59—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

[7 वें गुरुवार में प्रश्न सं0 95 पर स्थानान्तरित]

सुपरवाइजर कानूनगो के स्थायीकरण में विभेद

*60—श्री देवेन्द्रनाथ मिश्र (जिला गोंडा)—

क्या यह सच है कि पूर्वी जिलों में नियुक्त तथा पश्चिमी जिलों में नियुक्त सुपरवाइजर काननगो के कन्फरमेशन में समान नीति नहीं अपनाई गई है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी नहीं, प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*61—श्री देवेन्द्रनाथ मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि कन्फरमेशन करते समय कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल के मैरिट लिस्ट का ध्यान क्यों नहीं किया गया और पश्चिमी जिलों के जूनियर लोगों को कन्फर्म किया गया और पूर्वी जिलों में सीनियर लोगों को अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

सुपरवाइजर कानूनगो का संवर्ग मंडलीय स्तर का होता है । मंडल में सुपरवाइजर कानूनगो की स्थायी रिक्ति उपलब्ध होने पर उस मंडल से सम्बद्ध सुपरन्यूमरेरी कानूनगो को, अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर कन्फर्म किया जाता है । कानूनगो संवर्ग मंडलीय स्तर का होने के कारण सम्भव है कि एक मंडल से सम्बद्ध जूनियर सुपरन्यूमरेरी कानूनगो, दूसरे मंडल से सम्बद्ध सीनियर सुपरन्यमरेरी कानूनगो से पहले कन्फर्म हो गये हों । परन्तु मंडलीय स्तर पर किसी जूनियर सुपरन्यूमरेरी कानूनगो को कन्फर्म नहीं किया जाता जब तक सीनियर व्यक्ति अनुपयुक्त होने के कारण छोड़ न दिया गया हो ।

ए० डी० ओ० सहकारिता का स्थायीकरण

*62—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एड० डी० ओ० सहकारिता के 92 पद सन् 1959 को स्थायी होने के आदेश शासन के हो चुके थे ? यदि हां तो उन 92 पदों पर कौन-कौन ए० डी० ओ० सहकारिता स्थायी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के 92 स्थायी पदों की स्वीकृति वर्ष 1959 तक दी जा चुकी है । किन्तु इन पदों पर कुछ कठिनाइयों के कारण अभी तक किसी को भी स्थायी नहीं किया जा सका है । कठिनाइयां अब दूर हो गई हैं और स्थायी करने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

टेहरी जिले में ग्रामीण भूमि प्रबन्ध समिति का गठन

63—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1965 के अन्तर्गत ग्रामीण भूमि प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

टिहरी जनपद में उत्तर प्रदेश कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत सरकारी भूमि का निहतन गांव सभा में नहीं किया गया है और न ही पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत भूमि प्रबंधक समिति का गठन हुआ है । मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति भिन्न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जहां उपरोक्त अधिनियम लागू हैं, सरकार की भूमि गांव संस्थाओं में निहित करना उचित नहीं समझा गया । इसलिये भूमि प्रबन्धक समितियों का गठन भी नहीं किया गया ।

जमनिया तहसील, गाजीपुर का हेडक्वार्टर

*64—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में जमानिया तहसील का हेडक्वार्टर दिलदारनगर में रखने के सम्बन्ध में दिलदारनगर क्षेत्र की जनता की मांग हाल में आई है ? यदि हां तो उस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां । इस प्रकार का एक प्रार्थना-पत्र शासन को फरवरी, 1972 में प्राप्त हुआ था, जो विचाराधीन है ।

जिला एटा में नई तहसील पटियाली बनाने की कथित योजना

*65—श्री बदनसिंह यादव (जिला एटा) तथा श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एटा जनपद में पटियाली के नाम से एक तहसील बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जिला एटा में पटियाली नामक एक नई तहसील की स्थापना के सुझाव पर सभी पहलुओं से विचार करने के पश्चात् शासन ने इसे स्वीकार करना सम्भव नही पाया है ।

अतरौली, जिला अलीगढ़ के तहसीलदार द्वारा श्री खचेड़ खां की बिना वारन्ट गिरफ्तारी

*66—श्री शफीक अहमद खां तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बातायेगी कि जिला अलीगढ़ के ग्राम निवासी गनयावली के श्री खचेड़ खां को अतरौली तहसील के तहसीलदार ने दिनांक 23 फरवरी, 1972 को बकाया धनराशि के नाम पर गिरफ्तार करके तहसील हवालात में डाल दिया जबकि इनके ऊपर कोई बकाया धनराशि नहीं थी न कोई इनकी गिरफ्तारी का वारन्ट ही जारी था ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं तो क्या सरकार संबन्धित वारन्ट की प्रतिलिपि और उक्त व्यक्ति पर बकाया धनराशि का ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां । उनको श्री मंसूर खां समझ कर गिरफ्तार किया गया और तहसील की हवालात में रखा गया । श्री मंसूर खां बाकीदार थे और उन्हीं के नाम वारन्ट गिरफ्तारी निकला था ।

वह श्री खचेड़ खां के बाबा बतलाये जाते हैं। जब यह मालूम हुआ कि जिनको बन्द किया गया वह श्री खचेड़ खां हैं और श्री मंसूर खां नहीं हैं, तो उनको दूसरे दिन रिहा कर दिया गया। श्री मंसूर खां के विरुद्ध निकाले वारन्ट की प्रतिलिपि और उनकी बकाया धनराशि का ब्योरा संलग्न हैं। जिन कर्मचारियों की लापरवाही से यह तकलीफ श्री खचेड़ खां को हुई उनको निलम्बित किया जा चुका है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 485 पर।)

जिला बन्दोबस्त अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध शिकायतें

*67--श्री हरिबंश सहाय (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी देवरिया (एस० ओ० सी०) के विरुद्ध दिनांक 1 फरवरी, 1971 से 29 फरवरी, 1972 तक कितने आवेदन-पत्र घूस लेने एवं भ्रष्टाचार फैलाने के विधायकों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के प्राप्त हुए हैं। शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही हुई?

श्री उदितनारायण शर्मा--

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जिला देवरिया के विरुद्ध 1 फरवरी, 1971 से 29 फरवरी 1972 तक एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 18 जनवरी, 1972 सर्वश्री भगेलू सिंह एवं रामपति, विधायक गरम से प्राप्त हुआ है जिसमें मुख्य शिकायत रिश्वत लेने तथा बाढ़ पीड़ितों के बांटने हेतु निकाले गये धन को हड़प लेने की है। बाढ़ पीड़ितों को बांटने हेतु निकाले गये धन को हड़प लेने की शिकायत की जांच जिलाधिकारी, देवरिया ने कर ली है और तथ्यहीन पाया। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित अन्य शिकायतों की जांच जिलाधिकारी देवरिया से कराई जा रही है।

दूसरा प्रार्थना-पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 1971 को श्री राम वक्ष सिंह का ग्राम डेहरी पोस्ट सतरावं के निवासियो की ओर से प्राप्त हुआ जिसमें यह शिकायत की गयी कि श्री रविन्द्र शंकर सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उनके अनियमित और अवैधानिक कार्यों में सहयोग और प्रश्रय देते हैं। जिला उप संचालक चकबन्दी ने इस विषय में जांच की और शिकायत को सत्य नहीं पाया।

गोविन्द वल्लभ पन्त पोलीटेकनिक, आर्यनगर लखनऊ के शिक्षकों की योग्यतायें एवं अनियमिततायें

*89--श्री मदनमोहन मिश्र (जिला रायबरेली)--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द वल्लभ पन्त पालीटेकनिक, आयनगर सेटिलमेंट लखनऊ की भूमि पर किन-किन लोगों (अध्यापकों) में अवैध रूप से खेती करा रखी है?

डाक्टर सीताराम--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत पालीटेकनिक के निम्नलिखित भूतपूर्व स्थानापन्न प्रधानाचार्यों ने अपने कार्यकाल में संस्था की भूमि पर खेती कराई थी:--

(1) श्री अभिलाष चन्द्र श्रीवास्तव (1-2-67 से 26-12-69 तक)
(2) श्री बी० बी० अग्रवाल (27-12-69 से 2-3-72 तक)

वर्तमान समय में उक्त भूमि पर खेती नहीं हो रही है।

*69--श्री मदनमोहन मिश्र--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोबिन्द बल्लभपन्त पालीटेकनिक, आर्यनगर सेटिलमेंन्ट, लखनऊ में कितने जूनियर प्रवक्ता और कर्मशाला

प्रशिक्षक अपने पदों के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं ? यदि हां, तो इन्हें इन पदों के लिये न्यूनतम योग्यता न रखते हुये भी अभी तक क्यों रखा गया है ?

डाक्टर सीताराम--

उक्त पालीटेकनिक में कार्यरत सभी कनिष्ट प्रवक्ता तथा कर्मशाला प्रशिक्षक निर्धारित योग्यतायें रखते हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*70--श्री मोती लाल यादव (जिला जौनपुर)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौधरी चरण सिंह की सरकार द्वारा चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत स्थायी करने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय को सरकार कार्यान्वित कर रही है ? यदि हां, तो वर्तमान सत्र में कितने चकबन्दी अधिकारी एवं कर्मचारी स्थायी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

चौधरी चरण सिंह की सरकार द्वारा चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था बल्कि जो निर्णय लिया गया था वह चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों में खपाने अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में था ।

प्रश्नगत आशय का निर्णय अब वर्तमान सरकार द्वारा लिया गया है और उसके अनुसार चकबन्दी योजना के अन्तर्गत इस वर्ष लगभग 1700 पद पहली किश्त के रूप में दिनांक 1 अप्रैल, 1972 से स्थायी कर दिये गये हैं ।

*71--श्री मोती लाल यादव--

[निरस्त]

हरिजन कल्याण निदेशालय के प्रत्यावर्तित लिपिक

*72--श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर) तथा श्री शिवलाल (जिला कानपुर)--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन कल्याण निदेशालय के कितने लिपिक माह फरवरी, 1969 से अब तक कार्यरत पद से प्रत्यावर्तित किये गये हैं ? इस प्रत्यावर्तन का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम--

प्रश्नगत अवधि में 6 लिपिक प्रत्यावर्तित किये गये। प्रत्यावर्तन के कारण संक्षिप्त रूप से संलग्नक में उल्लिखित है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 486 पर)

*73--श्री मंजूर अहमद--

[विस्तृत होने के कारण निरस्त]

अलीगढ़ की विधवाओं के पेंशन प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र

*74--श्री कल्याण सिंह तथा श्री नेतराम सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधवाओं की पेंशन योजना के अधीन वर्ष 1971-72 में जिला अलीगढ़ से कितनी विधवाओं ने पेंशन प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र

जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधानों द्वारा विधिवत् प्रमाणित एवं जिला मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ द्वारा नियमानुसार संस्तुति थे, शासन को प्रस्तुत किये गये हैं? उनमें से कितनी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत की गई है? शेष को पेंशन स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं?

बेगम हमीदा हबीबुल्लाह—

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विधवाओं की पेंशन की कोई योजना नहीं है। किन्तु वर्ष 1971-72 से एक योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण की व्यवस्था हेतु सहायक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

गतवर्ष अलीगढ़ जिले से 85 आवेदन-पत्र समाज कल्याण निदेशालय में दिनांक 30-3-72 को प्राप्त हुये थे, परन्तु किसी भी आवेदन-पत्र के साथ सम्बन्धित नियमावली में निर्धारित प्रार्थिनी के आय का प्रमाण-पत्र नहीं भेजा गया था। अतः कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकृत नहीं किया जा सका।

असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से रबी की फसल को क्षति

*75—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गत 9 अप्रैल, 1972 को प्रदेश में असामयिक वर्षा, तूफान और ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसलों और खलिहानों में रबी की फसलों को लाखों रुपये की क्षति हुई है? यदि हां, तो सरकार ने क्षतिग्रस्त कृषकों को राहत प्रदान करने की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

9 अप्रैल, 1972 को प्रदेश के देहरादून जिले में असामयिक वर्षा, तूफान व ओला से फसलों को लगभग 5,000 रु0 की क्षति अनुमानित की गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में उक्त तिथि को वर्षा तूफान व ओले में फसलों को क्षति होने की कोई सूचना नहीं है।

देहरादून जिले में उक्त आपदा से प्रभावित व्यक्तियों में वितरण हेतु 5,000 रु0 अहेतुक सहायता व 5,000 रु0 तकावी दी गई।

शाहजहांपुर के सेवा-मुक्त लेखपाल

*76—श्री केशवचन्द्र सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माल मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि शाहजहांपुर में वर्ष 1970 में कितने लेखपाल सेवा-मुक्त हुए हैं जिनकी अभी तक ग्रेचुएटी, पेंशन, जी0 पी0 फंड अथवा वर्ष 1970 के कुछ महीनों का वेतन नहीं दिया गया है? क्या इसकी एक सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे साथ ही उपरोक्त न देने का क्या कारण था और उसे कब तक दिला दिया जायगा?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसे 6 लेखपाल सेवा मुक्त हुये हैं जिनमें से 2 लेखपालों को केवल फंड का तथा 3 लेखपालों को ग्रेचुएटी पेंशन एवं फंड का भुगतान अवशेष है। एक लेखपाल का ग्रेचुएटी तथा पेंशन का भुगतान अवशेष है, फंड का नहीं क्योंकि इसका फंड नहीं कटता था। वेतन भुगतान किसी का भी अवशेष नहीं है। सूची संलग्न है। महालेखाकार की स्वीकृति के अभाव में भुगतान सम्भव नहीं हुआ है स्वीकृति प्राप्त होते ही भुगतान हो जायगा।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 487 पर)

सहकारी समिति, गिरधरपुर, बरेली के विरुद्ध शिकायतें

*77—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 11-4-72 को उनको या उनके विभाग के रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को जिला बरेली के श्री छेदा लाल, बाबूराम, भूरे लाल, गोविन्दराम आदि का प्रार्थना-पत्र वहां की ग्राम गिरधरपुर सहकारी समिति की अनियमितताओं के तथा गलत कर्ज दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में मिला है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है तथा कौन-कौन दोषी कर्मचारी पाये हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां।

इस शिकायती पत्र की जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि इस समिति में गबन एवं अनियमितताओं की जांच सी० आई० डी० द्वारा पहले से ही की जा रही है और समिति का रिकार्ड पुलिस संरक्षण में है। पुलिस की जांच रिपोर्ट होने पर ही दोषी कर्मचारियों का पता लग सकेगा।

बरेली में सहकारी उपभोक्ता भंडारों के हानि-लाभ का विवरण

*78—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में नगर तथा देहात में कुल कितने सहकारी उपभोक्ता भंडार चल रहे हैं और उनमें वर्ष 1971-72 ई० में किसमें कितना घाटा और किसमें कितना लाभ अलग-अलग हुआ तथा घाटे के कारण क्या थे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला बरेली के नगर क्षेत्र में 23 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 8 सहकारी उपभोक्ता भण्डार हैं।

सहकारी वर्ष 1971-72, 30 जून, 1972 को ही समाप्त हुआ है और इस वर्ष के लाभ-हानि के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं।

गौरा, प्रतापगढ़ के गांव सभा प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही

*79—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की सदर तहसील के ग्राम गौरा के गांव सभा प्रधान द्वारा आबादी व खलिहान की भूमि को अवधानिक ढंग से रुपया लेकर बेचने एवं रुपए का गबन करने के सम्बन्ध में परगनाधिकारी सदर द्वारा क्या कार्यवाही पिछले डेढ़ वर्ष से की जा रही है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। परगनाधिकारी सदर द्वारा गांव सभा भूमि के कथित अनियमित पट्टों को दिनांक 21 दिसम्बर, 1971 को निरस्त करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

*80—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सहायक चकबन्दी अधिकारी, कंजहित सेण्टर, आजमगढ़ का स्थानान्तरण

*81—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के देवगांव सर्किल में कंजहित सेंटर के सहायक चकबन्दी अधिकारी श्री श्यामदेव यादव को देवगांव में कुछ व्यक्तियों ने दो माह पूर्व बुरी तरह सरे बाजार में सड़क के चौराहे पर पीटा, जिस घटना की रिपोर्ट थाना देवगांव में दर्ज है? यदि हां, तो सरकार ने अपने कर्मचारी के सुरक्षा दृष्टि से क्या कार्यवाही की? क्या सरकार ने उस अधिकारी का स्थानान्तरण दूसरे जिले में कर दिया है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। घटना के बाद उन्हें हर सम्भव पुलिस सहायता दी गयी।

श्री यादव का स्थानान्तरण जिला इलाहाबाद को कर दिया गया है।

तहसीलदार हसनगंज जिला उन्नाव के विरुद्ध शिकायतें

*82—श्री चिरंजी लाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसीलदार तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के विरुद्ध नवाबगंज, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के कुछ दुकानदारों ने दिसम्बर, 1971 में उनके सुरक्षा कोष के नाम पर नाजायज 1,000 रुपये तथा 2,500 रुपए वसूलने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी उन्नाव तथा आयुक्त लखनऊ से शिकायत की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। नवाबगंज के दुकानदारों ने शिकायत नहीं की थी। कुछ वकीलों ने मण्डलायुक्त से शिकायत की थी। जांच से शिकायत में तहसीलदार के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए।

अनुसचिव श्री बरनवाल द्वारा स्वीकृत अनुदान का भुगतान न होना

*83—श्री इन्द्रलाल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतावेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव श्री बरनवाल के पत्र संख्या 646/छत्तीस सं0 क C—243-1971, दिनांक 11-2-72 लखनऊ द्वारा जिन 66 व्यक्तियों को आर्थिक सहायतार्थ 4,925.00 रुपयों का अनुदान देने की स्वीकृति थी इस धनराशि का अनुदान ग्रहीताओं को 15-4-72 तक भुगतान न हो सकने का क्या कारण है?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला—

प्रश्नगत 66 व्यक्तियों में से 57 व्यक्तियों को कुल रु0 4,175 का भुगतान दिनांक 15 अप्रैल, 1972 तक कर दिया गया था। शेष 750 रु0 का भुगतान सम्बन्धित 9 अनुदान ग्रहीताओं को 16 अप्रैल, 1972 से 8 मई, 1972 को अवधि में किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार चूंकि वर्ष 1971-72 से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण मदों की धनराशियों के भुगतान सर्व प्रथम किये जाने थे, अतः कार्याधिक्य के कारण उक्त व्यक्तिगत अनुदानों के भुगतान में विलम्ब हुआ।

लैण्ड मार्टगेज एवं डेवलपमेन्ट बैंक, लखनऊ द्वारा ट्रैक्टर हेतु स्वीकृत धन

*84—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सरकार को मालूम है कि श्रीमती विद्यावती व श्रीमती चन्द्रावती निवासी ग्राम बलेही भगवन्तपुर, तहसील आंवला, जिला बरेली को उनकी पट्टे की जमीन पर जिनके सम्बन्ध में खतौनी में रेगिस्तान रतमाली (दरिया खुर्द) लिखा था बगैर एडमीशन फीस एक रुपया एवं बगैर शेयरमनी 20 रु0 लिये उत्तर प्रदेश लैन्ड मार्टगेज एवं डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, लखनऊ में ट्रैक्टर खरीदने के लिए 30 हजार रुपया सन् 1969-70 में मंजूर किया और आंवला ब्रांच से इसका पेमेन्ट करा दिया और क्या यह भी सत्य है कि इनका प्रार्थना-पत्र ब्रांच कार्यालय आंवले के द्वारा नहीं आया था? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया और क्या ट्रैक्टर खरीद लिया गया कि नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती विद्यावती व श्रीमती चन्द्रावती, निवासी ग्राम बलेही भगवन्तपुर, तहसील आंवला, जिला बरेली को ट्रैक्टर खरीदने हेतु पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये के ऋण सहकारी वर्ष 1968-69 में दिये गये थे। उनके पट्टे की जमीन पर खतौनी में रेगिस्तान दर्ज था परन्तु उन्हें न्यायालय के आदेश दिनांक 21 मई, 1968 द्वारा भूमिधर घोषित किया गया था। नकल खसरा में बन्धक हेतु प्रस्तावित भूमि पर मूंगफली, गेहूं, मक्का आदि फसलें दर्ज थीं। इनके प्रार्थना-पत्र मय कागजात आंवला शाखा द्वारा ही भेजे गये थे। जांच से यह ज्ञात हुआ कि ऋणों का दुरुपयोग किया गया है। अतः इन ऋणों की एकमुश्त वसूली हेतु दोनों प्रार्थियों के विरुद्ध सालसी कार्यवाही की गई है। उप निबन्धक, सहकारी समितियां, बरेली इस केस में आर्बीट्रेटर हैं। आर्बीट्रेशन होते ही ऋण का सारा धन बकाया मालगुजारी की तरह वसूल किया जायगा। शाखा प्रबन्धक आंवला ने ऋण का भुगतान निर्धारित तरीके से ट्रैक्टर के डीलर के पक्ष में चेक का पृष्ठांकन न करके सीधे प्रार्थियों को दे दिया था। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उन्हें बैंक की नौकरी से निकाल दिया गया है।

मुजफ्फरनगर में अनुसूचित जाति के लेखपालों की पदोन्नति

*85—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में अनुसूचित जाति के कितने ऐसे लेखपाल हैं जिनका सेवाकाल 15 वर्षों से भी अधिक हो गया है परन्तु अभी तक उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई?

श्री उदित नारायण शर्मा—

पांच।

किठइयां, वाराणसी के स्वर्गीयमहन्त चैतन्यपुरी के वारिस

*86—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम किठइयां, थाना असन्दरा, परगना सुर्यपुर, तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी में दिनांक 15-5-1971 को क्या महन्त चैतन्यपुरी का देहान्त हो गया था? यदि हां, तो वारिस के सम्बन्ध में लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट कब दी किसके लिए दी तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई क्या इसका पूरा विवरण सदन के मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां। लेखपाल हल्का ने मृतक महन्त की विरासत की रिपोर्ट 12-7-72 को महन्त गोविन्दपुरी के हक में दी, जिस पर इश्तहार जारी किया गया। महन्त गोविन्दपुरी के अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों ने मृतक महन्त के वारिस होने की आपत्तियां प्रस्तुत कीं। दाखिल-खारिज के मुकदमे के दौरान एक पक्ष ने जिलाधीश के न्यायालय में निगरानी कर दी जो विचाराधीन है ?

*87--श्री गंगा प्रसाद--

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त मठ की जायदाद को दूसरे सम्प्रदाय के लोग वारिस बनकर लेने की कोशिश कर रहे हैं तथा इस समय उनके ही आदमी सुपुर्दवार की हैसियत में मठ की जायदाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं ? यदि हां, तो सदन के पटल पर पूरी रिपोर्ट रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मृतक महन्त के वारिस का निर्णय होने तक इस विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है। मठ की जायदाद 25-9-71 को कुर्क की गयी थी, जिसके विरुद्ध निगरानी हुई और इस समय मामला उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन है।

*88--श्री रूपनाथसिंह यादव--

[9वें सोमवार में ता० प्र० सं० 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जालौन में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था

*89--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--

क्या सरकार को विदित है कि जिला जालौन के अनेक ग्रामों में अभी काश्तकारों के खलिहानों में आग लगने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जिससे कई लाखों रुपया की हानि हुई है ? अगर हां, तो क्या सरकार जिला जालौन में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां। जिला जालौन के 16 ग्रामों में काश्तकारों के खलिहानों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई जिससे अनुमानित 2,29,000 रु० की क्षति हुई।

इस जिले में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। जनपद की नगरपालिकायें तथा जिला परिषद् फायर ब्रिगेड गाड़ी खरीदने के लिये साधन जुटा रही है।

*90--श्री बनारसी राम--

[14वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बनगुवा, झांसी में निर्मित सहरियों की हरिजन बस्ती

*91--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

क्या पंचायतराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड बबीना ग्राम सभा बनगुवा, थाना बरुआ सागर, जिला झांसी में सहरियों के लिये 20 हजार रुपया खर्च करके हरिजन बस्ती बनाई गई थीं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को मालूम है कि वह बस्ती बनाने के पहिले बारिश में गिर गई और उसमें एक भी दिन के लिये भी सहरिया रहने को नहीं आ सका ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1965 में प्रश्नगत ग्राम में रु0 19,500 की लागत से भवन बनवाये गये थे तथा निर्माण के उपरान्त उनमें सहरिया परिवार रहते थे । बाद में चोरों-डकैतों से परेशान किये जाने के कारण उक्त परिवार वहां से चले गये ।

*92---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---

क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर संबंधित दोषी व्यक्तियों को दंड दिलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---

उक्त बस्ती वर्तमान समय में गिरी हुई है । इस संबंध में जांच कराई जा रही है ।

शाहजहांपुर की पंजीकृत सहकारी भवन समितियों से भूमि अध्याप्ति हेतु लिया गया धन

*93---श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर जिले में कितनी पंजीकृत सरकारी भवन समितियां हैं जिनसे भूमि अध्याप्त हेतु उपयुक्त धनराशि सरकार द्वारा ली जा चुकी है किन्तु उन्हें भूमि नहीं दी गई ? उन्हें भूमि न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जिला शाहजहांपुर में केवल एक पंजीकृत सहकारी भवन समिति ऐसी है जिससे भूमि अध्याप्ति हेतु निर्धारित धनराशि जमा कराई गई थी किन्तु उसे भूमि नहीं दी गई क्योंकि समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि तत्कालीन जिला अधिकारी द्वारा तहसील भवन के निर्माण हेतु अधिक उपयुक्त समझी गई ।

गांव सभा सीड़ी व सपई, जिला कानपुर के प्रधानों के विरुद्ध शिकायतें

*94---श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उन्हें जो माह अक्तूबर, 1971 में प्रश्नकर्ता का को शिकायती-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ था कि कानपुर परगने की गांव सभा सीड़ी व सपई के प्रधानों ने भ्रष्टाचार के बल पर गांव सभा की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करा रक्खा है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की और अब तक गांव सभा को कितने बीघे भूमि पर से कितने व्यक्तियों को बेदख किया जा चुका है तथा संबंधित प्रधानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री उदित नारायण शर्मा---

जी हां । कथित प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायत की प्रारम्भिक जांच नायब तहसीलदार द्वारा कराई गई और अब अंतिम रूप से जांच परगनाधिकारी द्वारा की जा रही है । जांच में अब तक हुई प्रगति के फलस्वरूप गांव सपई की चकबन्दी में बची भूमि पर अनधिकृत रूप से काबिज 31 व्यक्तियों के खिलाफ जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 बी0 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम सभा सीड़ी इठारा की भूमि पर अनधिकृत कब्जों के विषय में जांच हो रही है । परगनाधिकारी द्वारा जांच पूर्ण होने पर यदि प्रधान दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

अल्मोड़ा वनखण्ड का वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल एक्सपर्ट द्वारा निरीक्षण

*95—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल एक्सपर्ट की किसी टीम ने अल्मोड़ा वनखंड का निरीक्षण किया और वन उद्योग के संबंध में कोई योजना को प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो वह योजना क्या है उस पर कुल कितना व्यय होगा और उसका कितना भार वर्ल्ड बैंक सहन करेगा ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां, वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल एक्सपर्ट की एक टीम ने अल्मोड़ा वन खंड का निरीक्षण किया परन्तु वन उद्योग के संबंध में कोई योजना प्रस्तुत नहीं की। अतः उस योजना पर व्यय किये जाने तथा उसका भार वर्ल्ड बैंक द्वारा सहन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

96—श्री रामगोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

भिक्षा वृत्ति निरोध प्रस्तावित विधेयक

*97—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में लगभग कितने भिखमंगे हैं और क्या भीख मांगने वालों की प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला—

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में भिक्षुकों की संख्या 34,546 थी। इस समस्या के संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

इलाहाबाद में अग्निकाण्ड की घटनायें

*98—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जनपद में मई, जून, 1972 में कुल कितने अग्निकांड हुए, उनमें कितना धन-जन का विनाश हुआ और राज्य सरकार द्वारा अग्नि-पीड़ित जनता को क्या राहत पहुंचाई गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कुल 85 अग्निकांड हुए जिनमें अनुमानित क्षति 3,47,499 रु0 की हुई तथा 2 जन व 27 पशुओं की भी क्षति हुई । अग्निकांडों के पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिये जिलाधिकारी, इलाहाबाद को 5,000 रु0 शासन द्वारा तथा 5,000 रु0 आयुक्त द्वारा दिया गया है।

*99—श्री रामगोपाल संड—

[13वें मंगलवार में प्र0 सं0 22 पर स्थानान्तरित]

आगरा, वाराणसी, नैनीताल तथा मंसूरी में टूरिस्ट काम्पलेक्स

*100—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश में

आगरा, वाराणसी, नैनीताल और मंसूरी में 9 करोड़ की धनराशि से 4 टूरिस्ट काम्पलेक्स खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कब से और उसकी क्या रूप रखा है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं।

बन्दोबस्त कार्यालयों के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*101—श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जहां-जहां बन्दोबस्त कार्यालय चल रहे हैं इन कार्यालयों में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवायें जो अस्थायी हैं उसे स्थायी करने का विचार शासन का है? प्रत्येक जिलों में उक्त श्रेणियों में काम करने वाले हरिजनों का प्रतिशत क्या है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस समय प्रदेश में कोई भी बन्दोबस्त कार्यालय नहीं चल रहा है, शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

पडरौना (देवरिया) के बाढ़ क्षेत्रों में मकानों का अनुदान

1—कुंवर चन्द्रप्रतापनारायण सिंह (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना तहसील, जिला देवरिया में कितने लोगों को कच्चे मकान तथा पक्के मकान बनाने हेतु अनुदान दिया गया जो कि पिछले वर्ष बाढ़ के कारण गिर गये थे ? क्या मंत्री इसकी एक सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

194 कच्चे मकानों तथा 4,757 फूस (छप्पर) के मकानों के लिये 1,77,265, 00 रु0 अनुदान दिया गया । किसी पक्के मकान के क्षतिग्रस्त न होने से पक्के मकानों हेतु अनुदान नहीं दिया गया । मकानों की सूची लम्बी होने के कारण सचिव विधान सभा सचिवालय तथा मेरे कक्ष में माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ रख दी गई है।

मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के क्षतिग्रस्त मकान

2—श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री रामनिहोर राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के तहसील मुसाफिरखाना के परगना, गौरा जामों क्षेत्र के कितने मकानों के गतवर्ष भीषण वर्षा से क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट सरकार को मिली है उनमें कितने किसानों ने तहसीलदार तथा विकास क्षेत्र अधिकारी मुसाफिरखाना के समक्ष मकान बनाने के लिये ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र दिये उनमें कितनों को ऋण दिया जा चुका है तथा कितनों को नहीं और क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

1,724 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुयी थी । 1,047 व्यक्तियों ने क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण/मरम्मत के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था जिनमे से 1,032 व्यक्तियों को 1,61,025 रु0 ऋण बांटा गया । जिन 15 व्यक्तियों

[श्री उदित नारायण शर्मा]

को ऋण नहीं मिला उनमें से 13 व्यक्तियों के पास नियमानुसार प्रतिभूति सम्पत्ति नहीं थी और दो व्यक्तियों के मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुये थे।

बांसगांव, जिला गोरखपुर में चक मार्ग की व्यवस्था

3—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

उत्तर प्रदेश विधान सभा तृतीय सत्र 1971 के 2रे शुक्रवार के नत्थी (क) के लिये पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (7 जनवरी, 1972) के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री जांच कर बतायेंगे कि जो उत्तर में यह कहा गया है कि एक स्थान पर चकरोड की कमी है उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था कराई जा रही है क्या इस कार्य का सम्पादन किया गया या नहीं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिस स्थान पर चक मार्ग की कमी थी वहां उसकी उचित व्यवस्था कर दी गयी।

बाजपुर, जिला नैनीताल में चकबन्दी कार्य

4—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल की बाजपुर तहसील में चकबन्दी का कार्य कब आरम्भ होगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तहसील बाजपुर, जिला नैनीताल का प्रख्यापन उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा 4 (2) 29 फरवरी, 1972 कर दिया गया था परन्तु कुछ विधिक कठिनाइयों के कारण कार्य को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही विधिक कठिनाइयां समाप्त हो जावेगी वैसे ही चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

बरहन ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जे के मामले

5—श्री सिया राम (जिला एटा) तथा श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बरहन तहसील एतमादपुर जिला आगरा में वर्ष 1970–71 और 1971–72 में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से अधिकार किये जाने के मामलों में किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध 115 सी० की कार्यवाही की गई और उक्त ग्राम समाज की कितनी-कितनी अनधिकृत भूमि के लिये किस-किस पर कितना-कितना अर्थ दंड कब-कब किया गया ? उपरोक्त में से कितनी-कितनी भूमि से किस-किस के अवैध कब्जों को दिनांक 15 जनवरी, 1972 तक हटा दिया गया है तथा शेष अवैध कब्जों को न हटाये जाने के क्या कारण हैं और इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है उपरोक्त शेष अवैध कब्जों को कब तक हटा दिया जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम सभा बरहन की भूमि पर अवैध कब्जों की सूची संलग्न है। उल्लिखित दिनांक तक कोई अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सकता था क्योंकि सवा छः एकड़ की मालगुजारी की छूट सम्बन्धी कार्य में स्टाफ व्यस्त था। लेकिन केवल केदार नाथ के मामलों को छोड़कर जिसमें न्यायालय के आदेश से बेदखली की कार्यवाही स्थगित है, दिनांक 11 अप्रैल, 1972 तक उपरोक्त सूची में वर्णित अन्य सभी अवैध कब्जों को हटा कर भूमि पर गांव सभा को कब्जा दिलाया जा चुका है।

(देखिए नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ 488 पर)

6—श्री श्याम लाल कनौजिया, श्री लालसा तथा श्री दलसिंगार यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

गोंडा (बड़गांव) क्रय-विक्रय समिति द्वारा वितरित ऋण

7—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा (बड़गांव) क्रय-विक्रय समिति ने कितने रुपये 1969–70 व 1970–71 में ऋण दिया है ? क्या दोनों वर्ष की पूरी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

आवश्यक सूचना व सूचियां परिशिष्ट (अ) व (ब) पर संलग्न हैं ।

(देखिए नत्थी "ट" आगे पृष्ठ 490 पर)

8—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या यह सत्य है कि बन्धक के रूप में रक्खी हुई वस्तु ऋण वाले वापस ले गये और ऋण का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों इस सम्बन्ध में बन्धक के रूप में रक्खी हुई वस्तु की सूची भी सदन की मेज पर रखने की कृपा की जाय ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां । 11 सदस्य बिना ऋण की अदायगी के अपना बन्धक रक्खा माल वापस ले गये । प्रतीत होता है कि यह बिनसन कोल्ड स्टोरेज ऐण्ड आइस फैक्ट्री, बहराइच रोड, गोंडा के तथा प्रसंगगत क्रय-विक्रय समिति के लेखा लिपिकों की गलती से हुआ ।

प्रसंगत बन्धक रक्खे गये माल की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ठ" आगे पृष्ठ 492 पर)

बरेली के बाढ़ क्षेत्र में मकान बनाने का अनुदान

9—श्री शफीक अहमद खां—

क्या सरकार बतायेगी कि मार्च, 1972 में बरेली जनपद को बाढ़ से क्षतिग्रस्त एवं पीड़ित लोगों को मकान बनाने के लिये कितना रुपया दिया गया और उसमें से कितना रुपया किसानों को वितरित किया गया और कितना बाकी रह गया ? अब यह बाकी रुपया किसानों को देने हेतु जिले को कब भेजा जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मार्च, 1972 में 8,00,000 रुपया आवंटित किया गया था। जिसमें से 84,375 रु0 किसानों को पहली किस्त के रूप में वितरित कर दिया गया था तथा 84,375 रु0 उनको दूसरी किस्त की भुगतान के लिये रजर्व कर लिया गया । इस प्रकार 6,31,250 रु0 बाकी रह गया। जो राजस्व परिषद् को वापस कर दिया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में बरेली जिले को मकानों के निर्माण हेतु 1,97,550 रु0 आवंटित कर दिया गया है ।

देवरिया टेस्ट वर्क अनुदान

10—श्री राम नगीना मिश्र (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले को टेस्ट वर्क के लिये 1971–72 में सरकार ने कितना रुपया किस महीने में किस तारीख को दिया तथा उसमें से कितना रुपया खर्च हुआ शेष रुपया जो खर्च नहीं हुआ उसे सरकार पुनः उस जिले को देगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

देवरिया जिले को 1971–72 में 8,30,000 रु0 16 फरवरी, 1972 को तथा 3,00,000 रु0 6 मार्च, 1972 को आवंटित किया गया। इसमें से उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कुल 24,875 रु0 69 पैसा खर्च हुआ था। बाकी बची रकम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासन द्वारा पुनर्ग्रहीत हो चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में टेस्ट वर्क चलाने की आवश्यकता महसूस हुई तो पुनः टेस्ट वर्क चालू करने पर विचार किया जायेगा। अधूरे कामों को जिले के अन्य प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है।

11—श्री गंगा प्रसाद—

[अस्वीकृत]

सोरांव, जिला इलाहाबाद में हरिजन आवास हेतु आवंटित भूमि

12—श्री रमापति त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के तहसील सोरांव में हरिजन आवास निर्माण हेतु परगनाधीश द्वारा कितनी भूमि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इलाहाबाद जनपद की तहसील सोरांव में हरिजन आवास निर्माण हेतु परगनाधिकारी सोरांव द्वारा 28.35 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

पट्टी, जिला प्रतापगढ़ की चकबन्दी से बाहर के गांव

13—श्री रामकिंकर तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के दो सौ बाइस गांव जो चकबन्दी से बाहर हैं उनमें चकबन्दी कराने पर सरकार पुनः विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक चकबन्दी सर्वे स्टाफ आदि भेजा जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। इन 222 ग्रामों में से 191 ग्रामों का भूमीक्षण करने के लिये सर्वे स्टाफ भेज दिया गया है और इनमें से जो ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के लिये उपयुक्त पाये जायेंगे उनमें चकबन्दी करायी जायेगी। तो शेष 31 ग्राम जिन्हें भूमीक्षण कार्य के पश्चात चकबन्दी के लिये अनुपयुक्त पाया गया था उनमें भी पुराने माप दंड शिथिल करके देखा जा रहा है कि वहां चकबन्दी करायी जा सकती है अथवा नहीं।

14—श्री रामकिंकर तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या उक्त गांव की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूची †संलग्न है।

15—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

---

†छापी नहीं गयी।

रेणुसागर पावर कम्पनी, मिर्जापुर को सरकार द्वारा बेची गई भूमि

16—श्री रामनिहोर राय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मिर्जापुर में रेणुसागर पावर कम्पनी को सरकार ने सन् 1968 से 1972 तक कितने एकड़ भूमि कुल कितने मूल्य की बेची और उसमें से कितना धन प्राप्त हो चुका है तथा कितना बाकी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जनपद मिर्जापुर में मेसर्स रेनुसागर पावर कम्पनी को वर्ष 1968 से 72 तक कोई भी वन भूमि नहीं बेची गयी है । प्रश्न का शेष भाग लागू नहीं होता है ।

इलाहाबाद के बाढ़ क्षेत्र में मकानों का अनुदान

17—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार यह बतायेगी कि बाढ़ से गिरे हुए मकानों के निर्माण के लिये इलाहाबाद में तहसीलवार कितने लोगों को 500 रु0 से अधिक तकाबी दी गई ? क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को मकान के निर्माण के लिये 500 रुपये से अधिक तकाबी नहीं दी गई है । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय दुद्धी, मिर्जापुर का भवन

18—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय दुद्धी, मिर्जापुर को भवन की कठिनाई को दूर करने के लिये वित्तीय वर्ष सन् 1972–73 में भवन निर्माण हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने की ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति के आरक्षण व संरक्षण हेतु गठित नैनीताल की समिति

19—श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के लिये सेवा में आरक्षण व अन्य संवैधानिक संरक्षण के दिये जाने हेतु जिला स्तर पर बनाई गई नैनीताल जिले की समिति में कौन सदस्य हैं और 10 मार्च, 1970 से 10 मार्च, 1972 के मध्य उक्त समिति की कितनी बैठकें हुई ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में प्रत्येक जिले में शासनादेश संख्या 939/छब्बीस-943/65 दिनांक 16 फरवरी, 1970 और तदुपरान्त संख्या 2057/छब्बीस-943/65, दिनांक 10 जनवरी, 1972 के अन्तर्गत जिस रूप में जिला समितियां पुर्नगठित की गई थीं उसका विवरण संलग्न "क" व "ख" में दिया हुआ है । नैनीताल जिले में 10 मार्च, 1970 से 10 मार्च, 1972 की अवधि में संलग्नक "क" में उल्लिखित समिति की चार बैठकें हुई थीं ।

(देखिए नत्थी "ड" आगे पृष्ठ 493 पर)

आजमगढ़ कलेक्टरी में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

20—श्री लालसा—

विधान सभा की बैठक दिनांक 13 मई, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 42 नत्थी (घ) के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि ये कौन-कौन से ऐसे अनुसूचित जाति के कर्मचारी थे जो नौकरी छोड़कर अन्य विभागों में चले गये और नियुक्तियों के सम्बन्ध में शासन की ओर से वह कौन सा ऐसा आदेश है जिसके द्वारा हरिजनों के सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

आजमगढ़ कलेक्टरी में निम्नलिखित तीन कर्मचारी पेड अप्रेंटिस अन्यत्र चले गये:—

1—श्री हरदेव राम—पेड अप्रेन्टिस।
2—श्री मुख राम—पेड अप्रेन्टिस।
3—श्री लालसा राम—सहायक वासिल बाकी नवीस ।

शासनादेश द्वारा ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है जिसके अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई हो । उत्तर प्रदेश छटनी किये गये कर्मचारियों की भर्ती करने की नियमावली, 1967, के अन्तर्गत जारी किये गये शासनादेश सं0 41/2/1967—नियुक्ति (ख), दिनांक 28 नवम्बर, 1968, के अनुसार कलेक्टरी में पेड अप्रेन्टिसों के सभी पद जिन पर बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, छटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु आरक्षित कर दिये गये थे । उपर्युक्त नियमावली की अवधि 23 अक्तूबर, 1971, से समाप्त हो गई है और उसके अन्तर्गत जारी किये गये शासनादेश तद्पश्चात् प्रभावी नहीं रहे ।

तहसील सदर, गोरखपुर में आवंटन हेतु सीलिंग की भूमि

21—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर में भिन्न-भिन्न गांवों में कुल कितनी सीलिंग की भूमि आवंटन हेतु इस समय बची हुई है ? ऐसे गांवों के नाम क्या हैं और शेष भूमि का आवंटन कब तक तथा किस वरीयता क्रम पर किया जायगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर म सीलिंग की कोई भूमि आवंटन हेतु इस समय नहीं बची हुई है । अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

भूतपूर्व उद्योग राज्य मन्त्री, श्री देवकी नन्दन विभव द्वारा अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के संबंध में जारी किये गये परिपत्र के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत आपत्ति

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

नियम 301 में एक प्रश्न आपके सामने रखा है। वह यह है कि माननीय विभव जी की ओर से एक परिपत्र भेजा गया जो हमारे पीजन होल्स में रखा गया है और उसमें यह दिया गया है कि माननीय विभव जी के कार्यकाल में अर्थात् अमुक तारीख से अमुक तारीख तक ये ये उपलब्धियां हुई हैं। जब मन्त्रि-मण्डल का संयुक्त दायित्व है और

इसे आप भी जानते हैं तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर ये इसे सरकार की उपलब्धियां मानते तो कुछ औचित्य हो सकता था लेकिन अगर हर एक मंत्री, जिस काल तक ये मन्त्री रहे हैं, उस काल तक उन्होंने ये ये काम किये हैं, छाप कर परिपत्र जारी करें तो क्या यह ज्वाइंट रैस्पोंसिबिलिटी का हनन नहीं होता है। उसको सरकारी खर्चे से छपवाने और छपवाकर बांटने के बारे में मैंने एक प्रश्न दिया है, उस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष--

मैं उसको अनुचित समझता हूं। किसी मन्त्री जी की ओर से या मन्त्री के बारे में यह कहा जाय कि उन्होंने अपने समय में ये ये उपलब्धियां की हैं, उचित नहीं है। यह तो सरकार की ओर से निर्णय होना चाहिए। यह गलत है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

जो मंशा माननीय सदस्य देहरादून ने व्यक्त की है, शायद उनकी मंशा ऐसी नहीं है। आप पहले देख लें, फिर निर्णय करें ?

श्री अध्यक्ष--

मैं आपके पास भेज दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन, आपने इसे अनुचित कहा है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सन् 1970-71 में उद्योग विभाग की उपलब्धियां। इसमें स्पष्ट दिया है कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक उद्योग विभाग में क्या-क्या कार्य हुए हैं। यह जो चीज है, यह गलत है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

ज्वाइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी तो उनकी रही नहीं। तो अच्छा तो किया उन्होंने बता दिया कि क्या-क्या कार्य किया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन, माननीय मन्त्री जी तो कह रहे हैं...

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन, इसमें उद्योग विभाग की उपलब्धियां हैं। एक तथ्य का वर्णन है कि कितने समय से कितने समय तक रहें।

श्री अध्यक्ष--

इसमें यह भावना जरूर आती है कि एक खास मन्त्री किसी विभाग के यह चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियां जाहिर हो जायं। तो इस प्रकार से अगर अलग-अलग मन्त्री अपनी-अपनी उपलब्धियां बताना शुरू कर देंगे जबकि ये उपलब्धियां सभी मन्त्रियों की होती हैं, तो यह अच्छा तरीका नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपने बिल्कुल ठीक बात कही और आपने कई बार मन्त्रि-मंडल को कहा भी है। उसकी ओर मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। पंडित जवाहर लाल जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी क्या उपलब्धियां थीं। यहां भी पन्तजी या और किसी ने कभी नहीं लिखा ।

यह जानबूझकर इसलिए लिखा जाता है कि जिस मन्त्री के खिलाफ जितनी अधिक ष्टाचार की शिकायत हाउस में पेश होती है, वह किसी न किसी बहाने उपलब्धि दिखाकर विधायकों को प्रभावित करना चाहता है। मैं इसको गम्भीर मसला मानता हूं और नित्यानन्द स्वामी से सहमत हूं कि आपका इतना कह देना काफी नहीं होगा। जहां तक मन्त्रिमण्डल का सवाल है, यहां वर्मा जी रहे। एक बार शपथ गलत हो गई थी तो मन्त्रि-मण्डल ही भंग हो गया। उस समय बाबू माधव प्रसाद जी लीडर थे अपोजीशन के। यह देवकीनन्दन विभव ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और ऐसा जितने मन्त्रियों ने किया है, मैं आपसे कहूंगा कि आप आदेश दें कि उनसे यह वसूल किया जाय और मुख्य मन्त्री उनके खिलाफ कार्यवाही करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, विभव जी को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, अमूमन जो मन्त्रि-मण्डल बनता है वह चुना जाता है मुख्य मन्त्री द्वारा। परन्तु यह जो मन्त्रि-मण्डल बना है इसकी अप्वाइंटिंग अथारिटीज जो हैं वे डिफरेंट हैं। किसी को प्राइम मिनिस्टर ने चुना । किसी को हमारे मुख्य मन्त्री ने चुना या सेलेक्ट किया तो अगर ये भिन्न-भिन्न रूप से अपना रूप प्रकट करते हैं तो उसमें कोई हज नहीं है। हम बंशीधर पांडेय जी से सहमत नहीं—जैसी कैबिनेट है ये उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

ऐसा भी जोड़ दीजिये कि कुछ यशपाल कपूर के भी चुने हुए लोग हैं।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह मामला गम्भीर है । मान्यवर, जब से यह परम्परा चली है पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की तब से ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी मानी गई है और उसी के आधार पर गवर्नमेंट चलती है। विभव साहब ने जो किया तो किया। माननीय वित्त मन्त्री जी संसदीय कार्य मन्त्री भी हैं और हम एक्सपर्ट मानते हैं उनको, आपने सपोर्ट कर दिया। आप कहते हैं ठीक ही कहा, थोड़ा तर्क लगाने की कोशिश की है, यह देख लिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और मन्त्रि मण्डल को बर्खास्त करें तो कम से कम इन दो मन्त्रियों के बारे में विचार कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने अभी देखा तक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर मन्त्री अकेले अपनी रिपोर्ट छपवाते हैं तो मुझे इनके कांडों पर अकेले-अकेले डिस्कस करने का अधिकार भी दे दीजिये। हमारी राय भी ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि मैंने अपना फैसला दे दिया ।

श्री बंशीधर पांडेय—

आपके फैसले का क्या प्रभाव पड़ रहा है देवकी नन्दन विभव की कार्य प्रणाली पर ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आखिर मान्यवर, कौन सी खास बात थी कि विभव जी को सफाई देनी पड़ रही है और छपवाने पड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने फैसला दे दिया। उसके बाद उनकी ओर से आया कि उन्होंने देखा भी नहीं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने तो पढ़कर ही सुना दिया। अक्लमन्द को तो इशारा ही काफी होता है।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि मुझे अपने पचासवें प्रश्न के बारे में गलत उत्तर मिला है।

श्री अध्यक्ष—

इस चीज को आप हमारे कमरे में कहिये ।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अगर गलत उत्तर मिला है तो ये कहां जायं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह तो दिया कि मेरे कमरे में आ सकते हैं।

समाजवादी दल की मान्यता तथा टेलीफोन की सुविधा समाप्त किये जाने पर आपत्ति (क्रमागत)

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब सदन की पिछली बैठक स्थगित हुई तो उसके उपरान्त एक हमको सूचना मिली आपके कार्यालय से कि यह फैसला लिया गया है कि हमारे दल की मान्यता खत्म कर रहे हैं और उसके साथ जो उपलब्धियां दल को मिली हुई हैं, उसे छीन रहे हैं, जैसे टेलीफोन है, बैठने के लिये कमरा है, आदि। जब सेशन चलता है तब हमको चपरासी मिलता है केवल सेशन भर के लिये। मैंने उस बीच में आपको एक प्रतिवेदन दिया। मालूम नहीं वह पढ़ा गया कि नहीं या आपकी जानकारी में लाया गया कि नहीं, उस पर कोई छानबीन नहीं की गई। बहरहाल, इतना तो सही है कि हमको सुनने का मौका नहीं दिया। उसके बाद फिर एक दिन यह आदेश पहुंच जाते हैं कि अब यह बिलकुल फैसला ले लिया गया है कि कमरा खाली कर दिया जाय और टेलीफोन सरेंडर कर दिया जाय। मैंने आपको इस बीच तकलीफ दी और टेलीफोन किया। मैं आपको यह याद दिला दूं कि आपकी उम्र ज्यादा है, आप जईफ हैं और कमजोर भी, इसलिए यहां आप विधान सभा आफिस में ज्यादा देर रह नहीं पाते इसलिए मुझे घर पर टेलीफोन करना पड़ा। लेकिन पता नहीं क्यों आपने टेलीफोन उठाकर रख दिया और बात नहीं की।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

मान्यवर, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह अशिष्टता थी और आपकी कुर्सी के लिए यह व्यवहार शोभ्य नहीं था, लेकिन इतना ही कहूंगा कि आपने सुना नहीं। उसके बाद फिर हमने उपाध्यक्ष महोदय की नोटिस में यह बात लाने का प्रयास किया और उन्होंने सुना। सवाल यह था कि आपके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वर्मा जी ने यह फैसला लिया था कि 25 से कम की मान्यता न दी जावे और उसमें यह भी कहा कि किसी स्पीकर कांफ्रेंस की यह रूलिंग है और यह निर्णय लिया गया है। मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं स्पीकर्स कांफ्रेंस में चाहे जो निर्णय लिया गया हो, जब तक उसको बाकायदा हमारे नियमों में शामिल नहीं कर लिया जाता था सदन उस पर कोई फैसला न ले ले, तब तक कोई भी नियम लागू नहीं किया जा सकता। अगर उस तरफ आप ध्यान दें तो कांफ्रेंस ने जो निर्णय लिये थे उनकी रिपोर्ट में एक निर्णय यह भी था कि जो विरोधी दल के सचेतक हैं उनका अलग कक्ष हो, उन को चपरासी दिया जाय, उनको टेलीफोन करने की सुविधा दी जाय और जो डिप्टी मिनिस्टर का स्तर हो उनको दिया जाय। लेकिन ऐसे कामों की तरफ ध्यान नहीं जाता। ऐसे काम जिससे इफेक्टिव कार्यवाही कर सकें उसको बढ़ाने में न तो आपकी दिलचस्पी है और न इस पर सरकार की। बल्कि सारी कार्यवाही इस तरह से होती है कि प्रभावकारी ढंग से कार्य न हो सके।

मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट में लाबी में ही यह सुविधा है कि आप टेलीफोन कर सकते हैं और टाइपिस्ट रहता है प्रत्येक सदस्य जो चाहे टाइप कराकर उसको अध्यक्ष जी के पास भेज सके। यह सुविधा यहां हर एक मेम्बर को मिलनी चाहिए। तो जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए वह तो आप न दें और पहले से मिल रही है उसको आप समाप्त करें। मान्यवर, अगर आप समाप्त करने का फैसला ही करना चाहते हैं तो सारे दलों की बैठक बुलाकर यह किया गया होता, तो यह मान लिया गया होता। मैं आपसे मान्यवर कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा विशेष व्यक्ति है जो इस काम में दिलचस्पी लेने की कोशिश कर रहा है कि सोशलिस्ट पार्टी को यह मौका न मिले। किसी न किसी आदमी को दिलचस्पी जरूर है और वह आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है और जो कुछ चाहता है, आपसे करवा लेता है। मैं उस रूलिंग का हवाला देना चाहता हूं कि जो व्यवस्था की गयी है, उस पर भी अमल नहीं किया गया। 25 से कम संख्या की मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन उस वक्त स्वतन्त्र पार्टी, जिस की संख्या केवल 14 थी, और यह बराबर सभी प्रिवेलेज एंज्वाय करती रही, किसी तरह कोई करटेलमेंट नहीं हुआ। 10, 11 तक भी लोगों को मिली। सोशलिस्ट पार्टी की आज उससे ज्यादा संख्या है।

मैं मान्यवर, आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त सदन की परिस्थिति क्या है। हम लोग 33 चुनकर आये थे। लेकिन, पद, औरत, शराब का लालच दिया गया और वह संख्या कम हो गयी। यह सरकार आज अपने इन कुकृत्यों से सभी दलों को क्षीण कर रही है। इस जगह कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं है जो आपके टेस्ट में खरा उतरे। तो जो फैसला हो, वह यहां की स्थिति को ध्यान में रखकर होना चाहिये। एक बाबा-आदम के जमाने की रूलिंग की तहत में हमारी मान्यता खत्म न करें। यह जो फैसला हुआ है, एकतरफा हुआ है और प्रेजीडिशियल है। आपको चाहिये कि सारे दलों के नेताओं की बैठक बुलायें और तब कोई निर्णय लें। हमको मान्यता मिलनी चाहिये। लेकिन आपने हमारे निवेदन को ठुकरा दिया। मैंने टेलीफोन किया तो उसको भी पटक दिया और चले गये। फिर मैंने मिलाया तो चाहे चपरासी रहा हो या क्लर्क रहा हो, उसने आप तक हमारा सन्देश नहीं पहुंचाया। आज आपकी उमर बहुत ज्यादा हो गई है। हाथ-पैर तो काम करते नहीं, आप अपने माइन्ड को भी नहीं अप्लाई करते हैं और ऐसी हालत में गलत फैसले यहां हो जाते हैं। मान लीजिये हमारे दल की संख्या कम

हो गयी है तो आखिर उस कुर्सी पर कितनी उमर तक बैठने का हक है। ये सारी चीजें उसी के साथ जुड़ी हुई हैं। उसका भी फैसला होगा, तभी इसका फैसला होगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज इसके ऊपर आपका फैसला हो जाना चाहिए कि सारे लोगों को अपने कमरे में बुलाकर एक बैठक करायें और तब कोई निर्णय लें कि इस दल की मान्यता रहनी चाहिए कि नहीं। अगर यह नहीं होता है तो इस सदन की कार्यवाही में हम व्यवधान उत्पन्न करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। आपका एक सुझाव आया। उसको मैं देखूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, अभी जो बातें जायसवाल जी ने कही हैं, यह विचारणीय विषय है। उनकी संख्या किन परिस्थितियों में कम हुई। यह बड़ा दुखद प्रसंग है। यह सब हमारे नाबालिग मिनिस्टर ही बता सकते हैं। क्योंकि ये सारी परिस्थितियां उस दल के द्वारा पैदा की गयी हैं। तो मान्यवर, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि विरोधी दल आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसलिए श्रीमन्, अच्छा तो यही होगा कि हम लोगों को बुलाकर निर्णय लें। इसके पहले कदाचित 8 तक की संख्या को सुविधा दी गयी थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वह 7 थी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर इन परिस्थितियों में थोड़ा अपना डिस्क्रेशन हमारे फेवर में दें। आज विरोधी पक्ष पर आक्रमण हुआ, धन से पद से और दूसरे लालच से । हम उस आक्रमण से त्रस्त हैं। अभी जायसवाल जी ने जो बात की वह ठीक है कि आप सभी दल के लोगों को अपने कमरे में बुलाकर एक कमेटी की बैठक हो उनके भी विचार आयें और हम लोगों के भी परामर्श लें और तब कोई निर्णय लें। तो अच्छा होगा कि जो उनको सुविधा दी जा रही है, वह दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

उस बात को मैं सपोर्ट करता हूं। वह मैं बुला लूंगा। बात यह है कि मैं एक चीज सोच रहा था कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर हो वह शायद मदन मोहन वर्मा जी का है। पहले मैंने यह किया था कि जिस पार्टी का चुनाव बाहर होता है, पार्टी की हैसियत से होता है, उसकी तादाद कुछ भी हो, वह यहां पर अगर रहती है तो मैं उसको मान्यता दूंगा। यह मैंने शुरू किया था। उसके बाद कभी बीच में किसी पार्टी का सवाल निकला, उस वक्त मदन मोहन जी ने तय किया था। इसको मैं पढ़े देता हूं—"मैं यह सोच रहा था कि किन सिद्धान्तों के आधार पर मान्यता की व्यवस्था इस आदरणीय सदन में की जाय ताकि भविष्य में यह स्पष्ट रहे और सबको ज्ञात हो जाय कि-किन आधारों पर मान्यता दी जायेगी। तो अधिक विवाद में न पड़कर मैंने जो मान्यताएं लोक सभा में प्रचलित हैं और स्वीकृत हैं उन्हीं मान्यताओं को स्वीकृत करके यह निर्णय किया है। हम भविष्य में उन्हीं पार्टियों को और उन्हीं ग्रुप्स को मान्यता देंगे जो सिद्धान्तों के अन्तर्गत आती है कि जिन सिद्धान्तों पर लोक सभा में पार्टियों और ग्रुप्स को मान्यता दी जाती है। उसमें दो शर्तें हैं। एक तो यह है कि जिस पार्टी के समान सिद्धान्त हों, कार्यक्रम हों, और उन्हीं सिद्धान्तों और कार्यक्रमों की घोषणा करके वह एकेमबल लड़ती हो। एक तो यह शर्त है।

[श्री अध्यक्ष]

दूसरी शर्त यह है कि उसके कार्यक्रम सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी रहें। उसका एक संगठन रहे और वह सदन के अन्दर और सदन के बाहर अपने सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यरत रहें ।

तीसरी शर्त जो लोक सभा ने अपनी मान्यताओं के सम्बन्ध में रखी है वह यह है कि सदन में 499 सदस्यों में से कम से कम ऐसे ग्रुप का नम्बर 30 हो, यानी संख्या सदन में 499 में से 30 होनी चाहिये तभी ग्रुप को मान्यता दी जायगी। वहां पर चूंकि 499 सदस्य हैं, और इस सदन के सदस्यों की संख्या 431 है, अतः उसी अनुपात के हिसाब से 25 से कम कुछ संख्या आती है। परन्तु वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और सब बातों का ध्यान रखते हुए मैंने जो स्वयं अपना सिद्धान्त ग्रहण किया है वह यह है कि ग्रुप को भी मान्यता उसी दिशा में दी जायेंगी, यदि जो दो शर्त मैंने आपके सामने रखी हैं उनकी पूर्ति होती हो और संख्या में वह ग्रुप में कम से कम 25 सदस्य रखता हो।" तो यह उनका फैसला है और....

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, वर्मा जी का फैसला तो आपने सुना दिया। लेकिन जहां तक मुझे याद है, सचिव उस काम में हमारी और आपकी मदद करते हैं, आप उनसे मदद ले लें—सन् 62 से 67 की अवधि में मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या क्या थी और क्या 62 से 67 के बीच स्वतन्त्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी की मान्यता समाप्त की गयी इस आदेश के बाद? यही नहीं, आप यह देखें कि अगर यह नहीं हो सका है तो यह निर्विवाद तय हो गया कि जो व्यवस्था उन्होंने दी वह व्यवस्था तो दे दी लेकिन उसको लागू करने का काम नहीं किया और लागू करने का काम तबसे लेकर अब तक नहीं किया गया। उस काम को श्रीमन्, आप करने जा रहे हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस काम को करने के लिये क्या आज आवश्यकता पड़ गई।

जायसवाल जी जो कहते हैं, उसको अगर हम न भी मानें कि किसी व्यक्ति का हाथ है, मैं उसको मानने के लिए मजबूर नहीं हूं, लेकिन प्रश्न सामने यह जरूर आ जाता है कि वह कौन-सी बात थी कि 61 और 67 के बीच जो व्यवस्था इस सदन में हुई वह 67 के आम चुनाव के बाद नहीं लागू हुई और 69 के चुनाव के बाद आज तक नहीं लागू हुई लेकिन लागू कब हो रहा है ? आप उसमें सर्वाधिक प्रभावी स्थिति में रह सकते हैं । मौजूदा सोशलिस्ट पार्टी जिसके लीडर बाहर राजनारायण जी हैं और अन्दर हैं अनन्तराम जायसवाल। उस दल के बीच में झगड़ा है यह चार्ज है। जो बातें बाहर हैं होती हैं उनमें यह भी कहा जाता है कि यह वही राजनारायण जी हैं जो प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे । यह बात है जिस बात पर चर्चा चल रही है । मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि प्रजातांत्रिक मान्यताओं में विश्वास रखने की आवश्यकता है । जैसी कि माननीय मदन मोहन वर्मा जी ने व्यवस्था दी वह नहीं लागू हो सकी और अब आप उसको लागू करने का कष्ट न करें । वर्तमान विधान सभा का आधा समय व्यतीत हो चुका है । केवल ढाई वर्षों के लिये इसको क्यों करने जा रहे हैं । कृपा करके आप इसको न करें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो यह चीज कहता हूं कि जितने लीडर्स हैं हर पार्टियों के बैठकर इस बात को तय कर लें कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिये। आपने कहा कि हमारे बहुत से लोग बहक कर चले गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, उनको प्रलोभन देकर हटाया गया ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

पहले माननीय नारायण दत्त जी मेरी बात को सुन लें तब उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें जवाब देने का कोई सवाल नहीं है, नारायण दत्त जी को आप सुनें तो ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

यह तो आप जानते ही हैं कि मैं पहली बार संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते इस प्रश्न को सुन रहा हूं । सरकार का कोई भी विचार नहीं है और हम इसको सोच भी नहीं सकते हैं कि सम्मानित पार्टी के अधिकारों का हनन हो अथवा उसका आफिस छिने । मैं तो आग्रह करूंगा कि जैसा कि हमारे सम्मानित नेता सोशलिस्ट पार्टी ने कहा है आप दलों के नेताओं को बुला लें । हम तो इस बात को सोच भी नहीं सकते हैं जो सुविधायें उनको मिल रही हैं वे छीनी जायें । इसमें हमको कोई भी एतराज नहीं है । आप अवश्य उनको सुनें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो टेलीफोन काटने के लिये आया था उसको नहीं कटना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

टेलीफोन रहेगा अभी । जब पेंडिंग क्वेश्चन है तो रहेगा ही ।

पुलिस आयोग, 1970–71 की रिपोर्ट†

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग, 1970–71 की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इस पर कभी चर्चा भी होगी ?

श्री अध्यक्ष—

अभी तो मैं नहीं कह सकता हूं । यह बैठक तो 4 तारीख तक है । इसलिये इसमें तो होगी नहीं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इससे तो आप सहमत हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

इसके ऊपर आप लिख कर भेज दें ।

---

† छापी नहीं गई ।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)--

यह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें सरकार की बड़ी कमियां रहीं हैं। अतः इस पर संसदीय कार्य मंत्री 4-5 दिन की बहस करवा दें।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) --

मेरे साथी तो कई वर्ष तक शासन में रहे हैं। अभी तो यह सदन के समक्ष आयी है। अभी शासन को निर्णय लेना है। वह निर्णय ले लें तब विचार हो सकेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, इस रिपोर्ट में तो इनके कपड़े उतार कर बिल्कुल नंगा कर दिया है। इस लिए पहले चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दीजिएगा, विचार कर लेंगे।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तीसरा संशोधन) नियमावली, १९७२†

परिवहन उप मंत्री (श्री आबिद अली)--

श्रीमन्, मैं परिवहन विभाग (अनुभाग-4) की विज्ञप्ति संख्या 887-टी/ती/स/44-23-पी-71, दिनांक 23 मई, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तीसरा संशोधन) नियमावली, १९७२ को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

विश्वनाथ कपूर जी का एक विशेषाधिकार के सम्बन्ध में प्रश्न आया है। "माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में मसौदा अनुसन्धान केन्द्र के श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी देना बन्द कर दी गयी है। यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)--

व्यवस्था का प्रश्न है। आप माननीय जायसवाल जी की ही भाषा समझते हैं या हम लोगो की भी बात सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपके नेता की भी बात सुनता हूं। मंत्री जी की तरफ से उसका जवाब यह दिया गया। "अनुसन्धान केन्द्र के श्रमिकों को कभी भी साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती है।" उसके बाद जब पूरक प्रश्न पूछे गयेनियम 49 पर और इसके ऊपर चर्चा हुई उसमें श्याम सूरत उपाध्याय जी ने कहा कि यह सही है कि मसौदा अनुसन्धान केन्द्र के श्रमिकों को 5 सितम्बर, 1970 तक यह छुट्टी दी जाती थी। उस वक्त तक यहां के अधिकारियों को इस जी० ओ० का साउ नहीं था कि इनको छुट्टी नहीं देनी चाहिये। इस वास्ते वह बन्द कर दी गयी। तो यह उसमें अन्तर।

---

† छापी नहीं गई।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

इसको आप पढ़ दें लेकिन जरा हमको सुन कर तब कोई निर्णय दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—

निर्णय तो मैं फैक्ट्स के ऊपर दूंगा।

श्री विश्वनाथ कपूर—

बात यह है कि प्रश्न मैंने यह पूछा था कि मसौदा के श्रमिकों को क्या साप्ताहिक छुट्टी देना बन्द कर दिया गया है । यदि हां, तो किन कारणों से? इसका डाक्टर सीताराम जी ने यह उत्तर दिया कि उनको कभी छुट्टी दी नहीं गयी लिहाजा बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अगर चाहते तो अपना शोधन वक्तव्य दे सकते थे, मगर उन्होंने कोई शोधन वक्तव्य नहीं दिया । कल जब मैंने लिख कर दिया तो यह नियम 49 के अन्तर्गत आया । वह अधिकारी वहां पर सन् 68 से हैं, उनका नाम मिस्टर दीक्षित है । तो यह कहना कि उनको ज्ञान नहीं था गलत है । इन्होंने जान बूझ कर गलत बयान दिया है। कृषि मंत्री सीताराम जी को शोधन वक्तव्य देना चाहिये था, पर उन्होंने जान बूझ कर उसको छुपाया । अब अगर इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो अधिकारी निरंकुश हो जायेंगे और फिर यह सरकार नौकरशाही पर घुड़सवारी नहीं कर पायेगी । आप दोनों उत्तरों को देखें, उनमें पहले कुछ कहा है फिर कुछ कहा है । इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जब तक कपूर साहब यह न बतलावें कि कानूनन छुट्टी दी जा सकती थी और उसे विदड्रा कर लिया गया और वे लोग छट्टी पाने के अधिकारी थे तब तक यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। (व्यवधान)

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, कल इस पर आधा घंटा की चर्चा हुई । प्रश्न में यह पूछा गया था कि क्या इस तरह की छुट्टी दी जाती थी । छुट्टी 5 दिसम्बर, 1970 से पहले दी जाती रही, यह सवाल अलग है । इधर साल डेढ़ साल में नहीं दी गयी । अधिकारी ने यह समझा कि इधर हाल के समय से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और इधर कोई छुट्टी नहीं दी गयी थी, अतः वह जवाब दिया गया । कल आश्वासन दिया गया था कि इस पर सरकार विचार कर रही है कि इनको साप्ताहिक छट्टी दी जाय या नहीं।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, फार्म अधीक्षक की गलती कहिये या निर्देशक की, मगर उनको यह छुट्टी मिलती रही है । तो प्रश्न यह पूछा था कि क्या साप्ताहिक छुट्टी मिलती है, उसका उत्तर दिया था कि कभी नहीं होती है । अब कहा कि पहले हुआ करती थी, इधर साल भर से नहीं हुई। तो जो कानून आपने बनाया है उसका उल्लंघन हुआ है । क्या उसके दोषी आप नहीं हैं ? जो गलतबयानी आपकी हुई है, यह मान्यवर, मैं समझता हूं कि बहुत साफ है ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात सही है कि पहले एक तरह का स्टेटमेंट दिया और जब नियम 49 पर बहस हुई तो दूसरा जवाब दिया गया । पहले जो जवाब दिया तो अधिकारियों की तरफ से जो कुछ आया उस आधार पर दिया और उनका एक्सप्लेनेशन यह है कि वह यह समझें कि छुट्टी दी जाती होगी । जिस वक्त जवाब दिया गया उस वक्त बन्द हो चुकी थी ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

कृषि मंत्री जी ने जो कहा कि जानकारी नहीं थी तो मान्यवर चार चिट्ठियां लिखी गयीं । लेबर इंस्पेक्टर को लिखा गया । लेबर इंस्पेक्टर ने कहा कि छुट्टी दी जाय। इन्होंने इनकार कर दिया । इस पर लेबर इंस्पेक्टर ने कहा कि यह नहीं मानते हैं तो लेबर कोर्ट में जायं। मान्यवर, अगर कहें तो वह पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता । जो सदन में आया उसे मैं सुना दूं । पहले जवाब यह आया कि कभी छुट्टी नहीं दी गयी । यह दफ्तर के बाबुओं की तरफ से आया । चूंकि प्रश्न साल डेढ़ साल पहले पूछा गया था....

श्री विश्वनाथ कपूर—

18 अप्रैल, 1972 को जवाब दिया था।

श्री अध्यक्ष—

72 में तो नहीं दी जाती है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

छुट्टी बन्द करने का प्रश्न उठता नहीं।

श्री अध्यक्ष—

जब नियम 49 के अन्तर्गत बहस हुई तो आपने कागजात देखे होंगे कि कभी दी गयी या नहीं । उन्हें मालूम पड़ा कि पहले दी गयी । यह जो आर्डर वह बताते हैं कि जिस आर्डर के द्वारा नहीं दी जानी चाहिये थी और वह आर्डर इनके सामने पढ़ा तो इन्होंने आपके सामने साफ कह दिया कि पहले दी गयी और यहां तक कि दी गयी और उसके बाद जब आर्डर बताया गया तो तब से बन्द है। सन् 70 से बन्द है । जब तक यह साफ न हो कि मुगालते में रखने का प्रयत्न मंत्री ने किया है तो मंत्री के ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं आ सकता।

श्री रामबिलास पांडेय—

यहां पर बराबर यह कहा जाता है कि बाबुओं की वजह से गलतबयानी हो गयी और आपकी तरफ से छूट मिलती रही है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री अपने विभाग के प्रति जिम्मेदार होते हैं । बाबुओं की गलती बताकर वे निकल जायं तो यह ठीक नहीं है । यह जिम्मेदार हैं और इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं आयेगा। प्रश्न यह आयेगा कि अधिकारी ने जो जवाब दिया वह गलत दिया और इससे इनको मुगालता हो गया । जिस वक्त नियम 49 में प्रश्न आया तो डिटेल्ड इंक्वायरी की और उसमें पता चला कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक छुट्टी दी गयी है और जब तक उस आर्डर का जिस आर्डर से छुट्टी नहीं होनी चाहिये थी ज्ञान नहीं था छुट्टी दी गयी । जिस वक्त आर्डर का पता चला तब से छुट्टी बन्द हो गयी। उन्होंने एक तरह से 49 के नियम में यह चीज स्पष्ट कर दी। आप अड़े रहते, लेकिन आपने कहा कि सही बात यह है। उन्होंने गल्ती कबूल कर ली। आपका काम यह है कि पहले जो जवाब दिया, जिस शख्स ने दिया, उसकी इंक्वायरी करें और उनके ऊपर जो कुछ ऐक्शन लें उस ऐक्शन के बारे में सदन को बता दें । विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठेगा।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उन्होंने पूरे फैक्ट्स पहले क्यों नहीं भेजे थे।

श्री अध्यक्ष--

वह आप सदन में पेश कर दें।

श्री रामबिलास पांडेय--

भविष्य में ऐसी गलती न हो इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सदन से क्षमा याचना करें।

श्री अध्यक्ष--

बात को पहले देख लेना चाहिये।

समितियों के चुनावों के स्थगन की घोषणा

श्री अध्यक्ष--

एक यह है माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने यह कहा है कि समिति का चुनाव 31 जुलाई को होना है, यह निश्चित किया गया है। 31 जुलाई और एक अगस्त को जनसंघ का और साथ में एस0एस0 पी0 का कुछ विशेष प्रोग्राम है, अतः चुनाव दो दिन टाल दिया जाये। उन्होंने निवेदन किया है कि बजाए 30, 31 और पहली के दूसरी या तीसरी तारीख के लिये यह रखा जाए। तो मैं समझता हूं, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिये। हमेशा से ऐसा होता भी रहा है। तो आप आपस में बातचीत भी कर लें, चुनाव न हो तो और अच्छा है। यों विदड्रा की आज आखीरी तारीख है।

कार्य सूची तथा मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्यों में सूचना देने वाले सदस्यों के नाम न छापे जाने पर आपत्ति

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज तीन वक्तव्य हैं। प्रतापगढ़ जिले में है जे के प्रकोप के संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य। दूसरा है मसौधा कार्ड बोर्ड फैक्टरी, फैजाबाद में श्रमिकों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य, तथा तीसरा है राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर के छात्रों का वार्षिक परीक्षाफल रोके जाने के संबंध में शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य। मान्यवर, ये तीन वक्तव्य तीन प्रकार के हैं। पहले वाला जो वक्तव्य पढ़ा जाने वाला है, उसकी हेडिंग दी गई है कि विधान सभा सदस्यगण सर्वश्री शम्भू नाथ चौधरी, त्रिलोक चन्द तथा राम किंकर द्वारा प्रतापगढ़ जिले में अतिसार तथा हैजे की महामारी के विषय में विधान सभा कार्य नियमावली के नियम 52 के अन्तर्गत दी गई ध्यान आकर्षण नोटिस पर स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य। तो इसमें तो नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम दिये गये हैं, लेकिन जो 8 और 9 हम लोगों ने दिया है, उसमें किसी सदस्य का नाम नहीं है। इन वक्तव्यों के शीर्षकों को आप देख लें। तो दो दो संगठन कांग्रेस के स्वीकार हुए हैं, उसमें हमारा नाम नहीं छपा है तो यह भेदभाव क्यों है? क्या कार्यालय में कोई व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है?

श्री अध्यक्ष--

ये जवाब तो संबंधित विभागों से आते हैं, उनमें कुछ नाम दे देते हैं, कुछ विभाग नाम नहीं देते हैं। एजेंडे पर किसी का नाम नहीं रहता है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

पहले भी यह हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

तो आप चाहते हैं कि नाम आने चाहिये ? एजेंडे और वक्तव्य क्या दोनों पर आप नाम चाहते हैं ?

कुछ सदस्य—

जी हां, हम यही चाहते हैं कि दोनों पर नाम दिये जायें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, नाम दे दिये जाया करेंगे। तो मैं इस बात की हिदायत दिये देता हूं कि जो यहां पर वक्तव्य छप कर आयें, उस पर संबंधित सदस्यों का नाम भी दिया होना चाहिये। ऐसा ही एजेंडा पर भी हो।

श्री विश्वनाथ कपूर—

धन्यवाद।

प्रतापगढ़ जिले में हैजे के प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

माह अप्रैल, 1972 में जनपद प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में कुछ छुटपुट केस है जो अतिसार के आये थे। इस माह में रोग ग्रस्तों की कुल संख्या 10 थी, जिसमें से तीन की मृत्यु हुई। रोग के फैलने की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त रोग ग्रस्त ग्रामों तथा उनके आस-पास के ग्रामों में रोग निरोधक कार्यवाही विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दी गई। अप्रैल और मई माह में हैजा निरोधक अभियान चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 7729 हैजा निरोधक टीके लगाये गये तथा 699 कुओं में दवा डाली गयी। मई माह में रोग-ग्रस्तों की कुल संख्या 56 रही जिसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

चुनावों तथा विधान सभा की बैठकों के कार्यक्रम में परिवर्तन की प्रार्थना

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने माधव प्रसाद जी के पत्र का जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा था कि 31 और पहली को चुनाव न हों। इसके बाद लिखा था कि 31 और पहली को छुट्टी रहे क्योंकि 31 को जनसंघ का डिमांस्ट्रेशन है और पहली को एस० पी० का डिमांस्ट्रेशन है। कांग्रेस डिमांस्ट्रेशन हुआ था और हाउस बन्द रहा था।

श्री अध्यक्ष—

हाउस का बिजनेस चेंज नहीं होगा, कार्यमन्त्रणा समिति तय कर चुकी है, हम लोग टाइट हैं आगे।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

9 अगस्त को हाउस बन्द हुआ। जब कांग्रेस का कोई डिमांस्ट्रेशन हो तो हाउस बन्द हो सकता है, तो अगर अन्य पार्टियों का डिमांस्ट्रेशन हो तो क्यों नहीं बन्द हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—

यह सबका मामला है। यह सब रिजनरेट होने वाला है, सब बदलने वाले हैं।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

दो दिन बढ़ जाय ।

श्री अध्यक्ष—

दो दिन कैसे बढ़ जायगा । 4 तारीख तक निश्चित है ।

प्रतापगढ़ जिले में हैजे के प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

पूर्ण सतर्कता बरतने के बावजूद जून में उक्त महामारी का प्रकोप अधिक रहा। इसका एक कारण शादी ब्याह का सीजन तथा दूसरा अत्यधिक गर्मी का पड़ना था। इस माह में में कुल 361 व्यक्तियों के रोगग्रस्त होने की सूचना मिली जिसमें से 140 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बीमारी की रोक-थाम का अभियान इस माह पूरी तेजी से जारी रहा। कुल 41,853 व्यक्तियों को हैजा निरोधक टीके लगाये गये तथा 6,641 कुओं में दवा डाली गयी।

महामारी की उपर्युक्त भीषण स्थिति का सामना करने के लिये स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई तथा इस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत की गई। वहां पर पांच सहायक संक्रामक अधिकारी, एक नर्सिंग असिस्टेंन्ट इस कार्य के लिये नियुक्त किये गये हैं। स्वयं अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी अपने समस्त कर्मचारियों के साथ रोग की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान में तत्पर हैं। अतिरिक्त दवाइयों की भी आवश्यकतानुसार समुचित व्यवस्था कर दी गई है।

जुलाई माह में जून की अपेक्षा महामारी का जोर काफी कम हो गया है, किन्तु अभी भी कुछ क्षेत्रों में बीमारी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाया है। जुलाई के प्रथम पखवारे में कुल 54 व्यक्ति रोगग्रस्त हुए तथा 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। कुल 13,981 टीके लगाये गये हैं और 5,701 कुओं में दवा डाली गई है। बीमारी पर नियंत्रण पाने हेतु अभियान पूरी तेजी से अब भी जारी है तथा हर प्रयास किये जा रहे हैं। सहायक निदेशक (द्वितीय मण्डल) स्वयं वहां जा कर स्थिति का अध्ययन तथा हैजा/अतिसार अभियान का समुचित संचालन कर रहे हैं।

उक्त जनपद में बीमारी की स्थिति 15-7-72 तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस प्रकार है। महामारी प्रारम्भ होने से 15-7-1972 तक कुल 481 व्यक्ति रोगग्रस्त हुए जिनमें से 168 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बीमारों के मल के नमूने जो परीक्षण हेतु जिले से भेजे गये थे उनमें से केवल एक केस में हैजे के कीटाणु मिले। कुल 63,563 हैजा निरोधक टीके लगाये गये हैं। तथा 13,041 कुओं में दवा डाली गई।

यहां पर भी उल्लेखनीय है कि प्रतापगढ़ जिले का समीपवर्ती जिला सुल्तानपुर भी महामारी के लपेट में था। अतः यह स्वाभाविक है कि संक्रमण का प्रारम्भ उस जिले से हुआ हो। हैजा निरोधक कार्यवाही से सुल्तानपुर में स्थिति अब पूर्ण रूप से नियंत्रण में है।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय मन्त्री जी ने जैसा बयान दिया 168 आदमी मरे हैं, बयान से जाहिर होता है कि महामारी बराबर बढ़ती जा रही है, जून के एक महीने में 140 आदमी मरे। अधिकारी कहते हैं कि काम कर रहे हैं। लेकिन यह साबित हो गया है कि जिनको काम सौंपा गया है वह असफल हैं। इन सब वाकयात को देख कर क्या आप ऐसी विशेषज्ञों की कमेटी मुकर्रर करेंगे जो इन दोनों जिलों में जाकर अच्छी तरह से इसके कारणों की रोकथाम करके, सर्वे करके, अपनी रिपोर्ट दें जिससे इसका मुकाबला किया जा सके ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, जहां से भी इस प्रकार की सूचना मिलती है वहां पर हम अधिक से अधिक फोर्स लगाते हैं। दवाइयां भेजते हैं, रुपया मंजूर करते हैं और जब तक उस पर काबू नहीं पा लेते हैं तब तक बराबर हमारा हमला जारी रहता है। हमने इस पर लगभग काबू पा लिया है और जुलाई में हमें आशा है कि पूर्ण रूप से हम इस पर काबू पा लेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

481 व्यक्ति रोगग्रस्त हुए और 163 मर गये यानी एक तिहाई से ज्यादा। माननीय मन्त्री जी जांच करेंगे कि क्या दवा में कोई गड़बड़ी थी जिसकी वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई? इसके अलावा पाखाने की जांच हुई तो उसमें एक आदमी के पाखाने में हैजे के कीटाणु मिले, ऐसी स्थिति में इतने लोगों को हैजे के टीके क्यों लगाये गये?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

कोई गलती नहीं है। हैजा और गेस्ट्रोएंट्राइटिस एक ही प्रकार के रोग हैं और इसमें जो टीके दिये जाते हैं वे भी एक ही प्रकार के होते हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

एक तिहाई से ज्यादा आदमी मर गये तो इस ढिलाई के लिये सरकार जांच करायेगी?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

कोई ढिलाई नहीं हुई। जब महामारी फैलती है तो संक्रामक रोग होने के कारण एक से दूसरे को लग जाती है। इसके लिये पूरी कोशिश की जाती है। कुवों में दवा डाली जाती है लाखों की संख्या में टीके लगाये जाते हैं तब जा कर वह काबू में आती है।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

अप्रैल में हैजा हुआ तो जिलाधिकारी ने कब रिपोर्ट दी और 5 सहायक, संक्रामक रोग अधिकारी तथा नर्सिंग एसिस्टेंट किस तारीख को भेजे गये?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

अप्रैल में जिस दिन यह रिपोर्ट मिली तुरन्त कार्यवाही की गयी और सूचना मिलते ही अधिकारी को वहां भेज दिया गया। वहां एक असिस्टेन्ट डायरेक्टर पड़े हुए हैं। ए0 डी0 एम0 ओ0 एच0 भी लगे हुए हैं। पूरी औषधियां भेजी गयी हैं। सरकार की पूरी चेष्टा है कि जल्दी से जल्दी इस पर काबू पा लिया जाय। इस पर काफी काबू पा लिया गया है और शेष पर भी शीघ्र काबू पा लिया जायगा।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मैंने निश्चित तारीख पूछी थी कि कब जिलाधिकारी ने सूचना दी और कब मदद भेजी गयी?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

सूचना मिलते ही तुरन्त भेजा गया यह मैंने वक्तव्य में कहा है। तारीख इसमें नहीं है, केवल महीना है।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद प्रतापगढ़ से मिला हुआ है इसलिये वहां पर हैजे का असर न हो सके इसके लिये क्या सरकार कोई इन्तजाम करेगी?

श्री अध्यक्ष---

इससे उसको न मिलाइये ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

सबसे पहले रिपोर्ट सरकार को किस एजेंसी से मिली और रिपोर्ट मिलने के कितने घंटे अथवा दिन के बाद वहां हैजे के टीके के सम्बन्ध में अधिकारियों को भेजा गया ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

संक्रामक रोग जिस समय फैले तो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर ड्युटी पर है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी को उसको तुरन्त सूचना दें । अप्रैल में जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना मिली और उसने उस पर तुरन्त कार्यवाही की ।

इसके साथ ही साथ यहां शासन को भी लिखा गया और यहां से भी इसकी रोकथाम का प्रयास किया गया । मान्यवर, यही नहीं, अन्य जिन जिलों से भी इस बीमारी की सूचना शासन को प्राप्त हुई है उसके लिये सरकार प्रयत्नशील है और रोकथाम की पूरी व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी एजेन्सी थी जिसके माध्यम से हैजे के बारे में पहली रिपोर्ट आपको मिली और उसके कितने घंटे के बाद लोग मरे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

मान्यवर, ड्यूटी पर जो सेनेटरी इन्सपेक्टर होता है वही जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना देता है.....

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, क्या पूछा जा रहा है और मन्त्री जी क्या जवाब दे रहे हैं ।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

मान्यवर, संक्रामक रोग की जैसे ही सूचना सेनेटरी इन्सपेक्टर को होती है वह तुरन्त ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी को इसकी सूचना देता है और उस पर तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती है । और यही किया गया ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह देख कर कि बीमारी का प्रकोप अप्रैल में शुरू हुआ और मौतों की संख्या को देखकर यह लगता है कि प्रकोप काफी तेजी से बढ़ा, तो ऐसी स्थिति में सरकार को इसकी सूचना कब दी गई ? यह बात निश्चित मालूम होनी चाहिये तभी तो लापरवाही का सही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कब और किस तारीख को कर्मचारी वहां पर भेजे गये ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे रिपोर्ट को देखें । उसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही सूचना मिली, उस पर तुरन्त कार्यवाही कर दी गई । किन्तु जो आप निश्चित डेट चाहते हैं वह इस समय मेरे पास नहीं है । मान्यवर, पूरे प्रदेश में इस रोग को न फैलने देने की व्यवस्था कर दी गई ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

तुरन्त का मतलब एक साल भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक दिन भी होसकता है, एक घंटा भी हो सकता है और एक मिनट भी हो सकता है । हम समझते हैं कि इसमें जानबूझ कर लापरवाही की गई ।

श्री अध्यक्ष---

इस वक्त उनके पास तिथि की जानकारी नहीं है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

यह तो उनको लाना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष---

(मन्त्री जी से) आपको सूचना कब मिली ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

अप्रैल में सूचना मिली ।

श्री अध्यक्ष---

किस अप्रैल को आपको सूचना मिली ?

श्री धर्म दत्त वैद्य---

मान्यवर, निश्चित तारीख तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अप्रैल में सूचना मिली और तुरन्त कार्यवाही आरम्भ हो गई । माननीय सदस्य देखेंगे कि यदि तुरन्त कार्यवाही न की गई होती तो इतने चन्द दिनों में इतने टीके कैसे लगवाये जा सकते थे और कैसे इतने कुवों में दवाई डाली जा सकती थी..... (व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर, जो पहली बार सूचना मिली वह किस व्यक्ति द्वारा दी गई थी और तब तक कितने आदमी मर चुके थे?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

श्रीमन्, सूचना स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा यहां निदेशालय को आई और तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)---

क्या राज्य मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि जो उन्होंने यह कहा कि पूरे प्रदेश में तत्काल व्यवस्था कर दी गई थी । उनकी जानकारी के लिये मैं यह सूचना दे दूं कि 26 जून को सरकिट हाउस, इलाहाबाद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जिलाधीश इलाहाबाद ने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों पर यह चार्ज लगाया गया कि जहां-जहां हैजा फला हुआ है उन उन स्थानों में किसी भी जगह पर ये अधिकारी नहीं थे । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? मान्यवर, मुझे जानकारी है कि वे किसी भी ब्लाक में एक रात भी नहीं गुजार सके जब कि 16-16 दिन वे दौरे में रहे । दिन भर दौरा करते थे और रात में अपने घर आ जाते थे । इस प्रकार इतने लोग हैजे से पीड़ित होकर मर गये और जिला स्वास्थ्य अधिकारी अपनी बीबी के साथ दूसरी जगह ट्रांसफर के चक्कर में पड़े हुए थे ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मान्यवर, इलाहाबाद के भी कुछ गांवों में हैजे का प्रकोप है और मैंने नियम 51 में भी दिया था, तो क्या शासन को इसकी इत्तला है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

यह प्रश्न प्रतापगढ़ से सम्बन्धित है । अगर इलाहाबाद के बारे में माननीय सदस्य सूचना देंगे तो कल ही वहां से उत्तर मंगवा कर आपको दे दूंगा ।

श्री राजमंगल पांडेय---

यह जो 168 या कितने आदमी मरे हैं, किस तारीख से इनका मरना शुरू हुआ और किस तारीख से किस तारीख के बीच में इतने आदमी मरे ?

श्री धर्म दत्त वैद्य---

ये अप्रैल से जून तक मरे हैं ।

श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)---

मान्यवर, कुओं में लाल दवा की जगह ब्लीचिंग पाउडर डाला गया है जिससे बड़ी बदबू निकलती है, तो क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री इस बात का आश्वासन देंगे कि ब्लीचिंग पाउडर की जगह लाल दवा ही कुओं में डलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

कुओं में लाल दवा ही डाली जाती है । भले ही कुछ कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डाला गया हो लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है लाल दवा ही कुओं में डाली गयी है ।

श्री रामकिंकर---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी को पता है कि जिला प्रतापगढ़ की जिला परिषद् में जब 13 जुलाई को हमारे मन्त्री जी और डिप्टी स्पीकर महोदय भी मौजूद थे तो वहां के हेल्थ आफिसर के खिलाफ वहां के दो जन प्रतिनिधियों ने शिकायत की थी ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, लेकिन शिकायत होगी तो उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से किस तारीख को सहायता देने का पहला आदेश दिया गया ?

श्री धर्म दत्त वैद्य---

श्रीमन्, वक्तव्य में इसकी विस्तृत सूचना दी गयी है अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें है कि जिस तारीख को सूचना मिली उसी तारीख को आदेश दिया गया। इस वक्त विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है लेकिन अप्रैल में जिस वक्त यह सूचना मिली कि कुछ जिलों में कालरा का प्रकोप है, तभी यह आदेश दिया गया कि इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और उसकी रोकथाम के लिये स्टाफ बराबर सतर्कता से काम करता रहे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह केवल वक्तव्य के लिये था । (व्यवधान)

श्री त्रिलोकी चन्द्र---

वक्तव्य का मतलब तो यही है कि इससे सदस्यों को सन्तोष भी होना चाहिये । (व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडेय---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन् । मन्त्री जी ने तो तुरन्त शब्द का इस्तेमाल किया है। जब डी० एम० एव० को रिपोर्ट मिली और जब शासन को रिपोर्ट मिली, दोनों में तुरन्त शब्द आया है । तो क्या दोनों तुरन्त एक ही साथ अप्लाई करता है ? या दोनों के दो स्टेज ह, जैसे एक जगह तुरन्त हुआ और फिर उस तुरन्त के कुछ दिन बाद तुरन्त हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

आजकल शासन का भी दो तुरन्त है, एक दिल्ली का और एक हैदराबाद का ।

श्री बलबीर सिंह---

मान्यवर, आप स्वयं देख रहे हैं कि इस सवाल में लोगों को बड़ी दिलचस्पी है ।....

श्री अध्यक्ष---

तो क्या शाम तक यह थोड़े ही चलेगा ?

श्री बलबीर सिंह---

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत से माननीय सदस्यों की दिलचस्पी है इसलिये नियम 52 में इजाजत दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

नियम 52 में नहीं हो सकता 49 में हो सकता है ।

श्री बलबीर सिंह---

49 में ही सही ।

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर दे दीजिये ।

उत्तर प्रदेश के विभाजन संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा के लिये समय निर्धारण की प्रार्थना

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में मेरे प्रस्ताव पर उस दिन उपाध्यक्ष जी ने यह कहा था कि वह अध्यक्ष के सामने आयगा तो आज वह आना चाहिये था। (व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)---

आज क्यों नहीं आया ? (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह परिहार---

श्रीमन्, उस दिन उपाध्यक्ष जी ने यह कहा था कि अध्यक्ष जी के लिये इसे रखे देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल सोनकर---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मन्त्री जी को मैंने सूचना दी कि जिलाधिकारी ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर को आदेश दिया था कि वे रात जिले में व्यतीत किया करें.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो इलाहाबाद का है। यहां वह सवाल नहीं है।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मैंने नियम 52 में उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर करा कर दिया था। आपने अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल आजाद—

आप को रूलिंग देनी चाहिये।

मसौधा कार्ड बोर्ड फैक्ट्री, फैजाबाद में श्री मकों द्वारा हड़ताल के संबंध में वक्तव्य

श्रम उप मन्त्री (श्री सोहन लाल धुसिया)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से मसौधा कार्ड बोर्ड फैक्टरी के श्रमिकों की हड़ताल के सम्बन्ध में निम्न वक्तव्य देता हूं :—

(इस समय 1 बजकर 14 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विष्णु इण्डस्ट्रियल इण्टरप्राइजेज लिमिटेड, मोतीनगर, फैजाबाद, और उनके श्रमिकों के बीच हुए दो विवादों को शासन ने औद्योगिक न्यायाधिकरण (2), लखनऊ को अभिनिर्णय के लिये भेजा था।

प्रथम विवाद (6/70) कर्मचारियों के वेतन में पुनरीक्षण के सम्बन्ध में था तथा दूसरा विवाद (7/70) कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के सम्बन्ध में था। फैसला 31 मई, 1971 को दिया गया था।

औद्योगिक न्यायाधिकरण ने वेतन तथा महंगाई भत्ते की दरों को पुनरीक्षित कर दिया और यह भी निर्णय दिया कि नई दरें 1-4-1971 से लागू होंगी।

इस निर्णय द्वारा मजदूर, वाचमैन, आयलमैन-कम-मजदूर, हेल्पर-खल्लासी, खल्लासी, स्वीपर, पैकर तथा ड्रायर-हेल्पर, जो अकुशल हो, का वेतन 60-1-70 और एडहाक निश्चित महंगाई भत्ता 20 रु0 दिया गया और यह आदेश हुआ कि वर्तमान श्रमिकों को उपरोक्त प्रकार से वेतन निर्धारण होगा, जिससे वर्तमान कुल परिलब्धि (इमालुमेन्ट) से कम मूल मजदूरी न मिले। अर्द्ध कुशल तथा कुशल ड्रायर मैन, मशीनमैन फिटर-कम-आयल मैन, वेल्डर-कम-ब्लैक-स्मिथ, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन-फिटर, ब्यालर अटेन्डेन्ट, फायरमैन तथा कारपेन्टर इन वर्गों के लिये 100 रु0से अधिक पाने वालों के लिये 7 रु0 निश्चित महंगाई भत्ता तथा 100 रु0 से नीचे पाने वाले को 20 रु0 एडहाक निश्चित महंगाई भत्ता देने का निश्चय हुआ। उपरोक्त महंगाई भत्ता वर्तमान कुल वेतन के अतिरिक्त दिया गया।

श्रमिकों की ओर से शासन को यह सूचना दी गई कि सेवायोजकों ने एवार्ड का पूर्णतौर से पालन नहीं किया है। इसके विरुद्ध सेवायोजकों का यह कहना है कि जिन अकुशल अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रमिकों के बारे में एवार्ड है, उनको उन्होंने एवार्ड के अनुसार वेतन तथा महंगाई भत्ता दे दिया है।

[श्री सोहन लाल धुसिया]

वस्तु-स्थिति यह है कि न्यायाधिकरण के सम्मुख कार्यवाही के समय श्रमिकों की ओर से 90 कर्मचारियों की एक सूची प्रस्तुत की गई थी, किन्तु अभिनिर्णय के अन्तिम आदेशात्मक भाग में अकुशल कर्मचारियों के लिये वेतनमान व महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है और इसी प्रकार अर्द्धकुशल व कुशल कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिये तदर्थ महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है तथा यह भी कहा गया है कि दोनों सुविधायें 1-4-1971 से देय होंगी। प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से यह मालूम हुआ है कि सेवायोजक करीब 57 श्रमिकों को जो अस्थायी और अकुशल वर्ग के हैं उनको अभिनिर्णय द्वारा निर्धारित सुविधायें नहीं दे रहे हैं। सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ ने दो बार सेवायोजकों को स्पष्ट रूप से लिखा कि अभिनिर्णय के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधायें समस्त कर्मचारियों को प्राप्त होंगी। सेवायोजकों द्वारा इस स्पष्टीकरण के बाद भी प्रतिपालन नहीं किया गया। अभिनिर्णय का प्रतिपालन न करने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्राभियोजन नहीं चलाया जा सकता। अतः श्रमिकों को अभिनिर्णय के अन्तर्गत सुविधायें मिलने का एक ही साधन यह था कि वे धारा 6---एच (1) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र धन वसूली के लिये सहायक श्रमायुक्त को दें और इस प्रकार जांच करने के बाद आदेश और वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जाय। तदनुसार उन्हें कई बार ऐसा सुझाव लिखित व मौखिक रूप से सहायक श्रमायुक्त द्वारा दिया गया किन्तु अभी तक श्रमिकों ने ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है।

दिनांक 4-7-72 से करीब 54 श्रमिकों द्वारा 24-24 घन्टे के लिये एक-एक श्रमिक द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है और उसकी तिथि से कुछ को छोड़कर बाकी सभी अस्थायी अकुशल श्रमिक हड़ताल पर हैं। सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ इस समय भी समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब 31-5-71 के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया तो फैक्टरी इंस्पेक्टर द्वारा उन का चालान कराया गया या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि जिस वक्त प्रोसीडिंग चल रही थी तब केवल 90 वर्कर्स का ही सवाल था, जिन की सूची उनकी ओर से रखी गयी थी उन 90 को दे दिया गया है लेकिन उसके बाद जो भर्ती हुई उनकी संख्या 57 है, एम्पलायर्स से कहा गया है कि आपको इन्हें भी देना है, नहीं देते हैं तो श्रमिकों से हमारी बात हुई और उन को बताया गया और बार-बार बताया गया कि उनके पास कानूनी रास्ता है कि यू० पी० इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट रिकवरी सर्टिफिकेट ईशू करा दें, लेकिन बार-बार वैसे कहने पर भी और लिखित रूप में कहने पर भी श्रमिक अपने पैसे को क्लेम करते हुए प्रार्थना-पत्र नहीं देते और उन की गैरकानूनी हड़ताल ही रही है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मैंने यह कहा था कि फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत जब मालिकों ने पैसा नहीं दिया तो आप ने उनका फैक्टरी इन्सपेक्टर से चालान क्यों नहीं कराया ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

फैक्ट्री ऐक्ट का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

यह जानते हुए कि माननीय बाजपेयी जी श्रमिकों के अच्छे नेता हैं और श्रमिकों के मामलों की उनको काफी जानकारी भी है और यह जानते हुए भी कि श्रमिकों के पास केवल एक ही रास्ता

था कि वह यू० पी० इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दें और रिकवरी सर्टिफिकेट ईशू करायें लेकिन मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह अपने शासन काल में कोई ऐसा प्राविधान करायेंगे कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले एम्पलायर्स के खिलाफ कोई सख्त व्यवस्था वह करायेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

अभी जो वक्तव्य पढ़ा गया उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इन्डस्ट्रियल ट्राइब्युनल का एवार्ड नहीं माना गया । अभी हाई कोर्ट का यह कहना है कि एवार्ड आर्डर नहीं है, लिहाजा उसको आर्डर का रूप दे दिया जायगा तभी तो सजा कर सकेंगे ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह समझौता कौन साहब करा रहे हैं और अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं क्योंकि श्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

यदि आप श्रमिकों के हितैषी हैं, तो उनसे दरख्वास्त लगवा दें ताकि उनको पैसा दे दिया जाय ।

श्री बलबीर सिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मेरा सवाल था क्या आप का उत्तर उस सवाल का जवाब है ? मैं मानता हूं कि जवाब नहीं है । मेरा सवाल तो स्पष्ट है कि वे कौन साहब हैं, आपने कहा कि आप समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं, कौन अधिकारी हैं, जिनको आपने नियुक्त किया है और कितना काम उन्होंने किया है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

हमारे एसिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर जो लखनऊ रीजन के हैं जिनके क्षेत्र में फैजाबाद, मसौधा, पड़ता है, वे समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं । वे मालिकों से कहते हैं कि एवार्ड का कन्टीन्युड इफैक्ट होता है और उन्होंने 57 श्रमिकों को भी कहा है कि तुम दर्ख्वास्त दे दो, वे उनको भी दिला देंगे ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

जब उनको यह निश्चित रूप से मालूम है कि 57 कर्मचारियों को एवार्ड के अनुसार महंगाई भत्ता या वेतन नहीं दिया जा रहा है इसमें कोई शर्त भी है नहीं तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या । कठिनाई है श्रमिकों को वसूली का सर्टिफिकेट जारी करने में, इसमें दर्ख्वास्त देने की क्या आवश्यकता है जबकि सरकार को निश्चित रूप से मालूम है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

मेरी मजबूरी है, कानून की मजबूरी है । श्रमिकों को दरख्वास्त देनी पड़ती है कि हमारा यह क्लेम बनता है । जब वे दर्ख्वास्त देते हैं तभी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार है ।

श्री जयराम वर्मा---

जो एवार्ड दिया क्या उसको आधार मान कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिल मालिकों को यह आदेश क्यों नहीं दिया कि इसको आधार मानकर इन 57 व्यक्तियों को दिया जाय जो आज हड़ताल कर रहे हैं और जिन्होंने पत्र भी लिखा है, और सरकार की सूचना में भी यह बात है । उन व्यक्तियों को एवार्ड के अनुसार भत्ता आदि दिलाने में सरकार ने क्या काम किया है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मैं तो काफी समझता था कि मैं सब बता चुका हूं। मैं फिर कहता हूं कि जो सम्बन्धित 57 व्यक्ति हैं उनको व्यक्तिगत रूप से धारा 6 (एच) के अन्तर्गत दरख्वास्त देनी होती हैं कि इतना पसा हमको देना है फलां फलां एवार्ड के अन्तर्गत तो फिर तुरन्त रिकवरी के सर्टिफिकेट ईशू करने का हमें अधिकार है। हमने 29-10-71 और 8-5-72 को दो तारीखों पर उनको लिखा और कहा कि सिर्फ एक दरख्वास्त पर आपको मिल जायगा मौखिक भी कई बार कहा लेकिन वे दरख्वास्तें नहीं आयीं।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या श्रमिकों ने कुछ लिखा ही नहीं ? मैं उनका.....

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मैंने निवेदन किया कि दफा 6 (एच) में दरख्वास्त नहीं दी।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

जिन 90 कर्मचारियों को नया वेतन-मान तथा महंगाई भत्ता दिया गया क्या उनको 1-4-72 से दिया गया है या बाद से दिया गया है और पूरा नहीं मिला है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जो 90 कर्मचारी हैं जिनकी सूचना दी गई थी, श्रमिकों की तरफ से भी आब्जेक्शन नहीं हुआ था, एम्प्लायर्स की तरफ से भी उनको 1-4-71 को ही दिया जा रहा है और पूर्ण रूप से दिया जा रहा है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, अभी राजमंगल पान्डेय ने कहा कि माननीय मन्त्री जी बड़े भारी श्रमिक नेता हैं। जब ब्रह्मचर्य का प्रवचन होता है तो विलासिता की पराकाष्ठा पर होता है। श्रमिक नेता जब मन्त्री बन जाते हैं तो ठीक उल्टा व्यवहार करते हैं। श्रमिक नेता के मन में क्रमिक विकास की प्रवृत्ति घर करने लगती है। आप एक श्रमिक नेता की हैसियत से कितने सेवायोजकों और श्रमिकों पर लिखा करते थे। मान्यवर, यह तो मामूली बात है। मुझे तरस आता है। आप सीधे आदेश दिये होते कि उनका पावना मिल मालिकों को घर पर पहुंचाना है और उसकी सूचना आपको देनी है। तो मैं मानता कि श्रमिक मिनिस्टर हो जाने से श्रमिकों के हितों की रक्षा हुई है। मैं तो कहता हूं कि आपने तो सभी श्रमिक मिनिस्टरों की नाक काट दी है। आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि लेबर का कितना नुक्सान है।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, यह कौन-सा सवाल है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

आप को इतिहास क्षमा नहीं करेगा। क्या आप इस बात की गारन्टी देंगे कि लेबर का जो अवार्ड हो गया है उसके लिये आप सेवायोजकों को डांटकर लिखें ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, अगर सदस्य ही मेरी सहायता कर दें तो मैं आभारी हूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं बिल्कुल सहायता करने को तैयार हूं। कान्स्टीट्यूशन फेंक दीजिये। रूल्स फेंक दीजिये। मजदूरों के हित के जो कानून हैं वे बनाइये तो सब पास हैं। हम विरोध नहीं करेंगे।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

अमेन्डिग बिल बन जाने दीजिये ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मान्यवर, ये तो प्रोत्साहन मिल मालिकों को देते हैं ।

श्री बलबीर सिंह---

मान्यवर, मुझे ऐसा लगा कि मन्त्री महोदय विवश हैं कानून की धारा की वजह से विवश हैं । जो धारा 6-एच औद्यागिक अधिनियम की है । जब तक उसमें दरख्वास्त न आये तब तक वे वसूल नहीं कर सकते । तो मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप तथा आपकी सरकार कानून से बड़ी है, नियमों से बड़ी है । तो क्या आप यह महसूस करते हैं कि इन्साफ इसमें है कि इस धारा को तरमीम कर दिया जाय और लिख दिया जाय कि अगर एक महीने के अन्दर खुद दरख्वास्त नहीं देंगे तो कानून को हक होगा कि वह रुपया इनसे वसूल कर सके ? क्या आप सहमत हैं ऐसा संशोधन करने के लिये ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

मान्यवर, मैं उसको आरम्भ में कह चुका हूं कि जो मौजूदा श्रमिक कानून है इससे श्रमिकों का कल्याण होना बहुत मुश्किल है । उनके अधिकारों को दिला सकना भी बहुत मुश्किल है । जो हमारा अमेंडिग बिल आ रहा है वह इन सारी धाराओं पर पुर्नविचार करने के बाद आयगा ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर से आभास मिला कि मन्त्री जी चाहते हैं लेकिन उनकी कुछ मजबूरी है और वह यह है कि श्रमिक चूंकि धारा 6---एच में दरख्वास्त नहीं दे रहे हैं, इसलिये यह कठिनाई है । मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं अगर ये श्रमिक दरख्वास्त न दें और सरकार उसकी प्रतिनिधि की शक्ल में मानते हुए कि उनका जो आरबीट्रेशन है वह सही है तो क्या इन श्रमिकों के दरख्वास्त न देने के कारण आप ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे कि उनका धन हर सूरत में मिले ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि कानून बदलने की जरूरत है और वह हम कर रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

जैसा मन्त्री जी ने कहा कि 6-एच का प्रार्थना-पत्र देना होता है, तो मैं उनकी नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि लेबर कमिश्नर को 4-4 प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं । क्या उसी प्रार्थना को 6-एच नहीं माना जा सकता और उस पर क्यों नहीं कार्यवाही की ? क्या 6-एच लिखा होना आवश्यक है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

6-एच जो दरख्वास्त होती है वह यूनियन के द्वारा नहीं होती है, बल्कि वर्कर जिसका क्लेम है, जिसको पावना है, वह दे । 6-एच लिखे या न लिखे । अपनी रकम किस एवार्ड के जरिये हुई, लिख कर भेज दे . . .

श्री बंशीधर पांडेय---

हम साथ-साथ चले चलते हैं और लिखकर दिलवाये देते हैं, क्या आप तैयार हैं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

हम तो तैयार हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

स्पष्टीकरण के रूप में यह तो रही टेकनीकलटीज, नियम और नियमावली, मान्यवर। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि अगर किसी समस्या के बीच में कोई टेकनीकल्टीज आकर पड़ती हैं तो क्या सरकार बीच में इन्टरफीयर नहीं कर सकती ? इस सम्मानित सदन के सदस्यों की भावना को दृष्टि में रख कर अब वह अवार्ड की धनराशि दिलाने का आश्वासन देंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, जैसा मैंने बतलाया और तारीखें पढ़ कर सुनाईं हमारे श्रमायुक्त महोदय ने लिखकर प्रार्थना की है और दर्जनों बार जबानी प्रार्थना की सदन के सदस्यों की भावना से महीनों पहले, लेकिन उनको कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं और वह यह कि बहुत से मजदूर अनपढ़ हैं तो क्या कोई उनके आवेदन पत्र लिखवाने की व्यवस्था करायेंगे ? आप तो बहुत क्रान्तिकारी बनते हैं और जो नियम बाधक हैं क्या आप उसे हटा नहीं सकते तथा जो अनपढ़-गंवार मजदूर हैं उनको 1-4-71 से लागू कर दें जिसे वह पा सकें ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, कोई जिद्द की बात नहीं है—6-एच में दरखास्त दे दें, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर वहां जाते रहते हैं, फौरन पैसा मिल जायेगा। हम तो लीगल जस्टिस कर सकते हैं।

राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर के छात्रों का वार्षिक परीक्षाफल रोके जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त संस्था है। 1971-72 की बी० ए० प्रथम तथा द्वितीय खंड और बी० एस० सी० द्वितीय खंड की परीक्षायें आगरा विश्वविद्यालय द्वारा अप्रैल-मई, 1972 में ज्ञानपुर डिग्री कालेज के परीक्षार्थियों के लिये उसी कालेज में आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय को यह रिपोर्ट मिली कि बी० ए० प्रथम तथा द्वितीय खंड एवं बी० एस० सी० द्वितीय खंड की परीक्षाओं में सामूहिक नकल हुई और इस कारण से निम्नलिखित 5 परीक्षायें विश्वविद्यालय ने निरस्त कर दीं—

बी० ए० प्रथम खंड

संस्कृत प्रथम प्रश्न-पत्र
इतिहास प्रथम (ए) प्रश्न-पत्र
(योरप का इतिहास 1789 से 1870 ए० डी०)

बी० ए० द्वितीय खंड/बी० एस-सी० द्वितीय खंड

रसायन विज्ञान प्रथम प्रश्न-पत्र
गणित प्रथम प्रश्न-पत्र
गणित द्वितीय प्रश्न-पत्र

परीक्षायें निरस्त करने के बाद आगरा विश्वविद्यालय ने जून के अन्त में फिर से परीक्षायें लिये जान के लिय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इलाहाबाद में तिथि निश्चित की। लगभग 600 परीक्षार्थियों को फिर से परीक्षा देनी थी। यह परीक्षार्थी इलाहाबाद गये और ए ा अव्यवस्था फैलाई कि परीक्षायें लेना सम्भव न हो सका। आगरा विश्वविद्यालय ने 10, 11

तथा 12 अगस्त को परीक्षायें फिर से लेने का निश्चय किया है और उसकी सूचना भी उन्होंने सभी सम्बन्धित परीक्षार्थियों को भेज दी है। यह परीक्षायें अब कानपुर में ही होंगी। यह परीक्षायें सुचारु रूप से निर्धारित तिथि पर हो जायें इसके लिये पूरी व्यवस्था कर ली गई है और यह भी प्रबन्ध कर लिया गया है कि इन परीक्षार्थियों का परीक्षा-फल अगस्त के अन्त तक विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कर दिये जायें।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा कि करीब 600 विद्यार्थी इलाहाबाद गये और परीक्षा देना सम्भव नहीं हो सका। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त के अन्त में नतीजा निकलेगा तो क्या उनके दाखिले के लिये किसी विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया है कि उनका दाखिला कर लेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

वे इलाहाबाद गये। वहां पर इम्तहान नहीं हो सका। फिर 10, 11 और 12 अगस्त में परीक्षा करके अगस्त के आखिर में ही नतीजा घोषित करने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि किसी विश्वविद्यालय ने उनके दाखिले का आश्वासन दिया है ?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन—

इस विषय में विश्वविद्यालय ने इन्तजाम किया होगा। उसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, यह 800 विद्यार्थियों का मामला है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि सामूहिक नकल हुई, यह रिपोर्ट में है। तो यह किस तारीख को रिपोर्ट मिली और यह रिपोर्ट क्या है ? मेरा खयाल है कि ऐसा नहीं है कि सामूहिक नकल हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

सामूहिक नकल है तो इसे विश्वविद्यालय जाने।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह विद्यालय मेरे क्षेत्र का है। हम लोगों ने मिल कर इसे स्थापित किया। तीन ही इस प्रकार के महाविद्यालय रहे, एक बनारस स्टेट का ज्ञानपुर, दूसरा रामपुर और तीसरा जो डा० सम्पूर्णानन्द जी की कृपा से हुआ, नैनीताल। इनमें तीन प्रिंसिपल हों। जब कभी स्टाफ में या लड़कों में कोई झगड़ा-फसाद होता है, तो वे ही प्रिंसिपल घूम कर, कभी नैनीताल, कभी रामपुर और कभी ज्ञानपुर में इसको देखता है। पिछली सरकार में भी, जिसमें कि मैं था, मैंने इस बात की कोशिश की। डाइरेक्टर का सुझाव भी आया। वहां की ग्रुप बन्दी को खतम करने की काफी कोशिश की गयी, लेकिन वह नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि यह स्थिति आ गयी। लेकिन कितनी नकल हुई। सामूहिक नकल, 600 विद्यार्थियों की नकल, यह असम्भव है क्योंकि वहां इनविजलेटर भी होते हैं। 4—5 लड़कों की नकल तो और बात है। जब कालेज का स्टाफ चाहे फर्स्ट क्लास का नतीजा करना या किसी बहुत बड़े अधिकारी का वरदहस्त हो। अभी मैं ज्ञानपुर गया था तो लड़के मुझसे मिले और डायरेक्टर से भी मैंने टेलीफोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि 10, 11, 12 को परीक्षा ली जा रही है। श्रीमन्, यह विद्यालय गरीब किसानों के लिये स्थापित किया गया था। कर्मचारियों के आपसी बैमनस्य का फल यह हुआ कि छः सौ विद्यार्थियों को कठिनाई हो गयी। अगर सामूहिक

[श्री बंशीधर पांडेय]

नकल हो गयी थी तो उसके लिये अधिकारियों को सजा होनी चाहिए थी कि कैसे हो गयी। आप इन विद्यार्थियों की भर्ती की व्यवस्था तो कर देंगे, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन यह है कि इन विद्यालयों में जो आए दिन झगड़े होते हैं और प्रिंसिपल और कर्मचारी लोग घूम-फिर कर वहीं आ जाते हैं, इसका कुछ प्रबन्ध होना चाहिए। शिक्षा विभाग में 15–20 अधिकारियों का एक काडर बना दें ताकि उनके ट्रांसफर होते रहें और गुटबन्दी न हो।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन—

माननीय पांडे जी उसी क्षेत्र से आते हैं। यह जो बात कहेंगे उस पर हम विचार करेंगे और जितना भी संभव हो सकेगा, उसके लिए पूरा प्रयास किया जायगा।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

जो मूल प्रश्न था, अगस्त में इन बच्चों का इम्तहान होकर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो क्या इनके दाखिले के बारे में सरकार यूनीवर्सिटी पर या पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों पर कोई दबाव डालेगी—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इनके साथ अन्याय हो गया है—ताकि इनका दाखिला हो जाय ?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन—

सरकार विश्वविद्यालयों पर दबाव तो डालती नहीं। उनसे सलाह मशविरा करती है। उन्हें अपनी राय बता देती है। जो बात उचित होगी उसको करने के लिए उनसे आग्रह किया जाएगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही नहीं है कि जो ये सरकारी डिग्री कालेजेज हैं उनके प्रिन्सीपल्स और प्रोफेसर्स और इंस्पेक्टरेट के जो अधिकारी हैं, उनका काडर हाई कोर्ट के आदेश से एक हो गया है ?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन—

इसकी मुझे इस समय सूचना नहीं है।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

जब मंत्री जी कहते हैं कि सामूहिक नकल हुई तो एक घंटे या एक दिन में तो हुई नहीं। जब प्रिंसिपल को मालूम हुआ कि लड़के नियंत्रण में नहीं हैं, नकल कर रहे हैं तो पहले ही परीक्षा क्यों नहीं रोक दी जो अब पूरी परीक्षा के बाद कहा जाता है कि सामूहिक नकल हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—

कभी-कभी ऐसा होता है कि कापियों को देख कर ऐसा लगता है कि नकल हुई है।

श्री रामकिशोर शुक्ल—

उसमें प्रिंसीपल ने खुद कहा है कि सामूहिक नकल हुई है...

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकता है कि दो, चार, दस-पांच कापियों में एक ही तरह से लिखा हुआ हो, और बहुत सी बातें होती हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इलाहबाद में परीक्षा ली गयी उसमें अव्यवस्था क्या इस कारण से हुई कि उनको दूसरी जगह जाना पड़ा ? यदि यही कारण था तो ज्ञानपुर में ठीक परीक्षा हो जाएगी, अव्यवस्था नहीं होगी, इसका कोई प्रबन्ध कर दिया गया है ?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन---

ज्ञानपुर में इम्तहान कायदे से और शांतिपूर्ण ढंग से हो इसके लिए अधिकारियों से कह दिया गया है कि यदि कोई मदद चाहे तो पूरी तरह से मदद दी जाय और पहले से सचेत रहा जाय।

श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

माननीय मंत्री जी जानते हैं कि यह राजकीय कालेज है यहां पर सामूहिक नकल हुई। इसकी जिम्मेदारी वहां के प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स पर है। क्या उनकी भी कोई जांच हो रही है। आपने बताया कि इलाहाबाद में जो परीक्षायें हुईं वहां पर अव्यवस्था फैलाई गई। यह अव्यवस्था विद्यार्थियों द्वारा फैलाई गई या अन्य दूसरे लोगों के द्वारा ?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन---

वहां पर अव्यवस्था फैलाई गई इसका उल्लेख है। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं कि इम्तहान होना नामुमकिन हो गया।

श्री उपाध्यक्ष---

एक सवाल है और वह यह है कि मास कापींग तो प्रिंसिपल और इन्वीजिलेटर्स के सहयोग से हो सकती है परन्तु इसका पता तो उस समय चलता है जब कि कापियों की जांच होती है।

श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी---

सामूहिक नकल तो इसलिये भी करवाई जाती है कि वहां का रिजल्ट अच्छा हो और वहां के लोगों का प्रोमोशन हो। अगर एक दो लड़कों की नकल की बात होती तो वह अलग ही चीज थी लेकिन कलेक्टिव नकल हुई है। इसलिये इसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल और इन्वीजिलेटर्स पर भी जाती है। इसकी भी जांच होनी चाहिये।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

इस मामले पर आगरा विश्वविद्यालय के अधिकारी ही निर्णय ले सकते हैं और सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मंत्री जी ने कहा कि आगरा विश्वविद्यालय ही कोई निर्णय ले सकता है। क्या मंत्री जी वाइस चांसलर से यह प्रार्थना करेंगे कि वह इस सम्बन्ध में जांच करवायें और आपको रिपोर्ट दें?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन---

मैं वाइस चान्सलर से इस सम्बन्ध में बातचीत करने का प्रयास करूंगा।

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ। यह सरकारी महाविद्यालय है और इसका स्टाफ भी सरकारी कर्मचारी है। प्रश्न इतना है कि यह आगरा विश्वविद्यालय से एफीलियेटेड है। यह तो सम्भव नहीं है कि 600 लड़के एक ही कमरे में बैठे होंगे। अलग-अलग कमरों में बैठे होंगे। इससे यह तो निश्चित है कि इसमें स्टाफ मिला होगा। अगर इन्क्वायरी से जाहिर हो जाय कि अलग-अलग कमरों में बैठे थे तो मास कापींग हुई। बिना स्टाफ के मिले यह हो नहीं सकता है। ऐसा होने पर मैं नहीं समझता कि मंत्री जी इसकी जांच करने के लिये भूमिधरों पर जोर डालेंगे और अपनी असमर्थता नहीं प्रकट करेंगे और न असहाय पायेंगे।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन---

मैं अपने को कभी असहाय नहीं पाता लेकिन कानून की पाबन्दी करता हूं। ऐक्ट के हिसाब से कार्य किया जायगा। आपने कहा कि 600 लड़के एक साथ बैठे थे या अलग-अलग बैठे थे तो एक साथ तो सब लड़के बैठ नहीं सकते हैं, अलग-अलग ही होंगे। हम सबको यहां नकल करने का कोई तजुर्बा तो है नहीं और मैं पांडे जी को भी इसमें शामिल करता हूं।

श्री राजमंगल पांडेय---

हम नकल करेंगे तो पकड़े नहीं जायेंगे लेकिन टंडन जी अगर नकल करेंगे तो पकड़ लिये जायेंगे।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

यह जो सामूहिक नकल की बात कही गई है यह गलत है। सामूहिक नकल तो हो ही नहीं सकती। क्या मंत्री जी जो पुराने लड़के पास हो चुके हैं उनके रिजल्ट को भी देखने की चेष्टा करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी?

श्री उपाध्यक्ष---

सामूहिक नकल तो उसी समय हो सकती है जब कि विद्यालय के प्रिंसिपल की राय उसमें हो।

श्री रूपनाथसिंह यादव---

इसमें लड़ाई झगड़ा है स्टाफ का। आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति और यहां की पुलिस में झगड़ा है। ऐसी परिस्थिति में जो लड़के पास हो चुके हैं क्या उनका पुराना परीक्षा-फल घोषित कर देंगे और इंडिविजुअल जांच करायेंगे?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन---

इस कापींग के बारे में फैसला लेना हमारे लिये तो सम्भव नहीं है। यह तो विश्वविद्यालय ही निर्णय ले सकता है। हमसे बातचीत होगी तो हम बता देंगे। हम उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकते।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनको कैसे पता चला कि सामूहिक नकल हुई?

श्री उपाध्यक्ष---

जो एग्जामिनर कापियां एग्जामिन करते हैं वही बताते हैं। वह तो कापियां देखने का पैटर्न जो होता है उससे अन्दाज लगता है।

श्री हरिनाथ तिवारी---

क्या सब सब्जेक्ट्स में सामूहिक नकल हुई या किसी विशेष सब्जेक्ट में ऐसी नकल हुई?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन---

पांच सब्जेक्ट में नकल हुई है वह मैंने पहले ही सुना दिया।

श्री जयराम वर्मा---

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि वहां पर सामूहिक नकल हुई और वह सरकारी इंस्टीटयूशन है। इसलिये सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको सुधारने की कार्यवाही करे। यूनिवर्सिटी पर छोड़ देने से सरकार इस जिम्मेवारी से बरी नहीं हो सकती।

श्री राजमंगल पांडेय---

क्या उस महाविद्यालय के प्रिंसिपल का इसी बिना पर स्थानान्तरण सरकार ने कर दिया है?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन--

मुझे इसकी कोई इत्तला इस समय नहीं है ।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

वहां के प्रिंसिपल ने खुद कहा है कि यहां सामूहिक नकल हुई ।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन--

यह बात मैं विश्वविद्यालय के उप कुलपति से पूछ कर ही आप को बता सकता हूं ।

श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी---

उन विद्यार्थियों का 10, 11, 12, अगस्त को इम्तहान लेने जा रहे हैं आप, तो उनके प्रवेश के लिये वाइस चांसलर से जो भी बात होगी उससे आप सदन को अवगत करायेंगे ताकि हम आश्वस्त हो सकें ?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन---

मैं वाइस चांसलर से इस विषय में बात अवश्य करूंगा ।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

पहले अप्रैल और मई में परीक्षा हुई । फिर जून में लड़के इलाहाबाद गये, लेकिन मंत्री जी ने कोई कारण नहीं बताया कि बच्चों ने क्या अव्यवस्था पैदा कर दी । अब तीसरी परीक्षा ज्ञानपुर में ही होने जा रही है और मंत्री जी ने बड़े दावे के साथ कहा है कि वहां पर सारी असुविधा दूर रहेगी और सुविधाजनक तरीके से परीक्षा होगी और अगस्त में ही उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जायगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके पहले जब वह परीक्षा में बैठे तो क्या उनको सारी सुविधायें नहीं दी गईं ? और जो 600 लड़के परीक्षा में बैठेंगे उनमें से जो पास होंगे उनको प्रवेश कराने के लिये मंत्री जी आगरा, गोरखपुर और लखनऊ यूनीवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स से बात करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

सभी के लिये प्रवेश की सुविधा कैसे होगी ?

श्री रामबिलास पांडेय---

सबके लिये नहीं तो कुछ के लिये ही करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

वे उप कुलपति से बात करेंगे ।

श्री रूपनाथसिंह यादव---

(व्यवधान)

आगरा नहीं तो इलाहाबाद से एफीलियेटेड करा द ।

श्री उपाध्यक्ष---

आगरे (हंसी के बीच) के कोई साहब मोटे नहीं नजर आ रहे हैं । देहरादून के तो हैं । आगरे के विभव जी हैं । (हंसी) ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत दो प्रस्ताव सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, बंशीधर पांडेय, चन्द्रमोहन सिंह नेगी व दूसरा सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी, त्रिलोक चन्द व सच्चिदानन्द गुप्त का है, वर्षा न होने के संबंध में। इस पर पहले ही दो दिन की चर्चा की व्यवस्था है। तो इसे मैंने अस्वीकार किया है और फिर आज तो आपका असरकारी दिवस है।

विधान पुस्तकालय में स्थानाभाव, सदन में लाउडस्पीकर की खराबी तथा जलपान व्यवस्था सम्बन्धी शिकायत

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, इस विधान सभा के प्रतिनिधियों के सामने जो इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं एक गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है। इस देश का सबसे बड़ा जो हमारा पुस्तकालय था वह जल गया और आजकल हम लोगों को कोई पुस्तक नहीं मिल रही है। मुझे पुस्तकालय को देख कर दया आती है। आज अगर किसी कलेक्टर की कचहरी में, या कमिश्नर की कोठी में या किसी मिनिस्टर की कोठी में आग लगी होती तो वह अब तक बन कर तैयार हो गया होता। आज करीब 3-4 महीने हो गये पुस्तकालय की हालत ज्यों की त्यों पड़ी है। उसको देख कर ऐसा लगता है कि जैसे पुराने जमाने का कोई घर हो जहां कहीं सांप, कहीं बिच्छू कहीं सियार रह रहे हों। वहां लाइट तक का इन्तजाम नहीं हो पाया है। कहीं पर विधायकों के बैठने का स्थान नहीं है। पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है। यह आपके परख्यू में है। मैंने पहले भी कहा था कि इसकी जांच आदि माननीय अध्यक्ष जी करें। सरकार का उससे कोई संबंध नहीं था। मुझे क्षमा करें उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। माननीय गुप्ता जी ने कहा था कि अध्यक्ष जी काफी कमजोर हैं, उन्होंने भी कमजोरी दिखा दी। कह दिया कि कमिश्नर जांच करेंगे। जांच की रिपोर्ट आयी है उस पर तो हम अलग से विचार करेंगे। लेकिन इमारत तो शीघ्र ठीक करायी जाय। इतने करोड़ का यह हमारा बजट है, अगर इसमें से एक दो करोड़ निकाल कर इसे ठीक करा दिया जाय तो क्या नुकसान है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर सरकार से बात हुई थी और यह प्रायः निश्चित है कि विधान भवन एक अच्छा और आधुनिक विधान भवन बने क्योंकि इसमें काफी तरमीम की जाय तब भी आवाज ठीक से नहीं सुनाई पड़ती है और जगह भी ठीक बैठने के लिए नहीं है। अध्यक्ष जी और मुख्य मंत्री जी सहमत हैं कि एक नया विधान भवन बनाया जाय और जो त्रुटियां हैं वे दूर की जायं।

श्री बंशीधर पांडेय---

यह पुस्तकालय हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

यह पुस्तकालय हो जाय या आपके बैठने की जगह हो जाय।

श्री बंशीधर पांडेय---

यह रहने दीजिये। इंगलैण्ड में पुरानी परम्परा है। इसी को नया करवा दीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

जैसा आप कह रहे हैं तो क्या जब नया विधान भवन बन जायेगा तब पुस्तकालय खुलेगा। जांच की प्रक्रिया समाप्त हो गयी और उसकी रिपोर्ट आ गयी है। उस पर आप ऐक्शन लेते

रहीं। पहले तो यह कहा जाता था कि पुस्तकालय कैसे खुलवायें, जांच हो रही है। अब तो जांच समाप्त हो गयी है। वहां आप बत्ती जलवा दीजिये और पंखा खुलवा दीजिये। जो अखबार और मैगजीन्स आती हैं, जिन पर पचासों रुपया खर्च करते हैं, वे तो पढ़ने को मिल जायं।

श्री बंशीधर पांडेय---

अगर आप एमरजेन्सी में आर्डर दिलवायें तो दस दिन के अन्दर वह ठीक हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने यह चीज असरकारी दिवस पर उठायी। किसी दूसरे दिन उठायें।

श्री बंशीधर पांडेय---

आप आज्ञा देंगे तो मैं सोमवार को उठाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसे समय उठायें कि मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित हो सके।

श्री बंशीधर पांडेय---

मंत्री जी को क्यों आप बीच में लाते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

इसलिए कि मंत्री और अध्यक्ष की आज्ञा के बावजूद भी काम नहीं होता।

श्री बंशीधर पांडेय---

आप आज्ञा दे दीजिये मुख्य मंत्री को तो बन जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने इसलिए निवेदन किया था कि हो सकता है कि मुझे कुछ बातों को लेकर स्वयं आना पड़े। हाउस आफ कामन्स नें कहना पड़ा था कि सरकार व्यवस्था नहीं करती है तो मुझे स्वयं सदन के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

हम लोग आपके साथ रहेंगे। मान्यवर, दो ढाई साल से जो लाउड स्पीकर्स की व्यवस्था है उसके बारे में हजारों कम्प्लेन्ट्स माननीय सदस्यों की तरफ से हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

इस साल सब बदला गया तब भी वह शिकायत है। भाभी राम जी जहां बैठते हैं तो जो वह कहते हैं, जैसा कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा था, उसका 25 सैकड़ा नहीं सुनाई पड़ता। मैं जो कहता हूं वह उन्हें न सुनाई देता होगा। इसकी जो एकास्टिग है, उसमें जो आवाज गूंजती है, इसका सुधार सम्भव नहीं मालूम होता। हमने इसके लिए पूछा था।

श्री राजमंगल पांडेय---

लाउड स्पीकर्स तात्कालिक चीज है। जो अच्छी व्यवस्था हो वह होनी चाहिए।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, डेली रेफरेन्स के लिए किताबों की आवश्यकता होती है तो वे भी इश्यु नहीं होतीं। आप इतना आदेश कर दें कि डेली रेफरेन्स के लिए जरूरत पड़ने पर किताबें मिल जायें। ये किताबें उसी दिन वापस कर दिया करेंगे।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

यहां जो जलपान की व्यवस्था है वह बड़ी असन्तोषजनक है। ऐसे लोगों को ठेका दिया जाता है जो अच्छी चीज नहीं देते हैं। दूसरे यह भी मुझे कहना है कि 14–15 अगस्त को 12 बजे रात को शायद आप हमें बैठने के लिए आदेश दें। उस दिन इस इमारत में बल्ब जलेंगे, खुशियां मनायी जायंगी। लेकिन उसी समय इस लम्बी इमारत के एक बड़े हिस्से में अंधेरा हो, वह हिस्सा असहाय सा पड़ा रहे तो वह हमारे लिए कलंक की बात होगी। यों तो हम सोमवार को यह प्रश्न लायेंगे, जैसा कि आपने कहा है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि यह प्रश्न लाने की जरूरत नहीं है, यह आपको स्वयं निश्चित करना चाहिए। इस सरकार के लिए भी आवश्यक है कि जिस दिन रोशनी कर रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, उस दिन इसका एक हिस्सा सूना न रह जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त तक आप इसको ठीक करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जानते हैं कि शासन के तीन अंग हैं—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप अनुमान लगाएं कि बजट का कितना प्रतिशत व्यवस्थापिका पर खर्च होता है और कितना प्रतिशत कार्यपालिका पर और कितना प्रतिशत न्यायपालिका पर खर्च होता है। शासन का जो खर्च है यानी कार्यपालिका पर जो खर्च है, वह बहुत ज्यादा है और हम लोगों का मामला रह जाता है। पुनर्गठन समिति की जो रिपोर्ट है, वह आठ वर्षों की कोशिश के बाद भी यहां नहीं आ पाई है।

श्री बंशीधर पांडेय—

वह भी चर्चा में आएगा।

प्रदेश के हायर सेकेण्डरी स्कूलों और पब्लिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करने के संबंध में संकल्प (क्रमागत) †

श्री उपाध्यक्ष—

अब आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव तो अकाल के बारे में है। उसमेंदो घंटे का समय दिया गया है। मंत्री जी को लिख दिया गया है, कार्यवाही होगी। अब हम उसे लेते हैं, जो कल से माननीय करनसिंह के प्रस्ताव पर विवाद जारी था। श्री राम नगीना मिश्र 6 मिनट बोल चुके थे, वह 9 मिनट और बोल लें।

श्री राम नगीना मिश्र (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मुझे और थोड़ा समय दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ऐसे महत्व के विषय पर पुनः हमें बोलने की इजाजत दी। मान्यवर, मेरे देखने से इसके दो पहलू हैं। पहला यह है कि शिक्षा कैसी हो, दूसरा यह है शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध कैसे हो। मान्यवर, शिक्षा के सम्बन्ध में कि शिक्षा कैसी हो, इस पर मैंने अपने विचार पहले भी सदन के सामने रखे थे। जिन संस्थाओं के द्वारा शिक्षा लोगों को मिल रही है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि हमारे जितने सम्मानित सदस्य हैं, वे सभी परिचित हैं आज की शिक्षा व्यवस्था से। हम भी एक-आध कालेजों से सम्बन्ध रखते हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि 100 परसेंट जो कालेज के व्यवस्थापक हैं, वे खराब हैं, लेकिन यह मेरा निश्चित मत है कि 100 में 75 ऐसे व्यवस्थापक हैं, जो इन स्कूलों को व्यापार का केन्द्र समझते हैं। सरकार ने शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है प्राइमरी एजूकेशन को अपने हाथ में लेकर।

---

†21 जुलाई, 1972 को कार्यवाही से।

जहां तक प्राइमरी एजूकेशन का सवाल है, मैं समझता हूं प्रदेश में 60 हजार से अधिक स्कूल होंगे और उनमें लगभग 30 हजार स्कूल ऐसे हैं, जहां पर बच्चों को पेड़ की छाया में बैठ कर पढ़ना पड़ रहा है। मैं अकेले देवरिया जनपद का दृष्टान्त इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं, 349 स्कूल ऐसे हैं जहां दीवाल भी नहीं हैं, पेड़ की छाया में बच्चे पढ़ते हैं। उनको अपने हाथों में लेकर सरकार ने देश का और गरीबों का उद्धार किया है। ठीक उसी तरह से मेरा यह निश्चित मत है कि कम से कम हाई स्कूल तक की शिक्षा को सरकार को तत्काल अपनी देखरेख में कराना चाहिए। इसके पहले सरकार पूरा खर्च तो नहीं देती थी, लेकिन इस बीच हायर सेकेंडरी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी कर दी है कि अध्यापकों पर जितना खर्च पड़ता है—वह कुछ खर्च बच्चों की फीस से पूरा हो जाता है और शेष धनराशि सरकार अनुदान के रूप में देती है।

यहां तक कि जो अध्यापक उसमें काम करते हैं उनके लिये भी सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि उनकी तनख्वाह सीधे सरकार देती है और उनके पासबुक में, बैंक में जमा हो जाती है। किन्तु इतना प्रबन्ध होने पर भी कुछ जगह प्रबन्धक उन अध्यापकों से एडवांस चेक ले लेते हैं।

हम जब अपने क्षेत्र में गये, कुछ अच्छे प्रधानाचार्यों से मिले थे। उनका मत था कि वस्तु स्थिति तो यह है कि जहां सरकार यह सोचती है कि इमारत बनवाने के लिये प्रबन्ध समिति अलग से पैसा लाती है, वह ऐसी बात नहीं है। केवल सरकार के अनुदान से बच्चों की फीस से, अध्यापकों से कटौती करके जो निर्माण होता है वही निर्माण होता है। प्रबन्ध समिति के सदस्य अपने पास से कुछ लगाते नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह कि जब सारा खर्चा सरकार बरदाश्त कर लेती है तो सरकार को जिस तरह से प्राइमरी एजूकेशन को हाथ में लेने में कुछ परेशानी जरूर हुई लेकिन साथ ही साथ इसे भी ले ले तो देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाय, हाई स्कूल तक शिक्षा-दीक्षा सर्वसाधारण के बच्चों को मिल जाय, सब साक्षर हो जायं, सब पढ़ लिख सकें यह सरकार की बहुत बड़ी देन होगी। चाहे उसका नाम राष्ट्रीयकरण रखा जाय या जो भी संज्ञा दी जाय इन नाम के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता।

मैं निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं सरकार को हाई स्कूल तक की शिक्षा अपने हाथ में ले लेनी चाहिये और जो खर्चे हैं शायद उसमें विशेष परिवर्तन न हो सके। इसमें भी कई तरह के स्कूल हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब छोटे-छोटे बच्चे गरीब के, तन पर कपड़ा नहीं स्कूल में जाते हैं वहीं बड़े-बड़े आदमियों के लड़के सवारियों पर चढ़ कर, रंगबिरंगे कपड़े पहन कर दूसरे स्कूलों में जाते हैं। गरीब का बच्चा धनी के बच्चे से मन में जलन करता है। सोचता है कि भगवान ने हम को ऐसी जगह जन्म दे दिया हमें स्कूल में चटाई भी न मिले, लिखने के लिये पाटी भी न मिले, उसी के बगल में धनी के लड़के के लिए कुर्सी मेज हो, आने जाने के लिये सवारी हो, खाने-पीने की सारी व्यवस्था हो। यह असमानता नहीं होनी चाहिये। कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर कुछ धनी लड़के ही पढ़ सकते हैं गरीब के लड़के पढ़ नहीं सकते हैं। यहीं पर लखनऊ में एक स्कूल का नाम है ताल्लुकेदार कालेज। वहां पर हो सकता है मेरी सूचना सही न हो जहां तक हम को पता है सर्वसाधारण का लड़का नहीं पढ़ सकता है चाहे कितना मेधावी छात्र क्यों न हो।

श्री उपाध्यक्ष—

अब ऐसा नहीं है, वहां। बल्कि उससे ज्यादा दूसरी जगह है। वहां मामूली लड़के पढ़ते हैं।

श्री राम नगीना मिश्र—

वहां अक्सर बड़े-बड़े धनीमानी के लड़के ही प्रवेश पाते हैं। दूसरी तरफ कनवेंट स्कूल हैं उसके बारे में इसके पूर्व हमारे बहुत से साथी कह भी चुके हैं। उसी तरह से अगर हाई स्कूल तक की शिक्षा-दीक्षा एक समान कर दी जाय तो लोगों में एक भावना आयेगी बराबरी की।

[श्री रामनगीना मिश्र]—

मैं आपके माध्यम से सरकार के कर्णधारों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई एक चीज आप कर रहे हैं जिसमें सदन और आम जनता का समर्थन है, अगर कुछ खर्चा अधिक भी पड़े, उसके लिये कुछ टैक्स भी लगाना पड़े तो लगा कर यह काम करना चाहिये। बड़े-बड़े महर्षियों का कहना है :

"येषा न विद्या न तपो न दानम् सातं न शील न गुणो न धर्मः,
ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति"।

तो मानव को मानव बनाने के लिये सरकार की जिम्मेदारी है। मानव उस समय तक मानव नहीं बन सकता जब तक उसको शिक्षा न प्राप्त हो।

मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि आज शिक्षा की हालत यह है कि जिस प्रकार दुधारू गाय को खिलाने-पिलाने के बाद उससे स्तन से समय आने पर दूध न प्राप्त हो और उससे वही मायूसी होगी जिस प्रकार देहात के लोग अपना तन, धन को काट कर बी0ए0, एम0ए0 तक अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और 22 साल की उम्र तक वे शिक्षा पाते हैं और पढ़ लिख कर जब निकलते हैं और उनके पिता उनसे कहते हैं कि अब खाओ कमाओ तो लड़के कहते हैं कि कहीं नौकरी नहीं मिलती। लड़का दर-दर

(इस समय 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।)

की ठोकर खाता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती है। मैं देहात का रहने वाला हूं, विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं किसी किताबी बात को नहीं कह रहा हूं। मेरा यह निजी अनुभव है और उसी का वर्णन मैं सदन में कर रहा हूं। मेरा अपना ख्याल है कि हाई स्कूल के बाद शिक्षा की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिये अगर आमूल परिवर्तन नहीं होगा तो वह दिन दूर नहीं है जब एम0ए0, बी0ए0 पास लड़के ठोकरें खायेंगे और ऐसा माहौल मुल्क में पैदा करेंगे कि लोगों का जीना हराम हो जायगा।

22 साल के बाद वे मैनुअल लेबर कर नहीं सकते, नौकरी उनको मिलेगी नहीं और जब भूख की ज्वाला से वह तड़पने लगेंगे तो कौन सा काम वे करेंगे ? वे उस काम को करेंगे जिसे समाज नहीं चाहता। पुराण की कहानी आपको याद होगी। विश्वामित्र बड़े महर्षि थे। भूखा रहना पड़ता था और जब वह भूख की ज्वाला बर्दाश्त न कर सके तो एक शूद्र के घर जा कर चोरी करनी पड़ी और उस पर भी उनको खाना नहीं मिला। जब इतना बड़ा महर्षि पेट की ज्वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे वह कर्म करना पड़ जाता है जो कर्म उसे नहीं करना चाहिये। तब फिर हम साधारण मानव अपने पेट की ज्वाला में क्या नहीं कर गुजर सकते। लिहाजा मुल्क को बचाने के लिये यह जरूरी है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो और शिक्षा ऐसी हो कि उसे प्राप्त करने के बाद आदमी को रोजी-रोटी मिल सके। आज शिक्षा ऐसी है कि देश में क्लर्क बनाये जा रहे हैं। सरकार को चाहिये कि वह यह देखे कि आज देश में कितने इंजीनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक, एग्रिकल्चर के जानने वालों की जरूरत है, कितने क्लर्क्स की जरूरत है। उसके बाद शेष जो विद्यार्थी हैं उनको 2,3 साल की ऐसी ट्रेनिंग दी जाय कि वे स्वतः अपनी रोटी का प्रबन्ध कर सकें लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे शिक्षा शास्त्री कोई ऐसा मार्ग निकालें, भविष्य में चल कर जो हमारे मुल्क में नौजवान निकल रहे हैं उनको शिक्षा दीक्षा इस तरह से दी जाय। शिक्षित होने के बाद उनको रोजी-रोटी के लिये तड़पना न पड़े।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राम नगीना मिश्र—

इन शब्दों के साथ मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे विचारों से आप भी परिचित होंगे और हमारे जो विद्वान साथी हैं वे ऐसी कोशिश करेंगे जिससे ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो कि उन्हें रोजी रोटी मिल सके।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, यह प्रस्ताव जिस रूप में यहां पर लाया गया है उससे यह प्रकट नहीं होता है कि यह प्रस्ताव किस प्रयोजन से लाया गया है और इसका क्या मंतव्य है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश के हायर सेकेंड्री स्कूलों और पब्लिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय" राष्ट्रीयकरण किया जाय पब्लिक स्कूलों का, और फिर भी पब्लिक स्कूल बने रहें दूसरे हाई स्कूल इसी तरह से बने रहें। इसका मतलब तो यह हुआ कि इनकी व्यवस्था तो एक हो जायगी किन्तु जो गरीबों और अमीरों के लिये आज शिक्षा की अलग-अलग व्यवस्था है, वह वैसी ही कायम रहे या उसमें कोई परिवर्तन किया जाय इस प्रस्ताव से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है। शब्दों को देखने से यह निकलता है कि जो विधि आज कायम है वह कायम रहे और उसको दूर करने के लिये इस प्रस्ताव की कोई मंशा नहीं है। इसके पीछे क्या भावना है, क्यों राष्ट्रीयकरण किया जाय, इसके लिये कई प्रयोजन हो सकते हैं।

एक तो यह हो सकता है कि जो गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापक हैं उनको सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के समान उपलब्धियां मिल जायं, उनकी सेवा की शर्तें समान हों, समान सुविधायें हों और उनमें कोई अन्तर न हो। जिस तरह की सेवा सरकारी स्कूलों के अध्यापक कर रहे हैं क्या उस तरह की सेवा गैर सरकारी मान्यता प्राप्त हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापक नहीं कर रहे हैं, एक भावना यह है कि दोनों प्रकार के अध्यापकों की सुविधायें और सेवा की शर्तें समान कर दी जायं, उनको एक ही प्रकार का वेतन स्केल मिले उनको समान सुविधायें दी जायं, अगर इस प्रकार की भावना यह है तो मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं। इसमें कोई अन्तर नहीं आना चाहिये। सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक हैं और गैर सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक हैं उनको समान स्तर पर ला दिया जाय, उनकी सुविधायें एक हो सके और यदि सरकार फिर यह कहती हो कि उनकी सेवा की शर्तें भी समान होनी चाहिये तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन सुविधायें दोनों प्रकार की संस्थाओं के अध्यापकों की समान ही होनी चाहिये। तो जो यह आज थोड़ा सा मनमुटाव सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के बीच में है कि गैर सरकारी अध्यापकों को नीचे स्तर में और सरकारी अध्यापकों को ऊंचे स्तर में गिना जाता है वह मिटा दिया जाना चाहिये हमें चाहिये कि हम सब लोग मिलजुल कर इस देश और प्रदेश की सेवा कर सकें, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठायें और देश के नौजवानों को इतना उठायें कि जब कभी देश पर आपत्ति आये तो उसका मुकाबला करने के लिय वे सक्षम हो सकें। इस चीज को दृष्टि में रखते हुए यह असमानता दूर कर देनी चाहिए।

मैं इस बात से सहमत हूं और मेरी मन्शा है कि यह जरूर किया जाय और किसी प्रकार का अन्तर नहीं रखना चाहिये। सरकारी स्कूलों के अध्यापक ज्यादा काम करते हैं और गर सरकारी स्कूलों के अध्यापक कम काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि बात इसके उल्टी है कि गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापक परिश्रम ज्यादा करते हैं और जिस तरह का स्टाफ दोनों स्कूलों में दाखिल होता है, अगर इनका मुकाबला किया जाय तो यह मानना पड़ेगा कि गैर सरकारी स्कूलों का जो परीक्षा फल होता है वह सरकारी स्कूलों के परीक्षा फल से कहीं अच्छा होता है। सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे दाखिले किये जाते हैं। अगर इंटर में दाखिला होता है तो सेकेंड डिवीजन हाई स्कूल का दाखिला वहां मुश्किल से हो पाता है। फर्स्ट डिवीजन पास ही वहां दाखिल हो पाते हैं। किसी सेकेंड डिवीजन लड़के को वहां मौका नहीं मिल पाता। लेकिन गैर सरकारी स्कूल सबका दाखिला कर लेते हैं। इस दृष्टि से कि उनके पास छात्रों की संख्या अधिक हो और स्कूल की आय कम न होने पावे। क्योंकि गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की तरक्की बहुत कुछ उसी पर

[श्री जयराम वर्मा]

निर्भर करती है । उनके पास पैसा हो तभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल वाले उसका विकास कर सकते हैं ।

शुरू में तो यह जरूर होता है कि स्कूल शुरू करने के लिये वे पैसा इकट्ठा करने में बहुत परिश्रम करते हैं और उस स्कूल की बुनियाद डाल देते हैं लेकिन जब स्कूल चलने लायक हो जाता है और सरकार की सहायता मिलने लगती है तब फिर वे लोग जो उसके बनाने वाले हैं और उसके चलाने वाले हैं, अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। केवल प्रबन्ध की जिम्मेदारी उनके ऊपर रह जाती है। फिर सरकार से पैसा जो मिलता है उससे किसी तरह तकलीफ उठा कर वे अपने स्कूलों को चलाने की कोशिश करते हैं । इसीलिये स्कूलों के अध्यापकों की ज्यादा जिम्मेदारी रहती है कि उनके स्कूल में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी रहें जिससे स्कूल की आमदनी कम न होने पावे और स्कूल का विकास धन की कमी की वजह से रुक न जाय । इसीलिये वे खराब से खराब स्टाफ को दाखिल कर लेते हैं । कोई मुकाबला नहीं हो सकता, जिस तरह के विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल होते हैं और गैर-सरकारी स्कूलों में दाखिल होते हैं लेकिन गैर सरकारी स्कूलों की परीक्षा परिणाम सरकारी स्कूलो के परीक्षा परिणाम से नहीं अच्छा होता है । इसका कारण यह है कि वे ज्यादा परिश्रम करते हैं । जब वे ज्यादा परिश्रम करते हैं, तो उनकी उपलब्धियां अच्छी न हो, उनका वेतन स्केल कम हो और उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ें यह अच्छा नहीं लगता और इस तरह से शिक्षा के प्रसार का जो सरकार का उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकेगा। जब सरकार को गैर सरकारी आदमियों का पूरा सहयोग मिलेगा और बराबर उनकी मदद मिलती रहेगी तभी सरकार जो शिक्षा का प्रसार बढ़ाना चाहती है, वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगी । इसलिये उनकी सहायता बहुत जरूरी है । इस वक्त शिक्षा का जितना प्रसार है, उसमें सरकारी स्कूलों के मुकाबले में गैर सरकारी स्कूलों का कहीं ज्यादा हाथ है। अगर उनकी सेवाओं की दृष्टि से देखा जाय तो यह बात नहीं होनी चाहिये कि उनके दिल में इस तरह की बात पैदा हो कि जो सेवा वह करते हैं उसका मुआवजा जितना उनको मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता, हमेशा खाने-पीने की फिक्र रहती है, वह उससे सन्तुष्ट नहीं हैं, तो फिर वे किस तरह से अपनी पूरी सेवा स्कूलों में देंगे।

सरकार को इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहिये और जितनी जल्दी हो सके सरकार को यह कर देना चाहिये जिससे उनके बीच आपस का द्वेष दूर हो और जो इस तरह के आन्दोलन चल रहे हैं गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के जरिये उनको आगे चलने की किसी तरह की गुंजायश ही न रहे । जब वे संतुष्ट रहेंगे तभी प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। लेकिन प्रस्ताव इस पीछे आधार क्या है । आधार यह है कि गैर सरकारी स्कूलों की प्रबन्ध समितियां ठीक प्रबन्ध नहीं करती हैं, उनके यहां प्रबन्ध में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, वहां पैसे का ठीक से इन्तजाम नहीं होता है ।

इस वास्ते गैर सरकारी स्कूलों को सरकारी स्कूल बना दिया जाये, यह कार्य ठीक नहीं होगा । किसी जगह का इन्तजाम अच्छा नहीं है इसलिये उसे खत्म कर दिया जाये, यह काफी नहीं है । अगर कह दिया जाये कि पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है, चोरी, डकैतियां और कत्ल वगैरा बढ़ रहे हैं इसलिये पुलिस विभाग को खत्म कर दिया जाय तो यह ठीक नहीं होगा। इसी तरह से अगर किसी विभाग का काम ठीक नहीं है तो उसे खत्म कर दिया जाय, यह ठीक नहीं है। यह कि उसकी बुराइयों को दूर किया जाय और आयंदा इस तरह की गुंजाइश न रहने पाये इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये ।

इन गैर सरकारी स्कूलों का इन्तजाम ठीक रहे, पैसे की गड़बड़ी न होने पाये, सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि अभी तक अध्यापकों को

नियत वेतन नहीं मिलता था, प्रबन्ध समिति गड़बड़ करती थी, अध्यापकों को पैसा वापस करना पड़ता था। लिखा कुछ जाता था और मिलता कुछ था। इसको ठीक करने के लिये सरकार ने व्यवस्था की कि उनका वेतन चेक द्वारा दिया जाये और ऐसे पैसे की गड़बड़ी न रहने पाये। अगर कहीं इस तरह की शिकायत अब भी हो और गड़बड़ी हो तो जिला विद्यालय निरीक्षक और डिप्टी डायरेक्टर को उसे देखना चाहिये और जहां गड़बड़ी हो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। इस तरह की गड़बड़ी न रहने पाये और अध्यापकों को पूरा वेतन मिल सके इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये।

अगर किसी स्कूल में गड़बड़ी है तो उसको सरकारी स्कूल बना दिया जाय और गैर-सरकारी आदमी का जो प्रयास होता था उसको बन्द कर दिया जाय अगर सरकार की जिम्मेदारी हो जाये तो जितना अभी तक प्रसार हो रहा था उसमें कमी आ जायेगी क्योंकि सरकार कहेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है कि और स्कूल बढ़ायें। स्थानीय लोगों के प्रयास से हर साल स्कूल बढ़ रहे हैं। इसलिये सुधार करना जरूरी है। जो गैर सरकारी आदमी इधर प्रयास कर रहे हैं उनको इससे बंचित कर दिया जाय तो यह प्रसार सम्भव नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि अगर इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो इसके माने हैं कि सारी चीज सरकार के हाथ में केंद्रित हो जाये। यह व्यवस्था भी ठीक नहीं हो सकती है कि सारी चीज सरकार के हाथ में केंद्रीभूत हो जाय। दुनियां के किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं बल्कि जो स्कूल हैं वे गैर सरकारी आदमियों के हाथ में हैं। सरकार कोशिश नहीं करती है बल्कि दूसरे लोग कोशिश करते हैं क्योंकि शिक्षा का प्रबन्ध स्वतंत्र रूप से होना चाहिये जिस से स्वतंत्र रूप से अध्यापक काम कर सकें और उनके ऊपर कोई खास का कंट्रोल न हो। सरकार जो चाहे काम करा सकें इन स्कूलों से यह भी अच्छा नहीं होगा देश के लिये। कोई ऐसा देश जिसमें तानाशाही हो, कम्युनिज्म हो, वह ऐसा करने का प्रयास करेगी कि सारी संस्थायें उसके हाथ में केंद्रीभूत हो जायें। लेकिन जो प्रजातांत्रिक सरकार है वह इस तरह के काम कभी नहीं करेगी। तानाशाही देश में, कम्युनिज्म में सारी चीज सरकार के हाथ में रहेगी, किसी दूसरे के हाथ में नहीं रहेगी।

इस तरह से करने से काम नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है कि इंगलैंड में भी ऐसा इंतजाम नहीं है कि सभी संस्थायें सरकार के हाथ में हों। शिक्षा संस्थायें ज्यादातर सीधे तौर से गैर-सरकारी हाथों में हैं और स्वतंत्र रूप से सब की सेवा का मौका मिलता है। यह जरूर देखना चाहिये कि जो शिक्षा में सेवा करना चाहते हैं उनकी उपलब्धियां यदि दूसरे विभागों के कर्मचारियों के मुकाबले में कम रहेगी, न्यून स्तर की मानी जायगी तो उसका प्रभाव अच्छा न होगा हम चाहते हैं कि सभी संस्थानों में शिक्षा के कार्य में उच्च स्तर के लोग लगें, अच्छे से अच्छे स्तर के लोग वहां लगें, योग्य लोग वहां जायं तभी यह सम्भव होगा कि वहां के अच्छे स्तर के विद्यार्थी भी निकलें। जब कि अध्यापकों का स्थान गुरु का माना जाता है तो वह स्थान वाकई बहुत ऊंचा है लेकिन केवल मुंह के कहने से कि वह गुरु हैं, काम नहीं चलेगा से अगर आप ने अमली तौर से साबित नहीं किया कि गुरु का स्थान उंचा मानते हैं तो केवल कहने से काम नहीं चलेगा। आप को अमली रूप से वहा उच्च स्तर के लोगों को लाकर शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहिये। जिस तरह की शिक्षा की जहां जरूरत है वहां उस विद्या के अच्छे देसे अच्छे विद्वान रखे जायं और इन शिक्षा संस्थाओं के स्तर को ऊपर उठाया जाय।

इस प्रस्ताव का यह मतलब मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि जो पब्लिक स्कूल और हायर सेकेन्ड्री स्कूल हैं उसके बीच में जो भेद है वह मिटे, पब्लिक स्कूलों में जो शिक्षा का खर्चा ज्यादा है अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था है, अच्छे अध्यापक हैं और इस वजह से वहां पर गरीब लड़के नहीं पढ़ सकते हैं केवल अमीर ही वहां पढ़ सकते हैं। शिक्षा के मामले में इस तरह की भेदभाव की व्यवस्था कभी नहीं होनी चाहिये। विद्यार्थी के दिमाग में यह बात हरगिज नहीं आना

[श्री जयराम वर्मा]

चाहिये कि वह गरीब घर का लड़का है और अन्य उसके साथ के लड़के अमीर घर के हैं। इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिये कि स्कूल में गरीबों के लड़के और अमीरों के लड़के एक दूसरे को समान भावना से देख सके और उनमें यह भावना कभी भी नहीं आने देना चाहिये कि फलां अमीर है और फलां गरीब है। मुझे उम्मीद है कि इस भावना को निकालने की कोशिश की जायगी क्योंकि यह एक दूषित भावना है। इंलैंड में और देशों में भी ऐसा नहीं है कि अमीरों के लड़के दूसरी ड्रेस में जायं और गरीबों के दूसरी ड्रेस में जायं या अन्य कोई भेदभाव नहीं है। इस तरह की भावना उन में पैदा की जाना चाहिये कि हम सब समान हैं, न कोई ऊंचा है और न कोई गरीब या अमीर है और वहां सब के लिये समान सुविधायें उपलब्ध रहना चाहिये। ऐसी भावना तभी होगी जब पब्लिक स्कूलों तथा अन्य स्कूलों के बीच के भेद को खत्म किया जायगा। लेकिन इस प्रस्ताव का यह मनशा नहीं मालूम पडती।

सब जगह एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली प्रचलित होनी चाहिये, आज की शिक्षा में जो खराबियां हैं उनको दूर किया जाय, उसमें सुधार किया जाय, जो टीचर्स हों उनका स्टैंडर्ड अच्छा हो, उनका वेतन अच्छा हो ताकि वह अच्छी तरह से शिक्षा का कार्य कर सके। योग्य अध्यापक होंगे तो वह अच्छी तरह से लडकों को शिक्षित कर सकेंगे और उन की ऐसी आदतें बनेगीं कि विद्यार्थी अपने को अच्छा नागरिक बना सकेगें। इन शिक्षा संस्थानों में कोई भेद न रहे और सब समान स्तर की हों, समान रूप से सब बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था हो, गरीब और अमीरों के बच्चे समान रूप से पढ़ सके तभी शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश का कल्याण हो सकता है। आज तो शुरू से ही भेदभाव पैदा किया जाता है कि यहां इन स्कूलों में गरीब लडके पढ़ेगें और यहां अमीर लडके पढ़ेंगे तो उन लड़कों के दिमाग से बडे होने पर भी कभी वह भेद नहीं मिटता शुरू शिक्षा में व्यक्ति की जो आदत और विचार बन जाते है वह बदलते नहीं हैं और वह जिन्दगी में खराब बने रहते है। इसलिये इस तरह के भेदभाव को मिटाना चाहिये। मेरा मनशा यह नहीं है कि पब्लिक स्कूलों का स्तर कम कर देना चाहिये बल्कि अन्य जो स्कूल हैं उनका स्तर ऊंचा किया जाय और ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिये कि अमीर और गरीब लड़के सब एक साथ पढ़ सके। पैसे की कमी का प्रश्न नहीं रहना चाहिये कि गरीब लडके पैसे की कमी की वजह से अच्छे स्कूलों में पढ़ ही न सकें और उनमें केवल अमीर लडके ही पढ़ सके। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि ऐसा भेदभाव मिट जाय।

मैं प्रस्तावक महोदय से इस बात को कहूंगा कि इससे स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि कभी उनकी मंशा होगी कि भेदभाव बना रहे। इसलिये अपने प्रस्ताव में उन्हें इस तरह की बात कर लेनी चाहिये कि यह भेदभाव मिटे। जो इसका पहला हिस्सा है अगर उनकी मंशा केवल इतनी है कि अध्यापकों की उपलब्धियां यहां और वहां भी समान हों तो सरकार से कह कर कराया जाय। जहां तक स्कूलों को सरकार हाथ में लेने का प्रश्न है मैं समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसा करने से एक दूसरी भावना का संकेत मिलेगा कि कोई तानाशाही होने जा रही है या इस तरह की कोई और बात होने जा रही है। विश्वविद्यालयों में भी जब सरकार इस तरह का दखल करती हैं, अपने अधिकारों से नामिनेशन से भरना चाहती है तो हम पसन्द नहीं करते हैं। जब वहां पर उचित नहीं है तो अगर वह नीचे करते हैं तो यह और भी उचित नहीं है। इन शिक्षा संस्थाओं की स्वतंत्रता बनी रहे, यह न छीनी जाय। देश और प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे अच्छी शिक्षा का प्रसार हो सके, अच्छे अध्यापक हों और जो लड़के पैदा हों वे देश के आगे आने वाली जिम्मेदारियों को सक्षम होकर निर्वहन कर सकें। इस तरह से आपको इन स्कूलों की व्यवस्था करनी चाहिये।

*श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

जहां तक प्राइवेट स्कूलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है यदि उन्हें इसी रूप में जिस तरह से आज के पब्लिक स्कूल्स चल रहे हैं, आज के सरकारी स्कूल्स चल रहे हैं, उसी तरह से इनका सरकारी करण करने का उद्देश्य है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं।

जहां तक प्राइवेट संस्थाओं के योगदान शिक्षा में रहा है वह भुलाया नहीं जा सकता है आज की शिक्षा प्रणाली दूषित है। उसके दूषित होने का सम्बन्ध निजी प्रबन्धकों से भी नहीं रहा। शिक्षा के सम्बन्ध में मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि शिक्षा का विषय प्रदेशीय सरकार का नहीं होना चाहिये, बल्कि केन्द्रीय सरकार का होना चाहिये। जब केन्द्रीय सरकार शिक्षा के विषय को अपने हाथ में लेगी, तभी सारे देश में एकरूपता होगी, परन्तु इसका सम्बन्ध प्राइवेट संस्थाओं से जोड़ना उचित नहीं है। हमारे प्रदेश में प्राइवेट संस्थाओं का शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। कहा जाता है कि इनमें भ्रष्टाचार है, इसमें कमी हो सकती है लेकिन यह तो सरकारी संस्थाओं में भी है। इलाहाबाद राजकीय इन्टर कालेज की मैं बात बताता हूं। 15 साल हुए वहां पर कोई ईंट नहीं जुड़ी है। तब से जिले में 20 इन्टरमीडिएट कालेज स्थापित हो गये हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि प्राइवेट संस्थाओं में भ्रष्टाचार होता है लेकिन मेरा निवेदन है कि जब प्राइवेट संस्थाओं में 10 कमरे बनवाकर, फर्नीचर इकट्ठा करके हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त करते हैं तब सरकार अनुदान देने पर विचार करती है। इतने कमरों और फर्नीचर का प्रबन्ध प्राइवेट संस्था ही करते हैं और सरकार एक भी पैसा नहीं लगाती है। प्राइवेट संस्थाओं में गड़बड़ियां होती हैं लेकिन ये सरकारी संस्थाओं में भी होती है। ज्ञानपुर राजकीय महाविद्यालय, जिसके बारे में कहा गया कि भ्रष्टाचार है, दलबन्दी है वहां का परीक्षाफल ही रोक दिया गया है। तो प्राइवेट संस्थाओं को राजकीय कर्मचारियों के हाथ में सौंप देना मैं किसी प्रकार भी उचित नहीं समझता हूं।

बेसिक शिक्षा को लेकर कहा गया है कि सरकार ने अच्छा काम किया है। उसका प्रबन्ध अब अच्छा होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। एक ओर तो हम कहते हैं कि ब्युरोक्रेसी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर इन संस्थाओं को भी ब्युरोक्रेसी के हाथ में देने जा रहे हैं। अभी एक स्कूल के भवन निर्माण के लिये 8,500 रुपया दिया है लेकिन साथ में एक नक्शा भी भेज दिया है जो कभी पन्द्रह हजार से कम बनने वाला नहीं है उसके लिये एक तरफ सरकार कहती है कि हम आठ और साढ़े आठ हजार रुपये भवन के लिये दे रहे हैं। दूसरी तरफ पन्द्रह हजार रुपये में बना नहीं सकते हैं। ऐसी बातें सम्भव नहीं हैं। सरकार के पास भी किराये के भवन हैं तो कैसे मान लिया जाय कि एक दिन में सारे भवन बन जायेंगे और सुधार हो जायेगा।

जहां तक प्राइवेट संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उन संस्थाओं के अध्यापकों को भी वही वेतन तथा सुविधायें मिलनी चाहिये जो राजकीय स्कूलों के अध्यापकों और कर्मचारियों को दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट तथा सरकारी स्कूलों में भेद करना ठीक नहीं है। मैं तो यह भी समझता हूं कि जो प्राइवेट संस्थाओं में अध्यापक काम करते हैं उनसे कितनी बेकारी दूर करने में सहायता मिली है। उनका योगदान इसमें सराहनीय रहा है। हमारे सदन के सम्मानित सदन में 425 एम0 एल0 ए0 में से अधिकांश ऐसे होंगे जो किसी न किसी प्राइवेट मैनेजमेंट से अवश्य संबंधित होंगे। वे प्राइवेट मैनेजमेंट में काम करते हैं। और हाउस में कहते हैं कि उन सब में बेइमानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकिशोर शुक्ल]

हो रही है । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा आदमी उनमें नहीं निकला जो प्राइवेट मैनेजमेंट से इस्तीफा देकर आया हो । अभी मिश्रा जी बोल रहे थे । उन्होंने भी यही कहा कि प्राइवेट मैनेजमेंट में 75 फीसदी में गड़बड़ियां हो रही हैं ।

जहां तक संस्थाओं का सम्बन्ध है उनमें शिक्षा प्रणाली बदली जाय । शिक्षा प्रणाली बदलने का कार्यक्रम प्राइवेट संस्थाओं का नहीं है । यह सरकार का है । राजकीय इन्टर कालेज में प्रथम श्रेणियों के छात्र भरती किये जाते हैं और उसके बाद भी उनका रिजल्ट पचास प्रतिशत ही आता है जबकि प्राइवेट संस्थाओं में थर्ड डिवीजन वाले भी भरती हो जाते हैं और वे फर्स्ट डिवीजन में पास करते हैं । इलाहाबाद में एक कालेज है इन्टर कालेज जिनका रिजल्ट बड़ा अच्छा रहता है और लडके वहां एडमिशन लेने को इच्छुक रहते हैं कि वहीं एडमिशन हो जाय । जहां तक गरीब लड़कों के पढ़ने का प्रश्न है यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि सब संस्थाओं में समान अवसर हों चाहे वे पब्लिक स्कूल हों चाहे प्राइवेट संस्थायें हों । उन स्कूलों का स्तर बढ़ाया जाय और उनमें ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे गरीब–अमीर का भेद नहीं रहना चाहिये । शिक्षा क्षेत्र में तो भेद होना उचित नहीं है और हर लड़के की शिक्षा के मामले में समान सुविधायें मिलनी चाहिये । लेकिन संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण कर देने से, या इन्सपेक्टर के स्कूल्स के हाथ में ही सौंप देने से ही हमारे साथी समझते हों कि स्तर ऊंचा हो जायेगा मैं इससे सहमत नहीं हूं । जिस तरह से रेवेन्यू, विभाग या अन्य विभागों में भ्रष्टाचार है उसी तरह से शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार है । प्राइवेट मैनेजमेंट में बहुत जगह दलबन्दियां हैं लेकिन सरकारी विभागों में भी दलबन्दी है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों में भी दलबन्दी है ।

हमारे शिक्षा विभाग में जो ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं उनमें भी आपस में तनाव है और उनके कार्यों का प्रभाव इन शिक्षा संस्थाओं पर भी पड़ता है । राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर के जो प्रिन्सिपल हैं वे तो शिक्षा विभाग के निदेशक होने के उम्मीदवार थे और उनका कहना था कि उनके कार्यों में कमियों के कारण उन्हें नहीं बनाया गया । उनके कार्य स्पष्ट करते हैं कि उन लोगों के हाथों में सारा शिक्षा का संगठन अगर दे दिया जायेगा तो शिक्षा विभाग सुधर जायेगा ऐसी बात नहीं है । जहां तक अध्यापकों के साथ-साथ विद्यालयों में काम करने वाले निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी सुविधा का सवाल है मैं इस बात का समर्थक हूं कि उन सभी कर्मचारियों को भी राजकीय स्कूलों के अनुरूप सुविधायें दी जांय । जो प्राइवेट कालेजों में काम करने वाले हैं उनका केवल राजकीय करण कर देने से ही सुधार हो जायेगा मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है । प्राइवेट स्कूलों में काम करनेवाले अध्यापक भी सरकारी स्तर की सुविधाओं को चाहते हैं परन्तु वे भी इस बात के लिये तैयार नहीं है कि सारे स्कूलों का राजकीयकरण कर दिया जाय । जहां तक प्रस्ताव की मंशा है उससे तो किसी बात का अन्तर नहीं मालूम पड़ता है कि उसी तरह से विद्यालय और प्राइवेट स्कूल अगर सरकार के हाथ में दे दिये जायं केवल इतने ही से उनमें सुधार हो जायेगा, यह सम्भव नहीं है ।

तो मैं समझता हूं कि इस संकल्प के प्रस्तावक महोदय को अपना यह प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिये और इसमें समुचित सुधार करके फिर से लाने का प्रयत्न करें । मैं यह तो मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति लगे हुये हैं जैसे अध्यापक, कर्मचारी, आदि उनका वेतनमान सरकारी संस्थाओं के समान हो, लेकिन सारी संस्थाओं को सरकारी नौकरी के हाथ में दे देना और यह कहना कि सुधार हो जायेगा, सम्भव नहीं है । बेसिक शिक्षा की बहुत दुहाई दी जा रही है । एस0 डी0 आई0 का सम्बन्ध अध्यापकों से कानूनगो और लेखपाल की तरह हो जाता है और जितना भ्रष्टाचार आज प्राइमरी स्कूलों में व्याप्त है उसका अधिकांश उत्तरदायित्व इन्हीं सरकारी निरीक्षकों का है और इसी तरह से गड़बड़ होती है । मान्यवर, आप शान्ति निकेतन और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय आदि प्राइवेट संस्थाओं को देखें कि इन्होंने शिक्षा के स्तर को आज कितना ऊंचा उठा दिया है । यह प्राइवेट जो मैनेजमेंट हैं सब के सब गड़बड़ी करते हैं, यह उचित नहीं है । लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जहां तक अध्यापकों और कर्मचारियों का सम्बन्ध है

उन्हें सरकारी स्कूलों के समान सुविधा मिलनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अधिष्ठाता महोदय, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है एक ऐसे प्रस्ताव के द्वारा आया है जिसमें सरकार की स्थित स्पष्ट रूप से होने की नहीं है, लेकिन विभिन्न राजनैतिक दलों की अपनी स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है। श्रीमन्, इसमें दो बातें कही गई हैं इस प्रस्ताव में। पहली बात तो यह कही गई है कि माध्यमिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और दूसरी बात पब्लिक स्कूलों के राष्ट्रीकरण की कही गई है। जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हर मर्ज का इलाज राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता। अगर कोई यह कहे कि हर चीज के लिय राष्ट्रीयकरण कियाजाय, तो हर उद्योग, हर काम धंधा का, तो एक दिन सरकार पान की दूकान करने लगेगी और यह समस्या हो जायेगी कि इस देश में या प्रदेश में कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा या नहीं। सबके सब नौकर हो जायेंगे और गुलाम हो जायेंगे। इसलिये राष्ट्रीयकरण को हर मर्ज की दवाई नहीं हो सकती—अमृतधारा नहीं बन सकती। यह विचार जानना जरूरी है कि किस भावना से राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है।

जो माननीय रामकरन जी ने यह प्रस्ताव रखा है, उनकी भावना सम्भवतः यह है कि श्रीमन्, आज जो प्राइवेट प्रबन्धक हैं उनसे हमारा अध्यापक बहुत परेशान है। अगर मैं यूं कहूं दो पाटों के बीच में पिस रहा है तो अतिशयोक्ति न होगी। एक ओर तो मैनेजमेंट है। उसकी क्रूरता और अत्याचार एक ओर है और दूसरी ओर जो इन्टरमीडिएट ऐक्ट के द्वारा इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पास कुछ अधिकार है। उन अधिकारों के दुरुपयोग के कारण या उन अधिकारों का प्रयोग न करने के कारण आज अध्यापक को परेशानी है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक समस्या है जिसको गहराई में जाना चाहिये। ठीक है अगर कोई बहुत बड़ा लोहे का उद्योग है, कोई बेसिक इन्डस्ट्रीज है, रेलवे है, एरोप्लेन है, कोई देश का डिफेन्स का उद्योग है, तो हम सबसे पहले होंगे जो यह कहेंगे कि यह प्राइवेट हाथों में नहीं रहना चाहिये। इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा भी प्राइवेट हाथों से निकालना चाहिये क्योंकि प्राइवेट हाथों में शिक्षा एक दूकान बनकर रह गई है। मैं ऐसे विद्यालयों के मैनेजरों को जनता हूं जिन्होंने उस विद्यालय के माध्यम से अपनी रोजी पैदा कर रहे हैं। इसको समझना चाहिये। हमारी समझदारी यह नहीं है कि मैनेजर को हटाकर—मोहन लाल या सोहन लाल को हटाकर, डी० आई० ओ० एस० बैठा दिया जाय और वह उसका मैनेजर बन जाय या ब्यूरोक्रेसी का एक घिसा-पिटा आदमी वहां आकर बैठ जाय। यह कोई समस्या का हल नहीं है।

हमारा यह कहना है स्पष्ट रूप से, श्रीमन्, कि न तो प्राइवेट लोगों के हाथ मे शिक्षा रहनी चाहिये और न सरकार के चंगुल में ही रहनी चाहिये। सरकार के चंगुल में रहेगी तो इसका सरकारी करण हो जायेगा और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वे इस पर हावी हो जायेंगे, जैसा कि आज हम हर जगह परेशान हैं। तो सरकार के हाथ में देने से ये बेचारे अध्यापक उनके शिकार हो जायेंगे हमारा यह सुझाव है कि शिक्षा को शिक्षाविदों के हाथ में देना चाहिये, शिक्षा-शास्त्रियों के हाथ में देना चाहिये, शिक्षा वेत्ताओं के हाथ में देना चाहिये जो उनके मैनेजमेंट का संचालन है, वह इन लोगों के हाथ में देना चाहिये। ये शिक्षा-शास्त्री, शिक्षावेत्ता, अध्यापक और मैं तो यहां तक कहूंगा कि विद्यार्थी, ये सब, सारी शिक्षा का संचालन करें। सरकार का नियंत्रण कम से कम हो। मैं तो कहूंगा कि सरकार का नियंत्रण बिल्कुल न हो। यह कितना हो? किसी न किसी अंश में सरकार अपना नियंत्रण रखेगी, वही काफी है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वह नियंत्रण जितना कम से कम हो, उतना ही शिक्षा का भला होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

मान्यवर, आज माध्यमिक शिक्षास्तर का अध्यापक परेशान है प्राइवेट मैनेजमेंट के प्रबन्ध से। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देहरादून में एक इन्टर कालेज के अध्यापक की माता जी की मृत्यु हो गयी। इस अध्यापक का नाम आनन्द स्वरूप गुप्ता है। 8.00 बजे मृत्यु हुई। 8.30 पर मैनेजमेंट को सूचना भेजी गयी। 9.00 बजे कालेज में नोटिस गयी कि कालेज बंद होगा। विद्यार्थियों और अध्यापकों की तरफ से शोक प्रस्ताव पास हुआ। उसी मैनेजमेंट के हाथ से यह नोटिस जारी होती है और उसी मैनेजमेंट के हाथ से 10.00 बजे वह अध्यापक निलम्बित किया जाता है। क्या कारण है? कोई दोष नहीं है उसका। उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है। इतने अच्छे चरित्र का अध्यापक है वह लेकिन वह मनेजर की चापलूसी नहीं कर सका था इसलिये उन्होंने उसको पसन्द नहीं किया। यह स्थिति है आज शिक्षा की। जिस दिन मैनेजमेंट चाहता है, उसे नोटिस दे दी जाती है, ससपेन्शन मिल जाता है। तो, मान्यवर, इस प्राइवेट मैनेजमेंट की धांधलेबाजी को खतम होना चाहिये, इस एकाधिकार को खतम होना चाहिये। आज वेतन के लिये उनको यह सुविधा है कि समय से वेतन मिले या चेक से वेतन मिले।

लेकिन मान्यवर, अगर उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण करें तो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आज सैकड़ों ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जहां ठीक समय पर वेतन नहीं मिलता तो यह सब प्राइवेट मैनेजमेंट के कारण है। लेकिन अब सुझाव है कि जब सरकार के हाथों में आजायेगा तो स्थिति में सुधार होगा। लेकिन मान्यवर, इसके भी उपलब्ध उदाहरण हैं—जहं-जहं चरण परे संतन के, तहं-तहं बंटाधार। आप कोई विभाग ले लीजिये। शिक्षा को ब्यूरोक्रेसी के हाथों में देने का नतीजा क्या होगा? आज जो कमाई प्राइवेट मैनेजमेंट की जेब में जाती है, वह इन ब्यूरोक्रेसी के जेबों में जाने लगेगी। इसलिये शिक्षा को सरकार के हाथों में देना, इसका सही हल नहीं है। शिक्षा के सरकारीकरण, या जिसको आप राष्ट्रीयकरण कहते हैं, से उसका उद्धार नहीं होने वाला है। जब आप शिक्षा के संचालन का कार्य शिक्षाविदों, अध्यापकों और विद्यार्थियों के हाथ में सौंपेंगे, तभी उसका उद्धार होगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, आपने कहा कि जो निजीकरण है, या जो प्राइवेट मैनेजमेंट है, वह तो खराब है, उसको हटा दिया जाय। और आप सरकारीकरण को भी नही पसन्द करते हैं। ये कहते हैं कि अध्यापकीकरण कर दिया जाय। लेकिन, श्रीमन् अध्यापक कहते हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी बना दिया जाय। तो अध्यापक जब सरकारी कर्मचारी बन जायगा तो सरकारीकरण हो जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय राय साहब से जिन अध्यापकों का सम्बन्ध है वह सरकारीकरण की बात करते होंगे, लेकिन मेरा जिनसे सम्बन्ध है वह सरकारीकरण की बात नहीं कहते हैं। मैं हजारों अध्यापकों की भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूं जो सरकार के हाथ में जाने से प्रसन्न नहीं हैं। आपने उनके सामने दो ही विकल्प रखे। एक तो प्राइवेट मैनेजमेंट का और दूसरा सरकारीकरण का। तो प्राइवेट मैनेजमेंट के मुकाबले में उन्होंने सरकारीकरण मंजूर कर लिया... (व्यवधान)...यह माननीय पांडे जी की समझ में नहीं आयेगा क्योंकि यह अभी उसी हवा में बह रहे हैं...

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

राष्ट्रीयकरण और सरकारीकरण में अन्तर है। माननीय नित्यानन्द जी जनसंघ में नए रंगरूट आए हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

नए रंगरूट शायद पांडेय जी हैं । जिस समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया उससे बहुत पहले से मैं सामाजिक और राजनैतिक काम कर रहा हूं । श्रीमन्, वह मेरी बगल में बैठते हैं, मजाक की बात है, कई बार मियां-बीबी में झगड़ा हो जाता है, मैं तो नाराज नहीं होता ।

श्री राजमंगल पांडेय---

अगल-बगल बैठने में तो इतनी लड़ाई है । अगर आमने सामने होते तो क्या होता ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह एक ऐसा मसला है जिसमें अध्यापकों के सामने तीसरा विकल्प नहीं है । अगर तीसरा विकल्प आ जाय कि उसके हाथ में सारा प्रबन्ध हो सकता है तो मैं समझता हूं, कि यह जो आपके दिमाग में भ्रांति है जिसको कि आप राष्ट्रीयकरण कहते हैं कि अध्यापक उसी को चाहता है, यह भ्रांति दूर हो जायेगी ।

श्रीमन्, पब्लिक स्कूलों की बात भी मैं कहना चाहता हूं । देहरादून पब्लिक स्कूलों का केन्द्र है । वहां एक दून स्कूल है जहां इन्दिरा जी के दोनों लड़के संजीव गांधी और राजीव गांधी पढ़े हैं और जितने नेता लोग हैं, जो समाज सुधार की बात करते हैं, उनके बच्चे वहीं पढ़ते हैं । उस स्कूल में दाखिले के लिये तब नाम लिखा देते हैं जब बच्चा पेट में होता है । बड़ी लम्बी लिस्ट वहां बनी हुई है । उन स्कूलों में एक-एक बच्चे पर दो-दो और तीन-तीन हजार रुपया खर्चा होता है । इसी तरह से सेन्ट थामस हैं, और कई पब्लिक स्कूल्स हैं वहां पर । जितने बड़े-बड़े नेता हैं, जितने बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे ही स्कूलों में पढ़ते हैं और कम्पटीशंश में वही बच्चे आते हैं । वही कलेक्टर बनते हैं, वही फारेन सर्विस में आते हैं, वही आई० ए० एस० और पी० सी० एस० और आई० पी० एस० में आते हैं । हमारे और आपके बच्चे जो साधारण स्कूलों में पढ़ते हैं वह उनके मुकाबले में नहीं आ पाते । इसलिये समानता की बात तब तक नहीं होगी, समाजवाद का नारा खोखला ही रहेगा, जब तक आप इन स्कूलों को इस लेबिल पर न ले आयें कि जिससे साधारण व्यक्ति भी इनमें अपने बच्चों को पढ़ा सके ।

माननीय जगजीवन राम जी देहरादून आये थे । उन्होंने कहा था कि हमारी 18 प्रतिशत रिजरवेशन की जो मांग है हम इसको छोड़ देंगे अगर इन पब्लिक स्कूलों के अन्दर हमारे बच्चे भी फ्री शिक्षा प्राप्त कर सके । मैंने उनको पत्र भी लिखा । उन दिनों वह कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट थे । और मंत्रिमंडल में भी थे । मैंने लिखा कि इस अच्छे काम को आपसे अच्छा और कौन कर सकता है क्योंकि आप तो इस समय इस स्थिति में हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक स्कूल्स पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिये । मैं राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कहूंगा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि सरकार उनको अपने नियंत्रण के अन्तर्गत ले और सामान्य व्यक्ति भी तथा उसके बच्चे भी उसमें पढ़ सके जो कि इतनी अधिक फीस नहीं दे सकते हैं । सरकार अपनी जेब से उनकी फीस आदि दे तथा उनको अन्य वे भी सुविधायें मिल सकें जो वहां के लिये आवश्यक है ।

हमारे देश के अन्दर यह भावना है कि वहां पर तो बड़े ही लोगों के बच्चे जा सकते हैं गरीबों का वहां पर कोई प्रश्न नहीं है । यह भावना केवल रुपये के कारण ही नहीं है और भी कई कारण हो जाते हैं । उन बच्चों को भी सामान्य विकास का अवसर प्राप्त हो । आज भावना यह है कि यहां के सभी लोग बराबर नहीं हैं । अगर विकास का सभी लोगों को समान अवसर होगा तो हार्टबर्निंग नहीं होगी । हमारे अन्दर और साधारण जन के दिल में इस प्रकार के फर्क की भावना है वह दूर होनी चाहिये । वहां के पढ़े लिखे बच्चे देश की और विदेश की बड़ी बड़ी नौकरियों में जाते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं जब कि हमारे बच्चे जो कि साधारण

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

विद्यालयों में पढ़े हैं वे केवल क्लार्क या छोटे काम के ही उपयुक्त रह जाते हैं । इस प्रकार का विषेश सर्किल समाप्त होना बहुत आवश्यक है । उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण चाहिये और साधारण व्यक्ति का बच्चा वहां पढ़ सके इसको आपको करना चाहिये । वे वहां पर बिना फीस के पढ़ सकें और उनको भी वे ही सुविधायें मिलें । सरकार का नियंत्रण होगा तो जो मनमानी की जाती है वह भी समाप्त हो जायेंगी और शिक्षा पद्धति सभी लोगों के समान रूप से होगी । प्रस्तावकर्ता ने जो प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर फिर से इन लाइन्स पर विचार किया जायगा ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

इंडिया भर में 30 ऐंग्लो इंडियन स्कूल्स हैं जिसमें 30 हजार लड़के पढ़ते हैं । यू० पी० में 7 ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें 7000 लड़के पढ़ते हैं। इन स्कूल्स ने अपना स्टैन्डर्ड मेन्टेन किया है । अमरीका, इंग्लैंड या जापान कहीं भी इस तरह के प्राइवेट स्कूल्स चलाये जाते हैं । हमारे स्कूलों में भी सोसाइटी के सभी तरह के लड़के पढ़ते हैं । गरीब भी और अमीर भी । जो गरीब लड़के हैं उनको हर तरह से हेल्प भी की जाती है । आप यह कहें कि जो आपके दूसरे स्कूल्स हैं उनको ऊपर किया जाय, उनका स्टैन्डर्ड बढ़ाया जाय । खतम करने से तो प्रोब्लेम साल्व नहीं हो सकती है ।

एक सदस्य—

मैनेजमेंट जो चल रहा है उसको परिवर्तित कर दिया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इन स्कूलों को खत्म करने के लिये मैं नहीं कह रहा हूं । मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि जो गरीबों के, जन साधारण के बच्चे हैं उनको भी समान रूप से अवसर मिले । सरकार उन बच्चों की फीस दे । बाकी जो लड़के फीस देकर पढ़ सकते हैं वे फीस देकर पढ़ते रहें ।

श्री ए० सी० ग्राइस—

जगजीवन राम जी देहरादून गये थे । वहां के कमेटी के लोगों ने कहा कि वे फ्रीशिप देंगे । सरकार कुछ थोड़ा सा खर्चा देगी । वहां पर इस तरह के जो बच्चे ऐडमिट हुये थे उनमें से 60 परसेंट तो भाग ही गये । बात यह है कि नीचे से इसी तरह का सिलसिला रहता नहीं है तो फिर चल नहीं पा सकते हैं ।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

संकल्प यह है कि इस प्रदेश के हायर सेकेन्ड्री स्कूलों और पब्लिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय । यह बड़ा गम्भीर मसला है । इस पर विचार करते समय अनेक बातों पर ध्यान देना होगा । मैं इस प्रस्ताव के अन्तिम अंश के बारे में ध्यान आकर्षित करता हूं । हमारे पूर्व वक्ता श्री नित्यानन्द स्वामी ने कहा कि जो स्कूल्स देहरादून में बने हैं वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि गरीबों के लड़के भी उसमें शामिल हो सकें और उनका खर्चा सरकार वहन करें । मान्यवर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने जिस प्रकार के राष्ट्रीयकरण की कल्पना की है वह तो वेलफेयर स्टेट की ही कल्पना है और इसी को ध्यान में रखकर हमको शिक्षा पद्धति को भी नियोजित करना पड़ेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे संविधान ने यह कहा है कि हर आदमी को शिक्षा, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समान अवसर मिलना चाहिये । हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या मौजूदा पब्लिक स्कूल्स के रहते हुये बच्चों के लिये शिक्षा का समान अवसर है । इसका एक मात्र उत्तर यह है कि जबतक दो तरह के स्कूल बने हुये हैं, एक गांव में जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरा शहर के वह फैन्सी स्कूल जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, तब तक संविधान की अवहेलना हो रही है । मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार जो समाजवाद की स्थापना करना चाहेगी और सब के बच्चों के लिये शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर देना चाहेगी उसका पुनीत और पहला कर्तव्य यह होगा कि ये पब्लिक स्कूल, जिन पर लाखों रुपये खर्च होते हैं, बन्द करे और एक तरह के स्कूल चलाये चाहे देहात के लड़के पढ़े या शहर के लड़के पढ़ें । समाजवाद की मान्यता यह है कि एक तरह के स्कूल हों । लेकिन अंग्रेजों के जामाने से यह पुरानी लिगेसी चली आ रही है ।

अंग्रेजी पहले से ही एक शासक वर्ग पैदा करता था और जो मुट्ठी भर लोग थे जिनका सारे क्षेत्र पर अधिकार था उनके बच्चों के पढ़ने के लिये एक विशिष्ट प्रकार के स्कूलों की स्थापना की गयी और उन स्कूलों की संख्या आज भी चली आ रही है बल्कि वह पहले से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है । यही कारण है कि संविधान में सारी धाराओं के रहते हुये विभिन्न क्षेत्रों में समानता स्थापित नहीं हो पा रही है । इसलिये मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो ये फैन्सी स्कूल हैं इनको बन्द किया जाय और सारे प्रदेश और देश में एक तरह की शिक्षा प्रणाली प्रारम्भ की जाय । तब एक नये समाज का निर्माण होगा जिसकी कल्पना हमारे संविधान में की गयी है । हमारे दल की निश्चित रूप से यह राय है कि ये फैन्सी पब्लिक स्कूल जितनी जल्दी समाप्त किये जायं और उनको अन्य स्कूलों की परिधि में ला कर खड़ा किया जाय उतना ही अच्छा होगा । हम यह नहीं चाहते कि पढ़ाई जो अच्छी व्यवस्था है, जो अच्छी इमारतें हैं वह रहें नहीं हम यह चाहते हैं कि सब के लिये एक तरह की व्यवस्था हो । देहात का बच्चा जमीन पर बैठ कर पढ़े और शहर के अमीरों के लड़के और बड़े-बड़े नेताओं और अधिकारियों के बच्चे इन फैन्सी स्कूलों में पढ़ें यह संविधान की निश्चित रूप से अवहेलना है । इसलिये सारे प्राइमरी स्कूल तथा पब्लिक स्कूल सरकार को ले लेना चाहिये । आज भी दर्जा 6 तक और अब तो दर्जा 8 तक सब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो गया है । इसकी रोशनी में भी यह उचित होगा कि पब्लिक स्कूल्स को समाप्त कर के एक तरह की शिक्षा व्यवस्था जूनियर हाई स्कूल तक प्रारम्भ की जाय ।

अब रही हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स की बात । प्रस्तावक महोदय ने जो विचार रखे राष्ट्रीयकरण की क्या रूपरेखा होगी इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया । मैंने अनेक वक्ताओं के भाषण भी सुने । यह सही है कि अध्यापकों की कुछ कठिनाइयां हैं और विद्यार्थियों की भी कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं । हमारे विद्यालय साज सज्जा से पूर्ण नहीं हैं । ये कहते कि सब चीजों का एक ही इलाज है कि राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

मान्यवर, राष्ट्रीयकरण के मानी क्या हैं ? आज तक जितने भी राष्ट्रीयकरण हुये है उनका एक सीधा अर्थ होता है सरकारीकरण । जितने भी आज तक कमीशन बैठे हैं और बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्री हुये हैं उन सभी का यह मत रहा है कि शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये । जिस देश में जनतंत्र हो वहां विचार स्वतन्त्र होने चाहिये । हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है । जब से सरकार ने अध्यापकों को वेतन देने का भार अपने हाथ में लिया है तब से उनको कुछ राहत मिली है, लेकिन इस प्रदेश के बहुत से विद्यालय ऐसे हैं कि जिनके पास भवन भी है, विद्यार्थी भी हैं, साज सज्जा भी है, मगर शिक्षक इस डर से नहीं रखे जाते कि उन की तनख्वाह का भार सरकार पर पड़ जायेगा । इस डर से उनको नये-नये विषयों को खोलने की तथा मान्यता आदि देने की आज्ञा भी मुश्किल से ही मिल पाती है । आज इस कारण नयी-नयी मान्यता आदि देने पर एक तरह का प्रतिबन्ध सा लगा रखा

[श्री रामधारी शास्त्री]

है। प्रदेश में 24 प्रतिशत ही लोग शिक्षित हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जायें, उनमें शिक्षक पर्याप्त संख्या में हों। यह तभी हो सकेगा जब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। राष्ट्रीयकरण से यह समस्या और उलझ जायेगी। सरकार का जब नियन्त्रण हो जायेगा तो न नये विद्यालय खुलेंगे, और न ही अध्यापक रखे जायेंगे। कदम-कदम पर रुकावटें आयेंगी। इस दृष्टि से शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये। नहीं उसका सरकारीकरण होना चाहिये।

बार-बार हम यहां पर चिल्लाते रहे हैं कि विश्वविद्यालय में पुलिस क्यों जाती है? उनकी आटोनामी में दखल क्यों दिया जता है। शिक्षा के स्वतन्त्र प्रवाह को बहने देने से क्यों रोका जाता है? जब हम इसका विरोध करते हैं तो फिर इस राष्ट्रीयकरण की बात क्यों करते हैं? हमारे जनतंत्रीय देश में जिसमें जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना हमारा लक्ष्य है, उसमें यह आवश्यक है कि शिक्षा संस्थायें स्वतंत्र रूप से पनपें। नये-नये स्कूल खुलें। नयी-नयी सुविधायें बढ़ायी जायं। यह सही है कि जहां तक उनको ठीक से चलाने का प्रश्न है, वेतन देने का प्रश्न है, साज-सज्जा का प्रश्न है, इमारत बनवाने का प्रश्न है, इन पर सरकार नियन्त्रण रखे और उसमें मदद करे। मैनेजमेंट द्वारा अगर कहीं शोषण होता है तो उस को भी सरकार रोके। जो कमियां हैं उन को दूर करे। किन्तु जन कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये यह आवश्यक है कि सब को समान अवसर मिले, किन्तु राष्ट्रीयकरण न हो। पब्लिक स्कूलों के वर्तमान स्वरूप को बदला जाय।

*श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें संदेह नहीं कि हमारा देश शिक्षा की दृष्टि से पीछे है और शिक्षा की दृष्टि से देश के अन्दर बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का नम्बर है। आज शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा की जो पद्धति अंग्रेजों के जमाने में से चली आ रही है वही आज भी चली आरही है। शिक्षा संस्थाएं, यूनिवर्सिटियां ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बना रही है। देश के अन्दर आज बेरोजगारी है। जिस तरह से टेक्निकल एजूकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि विद्यार्थी डिग्री लेने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है वह नहीं हुई। इस दृष्टि से शिक्षा के अन्दर आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शिक्षा के बारे में यह कहा जाता है और सही कहा जाता है कि स्कूल खोलना एक व्यवसाय हो गया है। जमींदारी समाप्त होने के बाद यह दूसरी जमींदारी स्थान-स्थान पर खड़ी हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि जितनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वे सभी इस प्रकार के हैं। उनमें भी ऐसे विद्यालय हैं जो बराबर प्रगति कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश संख्या ऐसे विद्यालयों की हैं कि जहां जितना पैसा सरकार से सहायता के रूप में मिलता है उसका भी उपयोग नहीं हो पाता और उसमें से वे बचा लेते हैं।

आज अगर आप प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति देखें तो वे राजनीति का अखाड़ा बने हुये हैं। हर कालेज के अन्दर गुटबाजी है अध्यापकों की और मैनेजमेंट की। अध्यापक चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो अगर वह मैनेजर की चापलूसी ही नहीं करता, दरबारगीरी नहीं करता तो वह विद्यालय में नहीं रह पाता। सन् 1958 में इंटरमीडियेट कोड बना था। उसमें ऐसे नियम हैं कि हर विद्यालय मे उनके अनुसार प्रबन्ध समिति बनायी जाय। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश के अन्दर ऐसे विद्यालय हैं जहां प्रबन्ध समितियां उन नियमों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अनुसार न बनकर इच्छा के अनुसार बनती हैं। चाहे राजा हों, महाराजा हों या ताल्लुकेदार हों उनकी इच्छानुसार समिति बनती है और उनके नियम अलग हैं। मेरा यह निवेदन है कि कोड के अनुसार मैनेजमेंट कमेटी नहीं बनती तो ऐसे कालेजों को, विद्यालयों को सरकार को सहायता देना बन्द कर देना चाहिये। पहले अध्यापकों की तनख्वाह की समस्या थी कि दस्तखत तो ज्यादा पर करते थे और पैसा कम देते थे। सरकार ने पिछले वर्ष उसको दूर कर दिया और चेक के द्वारा उनकी तनख्वाह देने की व्यवस्था की गयी। लेकिन अब यह देखा गया है कि चैक समय से नहीं मिल पाते। पहले चैक विद्यालय में तैयार होता है, फिर डी० आई० ओ० के पास जाता है। और तब टीचर्स को मिलता है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि चैक मिलने में जो विलम्ब होता है वह न हो।

एक विचार इस सदन के कई लोगों ने रखा था कि विद्यालयों के अन्दर जो राजनीति चलती है उसका प्रमुख कारण प्रिन्सिपल अगर हेडक्लर्क होते हैं। उनका ऐसा सुझाव था। इन पोस्ट्स को ट्रान्सफरेबुल कर दिया जाय। अगर ऐसा कर दिया जाय तो यह जो गुटबाजी और रजनीति चलती है वह समाप्त हो जाय। जो मैनेजमट का सवाल है तो यह एक तरह से जमींदारी हो गयी है और जिनके पास कोई धंधा नहीं है वे जगह जगह स्कूल खोल कर धन कमा रहे हैं अच्छे और योग्य पास है मिलते हुए भी थर्ड क्लास आदमियों को रख लेते है ऐसा देखा गया है कि कम योग्य व्यक्तियों से पैसा लेकर तुम्हें नियुक्त कर लिया गया। आज आप कालेजों में देखें, मनेजमेंट बाड़ी के जितने सदस्य होते हैं, उन्हीं लोगों के सब रिश्तेदार होते हैं। अयोग्य होते हुए भी वे रख लिये जाते हैं। इस बात की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये कि केवल योग्य व्यक्ति ही रखे जाएं और उन की अपनी नौकरी का भरोसा हो। यह नहीं कि जब मन चाहा हटा दिया, उनकी सेवाशर्तें अच्छी होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त यदि हम कालेजों के अन्दर देखें तो निरन्तर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, विद्यार्थी उच्छृंखलता और अनुशासन हीन होते जा रहे हैं। साथ ही अब पहले वाले वे आदरणीय अध्यापक भी अब नहीं रहे हैं। देश में अपने जो गुरुओं का स्थान था अब वह समाज में नहीं रह गया है। आज विद्यार्थी अपन गुरुजनों का सत्कार नहीं करते हैं। विद्यालय म अगर कोई अधिकारी या मंत्री जायं तो आज कल के समय में, प्रिंसिपल, अध्यापक, लेक्चरर तुरन्त उनके सम्मान में अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मैं आप को इंगलैन्ड का एक उदाहरण दूं इंगलैन्ड में मैकडाल्ड एक स्कूल का मास्टर था और उसके समय में इंगलैन्ड के एम्परर उनके स्कूल का निरीक्षण करने गये। जिस समय वे निरीक्षण के लिये गये, मास्टर जी अपनी कुर्सी से उठे नहीं। उन्होंने एम्परर को आदरपूर्वक बिठाया और फिर अपने स्कूल को दिखाया। उसके बाद वहां के हेडमास्टर उनको विद्यालय के बाहर पहुंचाने आए और जब वह स्कूल के बाहर आए तो उन्होंने इंगलैन्ड की परम्परानुसार आदर से झुककर उनको नमस्कार किया। उसने कहा स्कूल के अन्दर मैं वहां का एम्परर था और उसके बाहर मैं आपका फेथफुल सब्जेक्ट हूं, आपका ओबीडियन्ट हूं। लेकिन आजकल के अध्यापकगण बड़े दरबारगीरी करने वाले और चापलूस होते हैं।

आज कहा जाता है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मैं समझता हूं जिन-जिन चीजों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, या सरकार ने अपने हाथ में लिया है, उन सब में सरकार असफल रही है। यदि शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो सरकारी नौकरियों के लिये जिस प्रकार प्रयास करना पड़ता है, यही सारी चीजें वहां भी चलेंगी। हर प्रश्न पर सिफारिश चलेंगी, योग्य व्यक्ति को फिर जगह-जगह ठोकरें खानी पड़ेंगी। मैं समझता हूं उचित यह होगा कि इस प्रकार के जितने प्राइवट कालज हैं, उन को नियमानुकूल चलाया जाए, उन्हें जो पैसा दिया जाता है, उस पर कठोर नियन्त्रण रखा जाय। समय-समय पर उसका आडिट कराया जाए।

[श्री जंगबहादुर यादव]

इसके अतिरिक्त सरकार चाहे तो इसके लिये एक बोर्ड बना दिया जाए, जसमें रिटायर्ड अविवाहित अध्यापकों में से सदस्यों को चुना जाए। इस बोर्ड के द्वारा इसका संचालन किया जाए। अब प्राइमरी एजूकेशन को अपने हाथ म लेने की बात आई है, यह अच्छी बात है। अब तक ये अन्तरिम जिला परिषद् के हाथ में थी। स्कूलों के जो अध्यापक होते थे, वे अपने परिषद् के चेयरमैन के दल के लिए चुनाव में काम करते थे, यह उन की मजबूरी थी। वे उस समय कालेज छोड़ कर पुर्जियां पहुंचाने का काम करते थे। इस प्रकार की चीजें होने के बावजूद उनकी हिम्मत नहीं थी कि इन्कार कर सकें। यदि कोई साहस करता था तो उनका ट्रांसफर कर के जिले के एक कोने से दूसरे कोने में भेज दिया जाता था। सरकार अपने हाथ में इसे लेना चाहती है, तो ले, लेकिन परिषदों का उन पर किसी प्रकार का भी नियन्त्रण न रहने दें, नहीं तो जिस प्रकार से चलता रहा है, उसी प्रकार से चलता रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। [अध्यापकों के ट्रांसफर, पेमेंट और प्रमोशन अदि के कोई भी काम स्थानीय निकाय की संस्थाओं के पास नहीं रहने चाहिए। दूसरे, स्कूलों में चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट जो भी सुविधायें अध्यापक को एक जगह मिलती है वही सुविधायें दूसरी जगह मिलनी चाहिये।

कुछ मिशन के स्कूल या कुछ प्राइवेट स्कूल लोगों ने खोल रखे हैं। कितने ऐसे लोग हैं, हममें ऐसे लोग हैं, जिन्होंने बीस-बीस स्कूल खोल रखे हैं। कभी किसी मंत्री को लिवा ले गये, कभी किसी मंत्री को। उनका एक धन्धा हो गया है अगर वह देखते हैं कि सरकार बदलती है, किसी अन्य दल का मुख्य मंत्री हो गया, एजूकेशन मिनिस्टर हो गया, तो ऐसे भी लोग हैं कि अपनें दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं। उनके अन्दर स्वार्थ है। वह चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्युशन्स कैसे चलें, वहां से कैसे अधिक से अधिक पैसा उपार्जित करें। यह धन्धा हो गया है। इस प्रकार के स्कूलों पर सरकार नियंत्रण लगायें। इस तरह से जो पेशा बना रखा है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। जैसे हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स और कालेजों पर अधिकार रखने के लिये बोर्ड बना हुआ है। उसके अनुसार हर कालेज की प्रबन्ध समितियां बननी चाहियें और जो लोग सहमत न हों उनको जो वित्तीय सहायता दी जाती है उनसे लेनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री जगदीश गांधी के खड़े होने पर) गांधी जी इसी विषय पर बोल चुके हैं।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

ऐसा है कि उस दिन भी कम समय मिला था।

श्री अधिष्ठाता--

इसके पूर्व कौन-कौन भाषण हो चुका है मैं देखना चाहता था। अब आपको समय नहीं दिया जा सकता है।

राजा रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के कार्यों में मैं अपना जीवन लगा रहा हूं।

श्री बंशीधर पान्डेय--

एक व्यवस्था का विषय है।

अभी एक तरफ से खुल कर बहस हो रही है। दूसरी तरफ सरकार का एक बार दृष्टिकोंण आ जाता है इसके बाद बहस संतुलित होने लगती। शिक्षा मंत्री से कहिये वह भी अपनी राय जाहिर कर दें नहीं तो बहस अधूरी रह जायेगी।

श्री अधिष्ठाता---

सरकार की तरफ से श्री राम किशोर शुक्ल और श्री राम नगीना मिश्र बोल चुके हैं ।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

सरकार का मतलब मेम्बर आफ गवर्नमेंट । वह मेंम्बर हमारी तरह असहाय हैं, बल्कि ज्यादा असहाय हैं । हम सामनें वह उनके पीछे हैं ।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

हम नहीं चाहते कि हमारी राय से प्रभावित हों । इसलिये आखिर में जवाब देंगे ।

*राजा रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---

जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है बहुत काफी बिवाद हो चुका है कई माननीय सदस्यों नें विचार व्यक्त किये । उनको मैंने सुना । मेरा अपना अनुभव है, दूर-दूर तक लखनऊ, हरिद्वार, कई स्थानों में, तमाम शिक्षा संस्थाओं का संचालन करता हूं । कई नगरों में देहातों में बाल मन्दिर से लेकर डिग्री कालेज और विद्या पीठों का मैं सदस्य हूं । मुझे जो निजी अनुभव है उसमें मैं कह सकता हूं कि कहने में यह तो बड़ा सुन्दर लगता है कि राष्ट्रीयकरण हो । सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण हो जाय । राष्ट्रीयकरण से लाभ भी है और हानि भी है । लेकिन अभी हमारा देश चरित्र के मामले में इतना आगे नहीं बढ़ा है कि राष्ट्रीयकरण होने पर सारे मामले ठीक चलने लगेंगे । जिला परिषद् में राष्ट्रीयकरण का क्या हश्र हुआ वह मैं देख चुका हूं । वहां एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण ही हो गया है लेकिन ऐसे अध्यापक जिनके चरित्र के खिलाफ शिकायत थी, जो उपद्रव मचाते थे डी० आई० ने उनको फिर उसी स्थान पर रख दिया जहां से वह हटाये गये थे । कोई पोलिटिकल बात नहीं थी, केवल चरित्र के कारण वे हटाये गये थे लेकिन वे वहीं आकर काम करने लगे और वहीं काम फिर करने लगे जिन कामों के कारण वे हटाये गये थे । संकल्प पास कर देने से कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय उससे सारी बीमारियां दूर नहीं हो जायेंगी । इस पर हमको व आपको सोचना और समझना है । राष्ट्रीयकरण कर देने से राज्य के सारे सार्वजनिक हित पूर्ण हो जायेंगे ऐसी बात भी नहीं है । इस पर हम को गंभीरता से सोचना पड़ेगा ।

अभी हमारे सामने अन्य कई प्रस्ताव एजेंडे पर हैं । आज यह असरकारी दिवस है । 1952-57 में 15 वें दिन असरकारी दिवस होता था । इतनें संकल्प हैं अगर इसी रफ्तार से एक संकल्प पर विचार होता रहा तो दूसरा संकल्प आ नहीं सकेगा । इलाका में उनको डाला जाता है । भाग्य में हुआ तो आ गया वर्ना नहीं आया । 1952 से 57 तक न जानें कितने नान आफिशियल रिजोल्यूशंस अथवा विधेयक मेरे आये क्योंकि 15 वें दिन उनके लिये समय अवश्य मिलता था लेकिन अब बैलट में वह कभी नहीं आ पाते । फिर एक-एक संकल्प पर इतना समय दिया जायगा तो सारा समय बीत जायेगा और लोंगों को अपने अन्य संकल्पों पर विचार व्यक्त करने का समय नहीं मिल सकेगा । इसलिये मेरा तो यह विचार है कि इस पर अब क्लोजर मूव किया जाय ।

इससे अन्य प्रस्तावों पर विचार करने का अवसर मिलेगा । पता नहीं इलाका में फिर वह प्रस्ताव आ भी सकेगा अथवा नहीं? इसलिये हर प्रस्ताव के लिये समय निश्चित कर देना चाहिये कि इतनी देर तक अमुक प्रस्ताव चलेगा इतनी देर तक अमुक संकल्प चलेगा । तो ऐसी कृपा की जाय ऐसे संकल्प न आयें क्योंकि इनकी यहां पर आवश्यकता नहीं है । यह बात भी नहीं होनी चाहिये कि यदि इन पर बहस समाप्त न हो तो इन्हें स्थगित दूसरे दिन के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राजा रणंजय सिंह]

न किया जाय और शाम को 5 बजे तक ऐसे संकल्पों को समाप्त कर देना चाहिये। मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि यह पर ऐसे संकल्पों पर शलाका पड़ती है। इसलिये मैं इस संकल्प का घोर विरोध करता हूं क्योंकि इस प्रकार के प्रस्तावों की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। गड़बड़ी आज कहां नहीं होती है। सरकारी स्कूलों में भी गड़बड़ी चलती रहती है और गैर-सरकारी स्कूलों में गड़बड़ी होती रहती है। इसलिये कि इन स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, मैं इसका विरोध करता हूं और इस संकल्प के पक्ष में नहीं हूं।

*श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने इस संकल्प के संबंध में अपने विभिन्न माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं हमें लगता है कि जो राष्ट्रीयकरण का शब्द संकल्प के प्रस्तुतकर्ता साथी ने इसमें रखा है उससे सारे लोग भ्रम में पड़ गये हैं। यहां तो जहां तक राष्ट्रीयकरण का बात है, वह तो एक फैशन हो गया है क्योंकि फैशन में यह बात प्रचलित है और खास तौर से उस दल की ओर से यह बात कही जाती है जो आज शासन में है, चाहे वह इस प्रदेश में हो या केंद्र में, जब कभी भी व्यवहारिक रूप से इस पर विचार और चिन्तन करने के लिये कोई संकल्प किया जाता है तो उन्हें भ्रम हो जाता है और वे नाना प्रकार की शंकायें प्रस्तुत करने लगते हैं।

श्रीमन्, जहां तक हमने समझा है कि और जो हमारे माननीय सदस्य संकल्प के प्रस्तुतकर्ता की भावना को हमने हमझा है उससे ऐसा लगता है कि उनके मन में राष्ट्रीयकरण के माने सरकारीकरण से नहीं है। हम सरकारीकरण के तीव्र विरोधी हैं। हमारा दल सरकारी-करण का तीव्र विरोधी है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस देश में बैंक को राष्ट्रीयकरण के इश्यू को लेकर एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है जिससे कांग्रेस का विभाजन हुआ। हमारे देश के नेताओं ने उस राष्ट्रीयकरण के ईश्यू को जिस प्रकार का राष्ट्रीयकरण वे चाहते थे वैसा उन्होंने प्रस्तुत किया लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उस समय हमारे देश की जो नेत्री थी उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और सरकारीकरण के रूप में इस राष्ट्रीयकरण को ले आये। इसलिये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह हमारे दल की नीति नहीं है कि राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकारीकरण से हो। हम इसके तीव्र विरोधी हैं। मैं जोरदार शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। देश में राष्ट्रीय एकता कैसे आयेगा, देश का चरित्र कैसे ऊंचा उठेगा, कैसे देशभक्ति की भावना जागृत होगी। इसके लिये आपके पास क्या माध्यम है। हमें लगता है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इस देश में भाव-नात्मक रूप से राष्ट्रीकरण और देशभक्ति की भावना पैदा की जा सकती है। अगर इस माध्यम को दूसरे ढंग से प्रयोग नहीं किया गया तो जो परिणाम आज सामने आ रहे हैं चाहे वे क्षेत्रीयता के हो, प्रांतीयता के हों और चाहे वे भाषावाद के हों। चाहे जातिवाद का प्रश्न हो, यह इस बात का द्योतक है कि ऐसे प्रश्नों को उठा कर इस देश की राष्ट्रीय एकता को निर्बल करने का काम करना चाहते हैं जिससे यह देश कमजोर होगा। इसलिये मेरा विश्वास है कि हमारे सारे माननीय सदस्य इस बात के लिये एकमत होंगे कि वे इस देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस प्रकार की प्रान्तीयता भाषावाद, और क्षेत्रवाद की भावना जो उत्तरोत्तर बढती जा रही है, जैसा कि इन 25 वर्षों में हमारे सामने अनेक नमूने आ चुके हैं, उनको सदा के लिये समाप्त करने के लिये कोई उपाय सोचें। हम इस पर विचार करें कि हमारे प्रदेश में शिक्षा की एकरूपता इस तरह से लायी जाय जिसको सारे देश में लागू किया जाय तो शिक्षा की एकरूपता के इस पुनीत कर्त्तव्य में सहायक हो सकती है सरकार।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार को खुले रूप में इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि आज जो शिक्षा की पद्धति है, जो शिक्षा का ढंग है, चाहे वह पब्लिक स्कूल का हो, चाहे साधारण स्कूलों का हो व्यावसायिक ढंग से चलाना चाहते है तो निश्चित रूप से वह दोष है और उस दोष को दूर करने के लिये हमें मूल रूप में परिवर्तन की दिशा में जाना है । यदि वह परिवर्तन आप भय और आशंका से नहीं करते कि निश्चित इसमें क्या होगा, शिक्षित लोगों की नौकरी का क्या होगा, शिक्षित लोगों की बेकारी की समस्या का क्या होगा, शिक्षा के लिये प्रबन्ध की व्यवस्था क्या होगी, यह आपका प्राथमिक कर्त्तव्य है, इस देश के शासन का प्राथमिक कर्त्तव्य है कि वह हमारी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था करे । यदि वह इस मामलें असमर्थ है, इस मामले में अकर्मण्य है तो उसे स्थान नियुक्त करने की घोषणा करनी चाहिये कि हम शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं । यह कह कर बात नहीं टाली जा सकती है कि चूंकि शिक्षा की व्यवस्था हम नहीं कर सकते, इसलिये प्राइवेट हायर सेकेंड्री स्कूल को चलने देना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं को चलने देना चाहिये । इसलिये कि सरकार ठीक प्रबन्ध नहीं कर सकती सरकार ठीक व्यवस्था नहीं कर सकती, इस तरह की बात करना सरकार के लिये लज्जाजनक है । क्या सरकार शिक्षा जैसे पुनीत कर्त्तव्य, जो उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है उसके ऊपर भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकती है ? इसलिये सरकार के सामने यह बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है कि शिक्षा किस तरह के लोगों को दी जायेगी । हमारे बच्चों की संख्या इतनी बढ़ती जाती है कि उनके लिये पर्याप्त संख्या में हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं हैं सलिये जो प्राइवेट मैनेजमेंट में व्यावसायिक स्कूल चल रहे हैं उसी में हम आज इस प्रदेश की शिक्षा की समस्या का समाधान चाहते हैं । यदि आप व्यावसायिक ढंग से शिक्षा चलाना चाहते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा ।

इसी संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक इस संकल्प द्वारा स्कूलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर विचार कर के देखें कि क्या यह सम्भव नहीं है कि इस देश में जो शिक्षा पद्धति है जैसे कहीं पर हाई स्कूल पास करने के तीन साल बाद बी० ए० की डिग्री मिलती है, कहीं 11 वीं के बाद इन्टरमीडिएट की मिलती है, कहीं स्नातक की शिक्षा के लिये दूसरे प्रकार की व्यवस्था है तो यह भेद जो सारे देश में है, यह किस बात का द्योतक है । क्या मध्य प्रदेश में शिक्षा पाया हुआ लड़का उत्तर प्रदेश के स्कूलों में आसानी से प्रवेश पा सकता है ? जो यह भेद भाव कायम किये हुये हैं, इस भेद को समाप्त करने के लिये क्या इस संकल्प के माध्यम से हमारी भावना है हम चाहते हैं कि एकरूपता रहे . . .

श्री राज मंगल पान्डेय--

मेरे मित्र के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शिक्षा संबंधी हिन्दुस्तान की सारी समस्याओं को वे उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सामने लाकर हल करना चाहते हैं और क्या वह इसी तरह से शिक्षा में एकरूपता लाने की आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश से केरल तक शिक्षा में एकरूपता आयेगी ?

श्री बंशीधर पान्डेय--

जैसे लैंडसीलिंग और अरबन सीलिंग में समन्वय करके सारे देश के लिये कानून बनाने की बात है इसी तरह से यह भी हो सकता है ।

श्री राज मंगल पान्डेय--

मान्यवर, इसमें भी एकरूपता नहीं है ।

श्री ए० सी० ग्राइस--

सदन में कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठता—

माननीय रामकुमार जी आप कृपया बैठिये। ग्राइस साहब ने कोरम का प्रश्न उठा दिया है

श्री बंशीधर पान्डेय—

मान्यवर, ग्राइस साहब नहीं चाहते हैं कि इस पर बहस हो।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामकुमार दीक्षित—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि शिक्षा में एकरूपता चाहते हैं। एक सी शिक्षा देने वाले प्रशिक्षित अध्यापक हों, एक प्रकार की पाठ्य पुस्तकें हों, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे प्रदेश में शिक्षा की होनी चाहिये। इसका यह अर्थ यदि राष्ट्रीयकरण मानते हैं मुझे उनकी समझ पर आश्चर्य होता है। आपकी समझ में कौन पिता ऐसा चाहता है कि कानपुर के किसी अमुक विद्यालय में कोई पुस्तक पढ़ाई जाय और दूसरे विद्यालय में दूसरे किस्म की पुस्तक पढ़ाई जाये। इस प्रकार के भेद भाव से क्या लाभ मिलता है। इससे जो नुकसान हो रहा है वह गम्भीर है। एक तो अभिभावकों पर पैसे का बोझा पड़ता है और इसके साथ ही साथ एकरूपता कायम नहीं होती है। इसलिये आपको स्वीकार करना चाहिये कि हमें एकरूपता कायम करने के लिये मजबूत कदम उठायें।

जब शिक्षा मंत्री जी बोलेंगे तब सरकार की शिक्षा नीति स्पष्ट होगी। लेकिन जो सरकार कर रही है उसके संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूं कि आपने जो यह शिक्षा विधेयक पेश किया है उससे यह साफ नहीं होता है कि आपकी इच्छा है कि आप आठवीं कक्षा तक की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। जब आपने इस शिक्षा को अच्छा नहीं समझा तो किस उद्देश्य से इसका राष्ट्रीयकरण किया है। या तो इससे हटकर आप पीछे जाइये और जो बिल पेश किया है उसको वापस लें या फिर कहिये कि यह हमारा उद्देश्य है लेकिन मजबूरी है जिससे हम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक नहीं ले जाना चाहते हैं एक पहलू पर तो आप विश्वास करें कि राष्ट्रीयकरण अच्छा है और दूसरे पहलू पर कहें कि अच्छा नहीं है यह दोहरी नीति समझ में नहीं आती है। इससे स्पष्ट आप राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। प्राइमरी शिक्षा जन प्रतिनिधियों के चुने हुए लोगों के यानी जिला परिषद के हाथ में थी उसको लेकर नौकरशाही के हाथ में दे दिया। राष्ट्रीयकरण न करके सरकारीकरण कर दिया। हम ऐसा सरकारीकरण नहीं चाहते। ऐसी व्यवस्था हो कि जो शिक्षा की दयनीय स्थिति है उसका उद्धार हो हमारे शिक्षा मंत्री जी भी इस चीज को स्वीकार करेंगे कि इस प्रदेश के सैकड़ों विद्यालयों में मैनेजमेंट में विवाद है, दो-दो मैनेजिंग कमेटियां काम करती हैं, एक प्रिंसिपल को रखती है और दूसरी मैनेजिंग कमेटी दूसरी कमेटी को रखती है और वहां के विवाद न्यायालयों तक में जाते हैं और आप उसके लिये कहीं एडमिनिस्ट्रेटर अप्वाइंट करते हैं और कहीं कुछ स्टेप लेते हैं। इस तरह की परिस्थिति आज इन प्रदेश के विद्यालयों में चलती है।

प्रश्न यह है कि इस परिस्थिति का कैसे समाधान हो और क्या आप ऐसे ही चलने देंगे जब दो-दो मैनेजिंग कमेटियां होंगी और दो-दो प्रिंसिपल होंगे तो आप किस तरह से अपनी इस शिक्षा पद्धति को चला सकेंगे। और किस तरह की शिक्षा आपकी इन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी पा सकेंगे। मैं नहीं समझता कि आप किसी तरह से भी उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा सकेंगे। निश्चित रूप से इन हालतों में सफल नहीं हो सकते और शिक्षा के क्षेत्र में एक केयास और अनार्की पैदा होगी, ऐसी अराजकता आयेगी कि जिसे आप

सम्भाल नहीं सकेंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप को इस तरफ समय रहते ध्यान देना चाहिये और निश्चित रूप से इसका विकल्प सोचना चाहिये । आज परिस्थिति यह है कि शिक्षा के नाम पर इस तरह से आज एक व्यवसाय इस सूबे में हो रहा है।

मैं कानपुर की शिक्षा के बारे में उदाहरण के रूप में कहूंगा कि वहां पर व्यक्तिगत, प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश डोनेशन देकर होता है और 500 से 10,000 रुपये तक डोनेशन मांगा जाता है आप इस चीज को रोकने में असमर्थ हैं । यह डोनेशन राम कुमार का लड़का तो नहीं दे सकता वह तो मंत्री जी का लड़का ही दे सकता है या कोई पूंजीपति इतना डोनेशन दे सकता है। वह डोनेशन देकर एम०एस-सी० में प्रवेश पा सकता है लेकिन हमारे बच्चे एम०एस-सी० की शिक्षा नहीं पा सकते । ऐसी चीजों को दूर करने की जरूरत है । आप इस तरह का कदम उठायें कि जिससे हर नागरिक को निश्चिन्तता हो जाये कि उसका बच्चा यदि बी०एस-सी० पास कर लेगा तो उसे एम०एस-सी० में प्रवेश मिल जायगा। यदि आप ऐसा नहीं करा पाते और कोई वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते तो उसका पूरा उत्तरदायित्व सरकार का होगा । इसलिये यह जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिये। यह कहना कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है और यूनिवर्सिटियां आटोनामस बाडी हैं, वहां हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता यह कहकर आप अपने उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। एक ओर तो आटोनामस बाड़ी बनाने की आप की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है आपने अभी हाल में कितने कारपोरेशन बनाये हैं आप के यह कारपोरेशन इस बात के द्योतक हैं कि आप उनको बनाने के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं। और जब वहां अव्यवस्था होती है और दशा बिगड़ती है तो आप अपने को असहाय अवस्था में पाते हैं और कहते हैं कि वह आटोनामस बाडी है और हम उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम केवल उनको राय या मशवरा ही दे सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा के साथ शासन की यह खिलवाड़ हो रही है। इससे निश्चित रूप से प्रदेश की जनता में एक रोष है ।

जहां तक अध्यापकों का सवाल है राय साहब ने एक सवाल उठाया कि यदि इस प्रदेश के शिक्षकों से पूछा जाय तो सारे शिक्षक चाहते हैं कि वे सब सरकारी नौकर बना दिये जायं क्योंकि वह समझते हैं कि प्राइवेट मैनेजमेंट के मुकाबले में सरकारी नौकरी में उनको सुख सुविधा है और इसीलिये सरकारी सेवा माने जाने के लिये आज आन्दोलन करते हैं, अपने प्रतिनिधि यहां भेजते हैं कि उनकी नौकरी सरकारी कर दी जाय, यह चीज मैनेजमेंट के प्रति जो उनका रोष है उसकी परिचायक है। सूबे के अन्दर जो दुर्व्यवस्था चल रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में उससे यहां की शिक्षा का स्तर ऊंचे नहीं उठेगा। आज आप अपनी मनोपली कायम करना चाहते हैं, आप का मन्तव्य शिक्षा जगत में भी अपना साम्राज्य स्थापित करने का है । इस प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनका शिक्षा जगत में साम्राज्य है, एक उनका आधिपत्य है और वे उत्तरोत्तर अपने साम्राज्य को कायम रखना चाहते हैं और निश्चित रूप से जो लाभ उन के माध्यम से शिक्षा पाने वालों को मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है ।

एक बात और विचारणीय है कि हायर सेकेंडरी स्कूलों के बारे में सरकार की नीति क्या है ? ये संस्थायें नो लास नो प्रोफिट पर चल रही हैं ।

श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता--

कोरम है, आप कृपया बैठें ।

श्री राम कुमार दीक्षित—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जहां तक मुझे ज्ञान है, इस प्रदेश के हायर सेकेन्ड्री स्कूल नो प्रोफिट नो लास बेसिस पर चल रहे हैं। इनमें जो फीस आदि से आय होती है, जो अध्यापकों आदि के वेतन या दूसरे खर्चे होते हैं उन्हें वहन करने के लिए फीस से निकाल कर सरकार देती है। तो इससे सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ने वाला है। प्रदेश में बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं, जिनको सरकार ने मान्यता नहीं दी है, अगर नहीं दी है तो सरकार शिक्षा की प्रगति में अवरोध बनी हुयी है। सरकार को उन्हें मान्यता देनी चाहिये। जो लोग शिक्षा पाने के लिये शिक्षा संस्थायें स्थापित किये हैं, और मान्यता न होने के कारण उनका विकास नहीं हो रहा है तो विकास हो। जो उनकी नीति नो लास नो प्रोफिट की है, उन संस्थाओं को भी सरकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। सरकार की ओर से पूरा प्रबन्ध तो होता ही है, यह स्वयं पैसा भी देती है, पूरा हस्तक्षेप भी करती है। यदि किसी स्कूल के प्रधानचार्य का समय बढ़ाना होता है या किसी अध्यापक को एक्सटेन्शन देना होता है तो मैनेजमेंट की सिफारिश पर सरकार स्वीकृति प्रदान करती है। पूरा नियन्त्रण उनका है तो फिर यह डर क्यों है। समाजीकरण करके एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे शिक्षा जगत में एकरूपता कायम हो, शिक्षा की प्रगति हो तो हमारा प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, जो लज्जा की बात है, वह प्रगति करे। 25 वर्ष हो गये हैं हमारे प्रदेश ने केरल और दूसरे प्रदेश की भांति क्यों प्रगति नही की है ?

(इस समय 4 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

क्या यह प्राइवेट मैनेजमेंट शिक्षा में बाधक तो नहीं है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

जहां तक पब्लिक स्कूल्स का सम्बन्ध है अधिकतर लोगों का ऐसा मत है कि ये पब्लिक स्कूल्स इस देश और प्रदेश के गरीब लोगों के अनुकूल नहीं है जो अमेरिका और इंगलैन्ड के पैटर्न पर हिन्दुस्तान में चलते हैं। हमारा देश अभी अमेरिका और इंगलैन्ड की क्षमता के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। इसलिये सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए कि इन पब्लिक स्कूल्स के द्वारा जो भेदभाव पैदा होता है, वह समाप्त हो और उन को पूरी तरह से सबके लिये खोल देना चाहिए जिससे सबके लड़कों को उनमें दाखिला मिल सके और जो खर्चीली शिक्षा उनमें दी जाती है, वह समाप्त हो ताकि प्रदेश के सभी लोगों के बच्चों को समान शिक्षा मिल सके। प्रस्तावक महोदय का उसी प्रकार राष्ट्रीयकरण करने की मंशा है जैसा कि सरकारीकरण होता है। हमारा दल सरकारीकरण का तीव्र विरोधी रहा है और आज भी उसका विरोध करता है।

(श्री करन सिंह के खड़े होने पर)

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन्, मुझे भी बोलने का मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई एक विषय पर 2 मर्तबा थोड़े ही बोलता है।

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन्, मैंने इसके पूर्व नहीं बोला है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपको इतना भी मालूम नहीं है कि जो एक बार बोल लता है उसे दुबारा बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। आप कृपया बैठें।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, अब मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें।

श्री जगदीश गांधी--

श्रीमन्, मैं आज नहीं बोला हूं। मेरी पार्टी ने मेरा नाम भी वक्ताओं की सूची में दिया है। अभी तो श्रीमन्, 4 बजे हैं।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)--

पहले संकल्प वाले बोल लें, तब मैं बोलूंगा।

(श्री जगदीश गांधी के पुनः खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप मुख्य मन्त्री हैं। कृपा कर के आप बैठें।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)--

उपाध्यक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे संकल्प के सम्बन्ध में विवाद में हिस्सा लिया है आप के द्वारा उन सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। जिन लोगों ने इसके विरोध में कुछ बातें कहीं हैं उनमें चार बातें मुख्य हैं। एक तो यह कि इस संकल्प का उद्देश्य इसके शब्दों से साफ नहीं होता। दूसरे, अव्यवहारिक है। तीसरे, लोकतन्त्रीय सरकार के लिये भी यह सम्भव नहीं है। चौथे, राष्ट्रीयकरण के माने सरकारीकरण और सरकारीकरण का अर्थ होगा भ्रष्ट अधिकारियों का उसमें बोलबाला।

श्रीमन्, जहां तक संकल्प के शब्दों से उसके उद्देश्य की सफाई की बात है वह अपनी जगह पर है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कोई शिक्षा-शास्त्री हूं या बहुत पढ़ा लिखा। लेकिन इस प्रदेश का साधारण निवासी जो अनुभव करता है उसके आधार पर मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा भी था कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भ से ही हमारे प्रदेश के बालकों साथ जो भेदभाव, विद्यालयों में बरते जाते हैं, बहुत कुछ अच्छे, कुछ खराब, ये दूर होने चाहिये और एक सा पाठ्यक्रम, एक ही स्तर के अध्यापकों द्वारा, एक से अनुशासन में सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा, हायर सेकेन्डरी स्कूल तक मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि सबके मन, सबके विचार और सबका जीवन स्तर एक समान बन सके जिससे वे सब बच्चे जब अपने आगे के जीवन क्षेत्र में प्रवेश करें तो उनके मन में कोई एक दूसरे के प्रति भेदभाव, कहीं ऊंचनीच, कहीं हीन या कहीं विशिष्टता की भावना न रहने पाये। यह उद्देश्य तो बिल्कुल साफ है।

लोकतन्त्रीय सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है, ऐसी कोई बात मुझे प्रतीत नहीं होती, आज जितने माध्यमिक स्कूल हैं उन सब का खर्चा इधर से या उधर से, चाहे जैसे नाक पकड़ें सरकार ही वहन करती है। सरकारी अनुदान और कक्षा की फीस दोनों मिलाकर विद्यालयों का खर्च चलता है।

शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात को लेकर कुछ लोगों ने सरकारी पक्ष की ओर से मिडिल तक की शिक्षा जो सरकार ने अपने हाथ में ली है उसकी बहुत प्रशंसा की है। श्रीमन्, मैं उसे राष्ट्रीयकरण ही नहीं समझता। इतना ही तो है कि इस राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण के बाद उन स्कूलों के अध्यापकों को वेतन डी० आई० ओ० एस० या डी० आई० के माध्यम से मिलेगा जो अभी तक जिला परिषद् द्वारा मिलता था। अन्तर तब महसूस होता जब उन स्कूलों का पाठ्क्रम, अनुशासन और अध्यापकों का स्तर एक समान हो जाता तब हमें उसे राष्ट्रीयकरण मानते।

[श्री करन सिंह]

मैं यह जानता हूं कि जानकारी के क्षेत्र में कोई ज्ञान की सीमा कभी अन्तिम नहीं हो सकती। इसमें तो निरन्तर शोध की आवश्यकता है लेकिन जो विद्यार्थी हमारे स्कूलों में और ऐसे विद्यालयों में शिक्षा पायेगा और पाता रहेगा जिनमें प्रेम और सहृदयता की प्रेरणा न मिले और एक दूसरे के लिये संदेह और भेद भाव की स्थिति पैदा होती जाय तो वह इस देश में, जो हम समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं, उसमें आगे कहां तक सहायक हो सकेगा ? यह प्रश्न हमारे सामने है, साधारण व्यक्ति भी समझता है कि कभी सहायक नहीं हो सकता।

आज जितनी योजनायें सरकर की तरफ से जनकल्याण की प्रसारित की जाती हैं, चाहे जनजातियों में जाकर काम करना हो, या हरिजन उत्थान कार्य हो, चाहे जमीन के बंटवारे की हो बात, या राष्ट्रीयकृत बैंकों के बाद उसके वर्तमान कार्यकलाप पर विचार करें।

हम अपने आप चाहें जितनी ऊंची बात कहें, लेकिन यह कटु सत्य है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य, जनता से सम्बन्ध रखते हैं, जब कभी निजी ढंग से बात करते हैं, तो दुख प्रकट करते हैं कि जिस तरह से अच्छाई की तरफ बढ़ाना चाहिये देश बढ़ नहीं रहा है और सरकार जो कार्यक्रम जिस भावना से लागू करना चाहती है, वह नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है ? इसका सब से बड़ा कारण यह है कि शिक्षित व्यक्ति जो सरकारी तंत्र में हैं वह गरीब जनता तक अपने को इसलिये नहीं ले जा पा रहे हैं कि उन व्यक्तियों को जो शिक्षा पद्धति रही है, जीवन क्रम है वह कुछ विशिष्टता पर आधारित है, इसलिये वह साधारण व्यक्तियों के साथ काम नहीं कर सकते हैं।

श्रीमन्, शिक्षा के दो ही उद्देश्य माने गये हैं,—एक तो "स्वान्तः सुखाय" और दूसरा 'अर्थकारी'। जहां तक स्वान्तः सुखाय का अर्थ है हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी में प्रतिवर्ष हड़तालों की बढ़ती हुई होड़ हमारे विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा प्रतिवर्ष प्रकट किया जाने वाला रोष, इस बात का प्रतीक है कि 'स्वान्तः सुखाय' जैसी चीज उनमें आ ही नहीं सकती है। जहां तक प्रबन्धकारिणी समितियों का सम्बन्ध है, यदाकदा ऐसे समाचार अखबारों में निकल जाते हैं कि किसी बात पर खींचातानी के कारण उन में गोली चल गई। आखिर हम इन स्कूलों को इस रूप में क्यों रहने दें ? जहां तक अर्थकारी का सम्बन्ध है, विद्यालय से पढ़कर निकले एक ग्रेजुएट के मुकाबले पत्थर तोड़ने वाला एक मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, मोची, नाई, धोबी और राज भी ज्यादा पैसा पैदा करता है। इस तरह आज की शिक्षा अर्थकारी भी नहीं है तथा स्वान्तः सुखाय भी नहीं है।

जितने लोगों ने पक्ष में या विपक्ष में कुछ कहा है, सबने एक ही बात कही है कि पब्लिक स्कूलों के अध्यापकों में असन्तोष है। शिक्षा की जो वर्तमान पद्धति है उससे हमारे बच्चों में जो कल के नागरिक हैं और देश के भावी कर्णधार हैं, में, भेदभाव की भावना बढ़ती है। श्रीमन्, इसको मिटाने के लिये सब से अच्छा तरीका यही है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय और राष्ट्रीयकरण करने का मतलब एक समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम और समान स्तर के अध्यापक और एक सी पुस्तकें तथा एक ही तरीके के अनुशासन में आरम्भ से ही बच्चों को शिक्षा दी जाय तमाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और पब्लिक स्कूलों में एक साथ यह लागू किया जाय ताकि उनमें से पढ़कर जो बच्चे निकलें वह इस प्रदेश और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझकर उसका निर्वाह ठीक से करें और उस को आगे बढ़ावें।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया। शासक दल के माननीय कृष्णानन्द राय, मैं समझता हूं, जिस मकसद से यह प्रस्ताव रखा गया है, उसके बहुत नजदीक पहुंचे है पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब जनसंघ के माननीय स्वामी जी ने इसका विरोध किया जो भारतीय जीवन पद्धति उसकी प्राचीन परम्परा के अपने को संर-

क्षक समझते हैं शायद वे भूल गये कि कभी यहां इस देश का भावी सम्राट गुरुकुलों में जाकर साधारण विद्यार्थी की तरह भूमि पर बैठ कर शिक्षा पाते थे। और वहां अपने शौर्य बुद्धि कुशाग्रता तथा विशिष्टता का प्रदर्शन करते थे। तो इस देश में जहां इस प्रकार की परम्परा रही है, वहां इस लोकतन्त्रीय भारत में यह सफल होने वाली नहीं है, उचित नहीं है। यह हमारा देश बहुत पुराना लोकतन्त्रीय देश रहा है और इस प्रकार की शिक्षा पद्धति इस देश की रही है। अतः इस प्रकार से यहां शिक्षा संचालन अवश्य होना चाहिये कि यहां कोई बच्चा हीनभावना का अनुभव न कर सकें। हायरसेकेन्डरी स्कूलों और सभी (पब्लिक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करके) एक समान पाठ्यक्रम, एक स्तर के अध्यापकों द्वारा एक अनुशासन में शिक्षा का संचालन हो।

*श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय, यह संकल्प था। इस संबंध में इसके पक्ष और विपक्ष में इस सदन में सम्मानित और विद्वान सदस्यों ने अपने-अपने विचार और अपने-अपने तर्क बड़े सुन्दर ढंग से उपस्थित किये। लेकिन प्रश्न यह है कि आज प्रदेश में क्या इसका राष्ट्रीयकरण सम्भव है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह से यह प्रदेश की शिक्षा की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, इसको भी देखना आवश्यक है। यह मानी हुई बात है कि इस प्राइवेट संस्थाओं द्वारा शिक्षा की एक महान आवश्यकता को जिस उत्तरदायित्व के साथ पूरा किया है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। शासन द्वारा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने के बाद कितने विद्यालय खोले जा सकते हैं।

आज जिस ढंग से प्रायमरी एजूकेशन की शिक्षा बढ़ती चली जा रही है, जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षा बढ़ती चली जा रही है, उस बढ़ते हुये उत्तरदायित्व को अगर ये प्राइवेट संस्थायें वहन न करतीं तो शायद यह रुप-रेखा प्रदेश को न मिलती। यह माना हुआ लक्ष्य है कि आदिकाल से शिक्षा हमेंशा शासन के अधीन नहीं रही। हमेशा इसका उत्तरायित्व मनीषियों और विद्वत् जनों के हाथों में रहा जिन्होंने ज्ञान की पिपासा को बढ़ाने के लिये इस उद्देश्य को रखा। स्वान्तः सुखाय वह अपने आप हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल आनन्द के लिये ही उस को ले लें। और राज्य को हमेशा इसका संरक्षण मिलता रहा, चाहे वह आदिकाल की एजूकेशन हो, चाहे हिन्दूकाल की पाठशालाओं की एजूकेशन हो या चाहे मुसलमानों के समय की मकतबी एजुकेशन हो। सब जगह उसे राज्य का संरक्षण, राज्य की मदद, राज्य की सहायता मिलती रही। तक्षसिला—नालन्दा की बड़ी बड़ी पाठशालाओं को भी राज्य का संरक्षण प्राप्त था। जिस समय कि शिक्षा अपने चरम सीमा पर थी। लेकिन इसका उत्तरदायित्व हमेशा विद्वतजनों पर ही था।

शासन के द्वारा चलाई हुई शिक्षा हमेशा एक मार्ग पर चलती है। किसी दृष्टिकोण को लेकर चलती है। वह ज्ञान के वास्तविक पिपासा की पूर्ति नहीं कर पाती। माननीय सदस्यों को यह भी सोचने और समझने की बात है।

मान्यवर, शिक्षा-दान एक महान दान माना गया है और इसलिये बड़े बड़े मकतबों में यह शिक्षा दी जाती रही और बड़े-बड़े दानशील और धनीमानी लोग अपना सर्वस्व देकर शिक्षा-संस्थाओं को चलाते रहे। आज भी इस प्रदेश में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनमें लोगों ने अपना सब कुछ दान कर दिया है और वह संस्थाएं आज भी बड़ी शान से चल रही हैं। और प्रदेश की शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरी कर रही हैं। अगर ऐसा न होता तो आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोस्वामी राधा कृष्ण]

इस प्रदेश में लगभग चार हजार हायर सेकेन्ड्री स्कूल न होते। 54 जिलों में, कहीं एक राजकीय स्कूल होता, कहीं भी होते, कहीं तीन-चार होते। आज जो गांव-गांव में हाई स्कूल खुल रहे हैं, अपने स्थानीय लोगों का, स्थानीय दानदाताओं का सहयोग है। इनका अपना एक स्थान है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, वह बहुत गहरी नजर से देखते हैं। आज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जगह-जगह पर हैं—मैं तो अपने जिले बांदा की बात कहता हू। सन् 20 में बने हुए हाई स्कूल में शायद दो कमरे ही बड़े हों लेकिन आस-पास के प्राइवेट स्कूल आवश्यकतानुसार बढ़ते जाते हैं। जनता की आवश्यकता जितनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पूरी कर रहे हैं, जितनी व्यक्तिगत संस्थाएं पूरी कर रही है, राज्य की संस्था उतनी पूरी नहीं कर पाती हैं और न कभी उसके लिए क्षम्य हो सकती है।

आज व्यक्तिगत संस्थाओं के द्वारा इस प्रदेश की ही नहीं सारे देश की शिक्षा का बहुत बड़ा उपकार हुआ है। बड़ी-बड़ी संस्थाएं सामने आयीं। बड़े-बड़े दृष्टिकोण को लेकर अच्छी-अच्छी संस्थाएं सामने आयीं और उनके द्वारा शिक्षा की आवश्यकता पूरी हुई। समय-समय पर शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं और समस्याओं को देखते हुए हमारी केन्द्रीय सरकार ने बहुत से कमीशन्स बिठाए। उन कमीशंस ने गहराई से विचार किया। चाहे मुडालियर कमीशन रहा हो, चाहे कोठारी कमीशन रहा हो, उन्होंने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को कभी स्वीकार नहीं किया। मुडालियर कमीशन की रिपोर्ट से मैं कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। यह अंग्रेजी में है। यदि आवश्यकता होगी तो हिन्दी कर दूंगा। इसमें यह है —

"In certain States representations were made by the teachers of privately managed institutions requesting that all schools should be taken over by the State.

We are not ourselves in agreement with this view and cannot, therefore, recommend such a course of action. On the other hand, we feel that private managements have got an important part to play in the scheme of education and that if a number of managements conduct schools in a spirit of emulation calculated to secure greater efficiency and co-ordination, they will be better served. If such schools are run side by side with State schools in an atmosphere of healthy competition, improvement in teachtng and other aspects of education will be fostered."

तो मुंडालियर जैसे शिक्षा शास्त्री ने, जिसने कि बड़ी गहराई में जाकर इस समस्या का अध्ययन किया, उसने भी यह कहा कि उसके सामने भी यह प्रश्न आया, प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों ने मैनेजमेंट की शिकायत की, अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया, अपनी समस्याओं के बारे में बताया, इन स्कूलों में फैली हुई दुर्व्यवस्था के बारे में ध्यान दिलाया, लेकिन उन्होंने यह कहा कि हम मानते हैं कि इनके सुधार की रूपरेखा बनायी जा सकती है।

हम मानते हैं कि शासन को ध्यान देकर इन बुराइयों को दूर करना चाहिये लेकिन इनको राज्य के नियंत्रण में ले लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे लोगों में जो एक इनशियेटिव है, उत्साह है, इस तरह की संस्थाओं के निर्माण करने का, वह समाप्त हो जाएगा। लोगों की इस ओर जागरुकता और रुचि खतम हो जायेगी। आजकल गांव-गांव में लोग स्कूलों को स्थापित कर रहे हैं और उसका नतीजा यह हो रहा है कि लाखों लड़के इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पहले बहुत दूर कोई एक स्कूल था और गांव के बालक नदी-नालों को पार करते हुये बिरले ही उन स्कूलों तक जा पाते थे। परन्तु जनता के उत्साही लोगों ने सामने आकर आज इस समस्या का हमारे देहाती और शहरी अंचलों में विकल्प सामने लाया है। राष्ट्र कभी भी जन सम्पर्क के बिना अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता है।

मेरी तो मान्यता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है वह अभूतपूर्व है। आज 9 या 10 लाख बालक और बालिकायें हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में बेठते हैं। केवल राजकीय शिक्षा के माध्यम से अगर यह काम होता तो शायद इसका दसांश ही बेठ पाते। ये केवल व्यक्तिगत संस्थायें ही हैं जिनकी ये रूपरेखा है, प्रयास है जिससे इतना शिक्षा का प्रसार सम्भव हो सका है। आज गरीब किसान का बालक जो कि अपने घर में रूखी सूखी रोटी खाता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है वह भी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। क्या यह सम्भव था कि वह निर्धन किसान का बालक शहर में आकर यहां बालकों के मध्य शिक्षा प्राप्त कर सकता। अगर वह किसी प्रकार यहां आ भी जाता है तो उसको इन्फीरियारिटी कम्प्लेक्स आगे बढ़ने का अवसर नहीं प्रदान करवाता। आज तो वह अपने ही गांव में उस स्टेज को पार कर लेता है। वहीं पर उसकी इन्टरमीडियेट अथवा हायर क्लासेज बी0ए0 तक की शिक्षा हो जाती है। उसकी झिझक दूर हो जाती है। और वह बालक भी अन्य शहरी बालकों के समान किसी भी स्थान पर अपने सार्टीफिकेट प्रस्तुत करके, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके किसी स्थान के लिये लिखा जा सकता है। उसको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त है, उसका विकास अवरुद्ध नहीं है। यदि जन सहयोग से स्थापित किये हुये स्कूल्स खुलते तो क्या इस प्रकार की उन्नति हो सकती थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

आप माने बैठे हैं कि जो हीन हैं वह सदा हीन ही बने रहेंगे और जो बड़े लोग हैं उनका सदा अधिकार बना रहेगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह बात नहीं है मेरे माननीय सदस्य तो बिलगाव की भावना लेते हैं। हमारे गांवों में आज भी कितने लोग हैं, जो अपने बच्चों को शहर भेज कर पढ़ा सकते हैं। जब शिक्षा का प्रसार होगा तो जो हमारी समस्यायें हैं उनका भी समाधान होगा, चाहे वे समाजिक हों अथवा शैक्षिक। बी0 ए0, एम0 ए0 अथवा हाई स्कूल तक पहुंचने के बा. उसके पास एक सार्टीफिकेट आ जायगा और उस समय उसके अन्दर भी बराबर की भावना आयेगी और हीनता की भावना दूर हो जायगी। अगर प्रारम्भ से ही इनफीरियारिटी की भावना आ जायेगी तो उससे उसका विकास रुक जायगा यह माना हुआ मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है। हमारा कोठारी कमीशन बैठा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इन प्राईवेट स्कूलों के बारे में लिखा है

"It is true that some forms of private enterprise made negative rather than positive contribution. At the same time we should recognise that private enterprise is able to improve rural development of education in modern India that large proportion of good institutions are in the private sector that it should continue to many useful contribution to the development of education with years head. The state, therefore, may call for the assistance that can be done from the private sector of the development of education in the country."

एक मानी हुई बात है और यह सिद्धान्त है कि हमारे देश के विधान तथा तपस्वी मनुष्यों ने ऐसे विद्यालयों की स्थापना की है और उनका लक्ष्य रहा है कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स. स्थापित हों और जन जागरण का विकास करें, शिक्षा प्रदान करें और मनुष्यों के उत्थान का कारण बनें। यह हो सकता है कि बाद में कुछ बुराइयां आ गई हों। लेकिन वह बुराइयां ऐसी नहीं हैं जिन को दूर न किया जा सके। जिन अध्यापकों ने इस बात के लिये कोशिश की कि इन विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण हो जाय वह इसलिये की कि उनकी सेवायें सुरक्षित ही थीं, किसी समय भी प्रबन्धक महाप्रभुओं की उनके ऊपर कुदृष्टि हो गयी और उनको निकाल दिया गया। यही वह कांग्रेस सरकार है जिसने सन् 48 के बाद एड देकर उन की सेवाओं को सुरक्षित किया। आज प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। एक साल परीक्षा काल पूरा करने के बाद आटोमेटिकली कन्फर्म हो जाते हैं जबकि सरकारी स्कूलों में वेकेन्सीज आदि को देखते हुये एक लम्बा

[श्री गोस्वामी राधा कृष्ण]

अर्सा कन्फर्मेशन के लिये लगता है, सन् 48 से पहले और सन् 48 से बाद उनके सेवा नियमों में बहुत फर्क आ गया है। आज उनको निकालने में मैनेजमेंट की कठिनाई है। उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये नियम बने हुये हैं। गवर्नमेन्ट से निकलते निकलते आज एक या दो परसेंट अध्यापक मैनेजमेंट के अक्रोश का शिकार होते हैं अन्यथा सब एक, दो साल बाद वापस लौट कर आते हैं और अपनी पूरी तनख्वाह के साथ। न्याय पालिका उनको संरक्षण देती है, विभाग और शासन उनको संरक्षण देता है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है।

इन प्राइवेट संस्थाओं की अपनी अपनी प्रबन्ध समितियां हैं। बहुत से नियम हैं। जब तक उनकी परिपक्व बुद्धि रहती है तब तक वह सेवा करते रहते हैं। एक, आध साल का उनको और समय मिल जाता है। तो इन प्राइवेट संस्थाओं का अपना योगदान है इससे आप इन्कार नहीं कर सकते। इनके वेतन इत्यादि के बारे में शासन जागरूक रहा है। इनकी कठिनाइयों को शासन सुनता और समझता रहा है और आवश्यकता पड़ने पर उसने प्रभावकारी कदम भी उठाये हैं। हम उनको अनुदान देते रहे। वेतन के मामले में तो हम उनको एक निश्चित अनुपात से ही अनुदान देते थे लेकिन भवन निर्माण, पुस्तकालय, उसकी साज-सज्जा, लेबोरेटरीज, फर्नीचर के बारे में हमारी सहायता नाम मात्र को थी। लेकिन फिर भी जो इतने बड़े-बड़े विशाल भवन बने, इतनी बड़ी-बड़ी लेबोरेटरीज बनीं, पुस्तकालय बनें, साज-सज्जा उपलब्ध हुई वह हमें नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये। उनको हमें बधाई देना ही चाहिये जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से यह रूपरेखा तैयार की। यदि उनमें सेवा की भावना न होती तो शायद यह चीजें देखने को न मिलतीं।

हमने देखा कि इन प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन आदि में कुछ कठिनाई है। हमने उनके पे-स्केल रिवाइज किये और आज सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के वेतन-क्रम में कोई अन्तर नहीं है। कहीं अगर नाम मात्र को है भी तो अन्त में सरकारी स्कूलों के बराबर ही उनका वेतन पहुंचता है। जिस प्रदेश में गुरुजनों के प्रति आदर और श्रद्धा नहीं होगी, उनके सुख-सुविधाओं का ध्यान शासन को नहीं होगा वह शासन कभी आदर्श शासन नहीं हो सकता। इस प्रदेश में इस बात का हमेशा प्रयास किया गया और किया जाता रहेगा। पहली अप्रैल, 1971 से उनके वेतन इत्यादि का उत्तरदायित्व शासन ने ले लिया है। लेकिन शासन ने एक निरीक्षण लिया। हम प्रयास में हैं कि मैनेजमेंट के सहयोग से 20 तारीख के अन्दर अन्दर सबका वेतन बंट जाय और पूरे प्रदेश में इस हिसाब से वेतन बंट रहा है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। दूसरे की थाली की दाल सबको अच्छी लगती है, यह मानी हुई बात है।

आज सरकारी स्कूल का अध्यापक कहता है कि हमको तो आप कभी बलिया लाद देते हैं, कभी पिथौरागढ़ भेज देते हैं तो कभी कहीं भेज देते हैं। कमीशन से हमारी नियुक्ति होती है। अच्छे डिवीजन का भी होना आवश्यक है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लिये यह कुछ झंझट नहीं, 4 आदमियों की कमेटी नियुक्त कर लेती है, डिवीजन की भी पाबन्दी नहीं, एक ही जगह रहना होता है। हमको भी यह सुविधायें प्राप्त होना चाहिये। प्राइवेट स्कूल वाले सरकारी स्कूल वालों की तरह सुविधायें चाहते हैं और सरकारी स्कूल वाले प्राइवेट स्कूल वालों की तरह सुविधायें चाहते हैं। आदमी जब अपने अन्दर ही देखने की प्रवृत्ति अपने में जागृत करेगा तभी वह उन्नत हो सकेगा। आज का गुरुजन उन भावनाओं से परे होता जा रहा है जो उसमें होना आवश्यक है। वह गुरु के रूप में अपने को छात्रों के सामने नहीं रखता। आज का अध्यापक व्यवसायी हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक ट्यूशन करने की प्रवृत्ति उसमें बढ़ती जा रही है, वह विद्यार्थी को अपनी सन्तान की तरह नहीं समझता और यही कारण है कि छात्रों में भी अपने गुरुजनों के प्रति जो आदर और सम्मान होना चाहिये वह नहीं है।

वे भी अपने गुरु को गुरु नहीं समझते, उसका आदर सत्कार जैसा किसी जमाने में होता था, आज नहीं करते।

मैं अपने 25 साल की बात कहता हूं। जब तक मैं अध्यापक रहा, मुझे वह सम्मान बराबर मिला जो एक अध्यापक को मिलना चाहिये। लेकिन आज समय बदल गया है। अगर गुरुजन लोग ही विद्यार्थियों को सही मार्ग दर्शन नहीं देंगे तो उनका भविष्य किस प्रकार बनेगा और कैसे वे अच्छे नागरिक बन सकेंगे। विद्यार्थियों में भी जब तक अपने गुरु के प्रति आदर की भावना नहीं रहेगी वे उससे कुछ सीखने में असमर्थ रहेंगे। जिस दिन इन सब में इस प्रकार की अच्छी भावना आ जायेगी, उसके बाद न कभी गुरु और शिष्य में झगड़ा होगा और न कोई समस्या सामने आयेगी। शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि दोनों ही अपने में अच्छे गुणों को पैदा करें।

अब प्रश्न यह है कि हमारे प्रदेश में करीब 4 हजार विद्यालय हैं जिनको टेक ओवर करने के लिये आप यह संकल्प लाये हैं। हमने जहां आवश्यकता समझी, हमने देखा कि छोटे-मोटे नौनिहाल बच्चों का प्रारम्भिक मार्ग दर्शन ठीक हो, हमने प्राइमरी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया। हमने उस ओर कदम उठाया जो आवश्यक था। उस कदम को उठाने में हम नहीं चूके। हमने उसकी आवश्यकता को समझा। उस ओर यह हमारा एक कदम है। हमने यह महसूस किया कि उन छोटे-छोटे नौनिहाल बच्चों की शिक्षा वैसी नहीं हो पाती जैसी कि उनको मिलनी चाहिये। यूनिवर्सिटी आटोनामस बाडी है, उसमें हम हस्तक्षेप कर नहीं सकते। अगर उसमें दखल देंगे तो इन्कलाब हो जायेगा और हायर सेकेन्ड्री एजूकेशन को लेना सम्भव नहीं है। इस शिक्षा में जब बच्चा जाता है तो वह परिपक्व हो जाता है। आवश्यकता उसको शुरू में सही मार्ग दर्शन देने की है और उसके लिये हमने प्राइमरी एजूकेशन को लिया। अगर इन 4000 विद्यालयों को हम ले लेंगे तो इनके साथ हम न्याय नहीं करेंगे, खाली वेतन बांट देना ही सरकार का काम नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था करना उनके भविष्य के बारे में सोचना आदि भी हमारा मुख्य कर्त्तव्य है। उसको हमें पूरा करना है, उसको हमें देखना है, उसे अपने ढंग से पलाने का प्रयास करना है। उसके बारे में हम लगे हैं। जहां कमी आयेगी, जहां देखेंगे कि वहां की प्रबन्ध समिति सक्षम नहीं है और वहां भ्रष्टाचार है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अपने दल की ओर पंडित जी की कृपा दृष्टि रहती है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैं अपने वयोवृद्ध से यह अपेक्षा नहीं करता कि उनकी अपने नाबालिग के प्रति कृपा दृष्टि नहीं रहती।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

नाबालिग सोचकर कहें। जनसंघ के विद्यालयों की तरफ कृपा दृष्टि नहीं रहती। अगर नाबालिग हों तो उन्हें परिपक्व ख्याल रखना चाहिए। जितने दिन हम रहे तो एक भी अन्याय या पक्षपात की बात हमने नहीं की। ठीक है पंडितजी की कृपा रहती है लेकिन निष्पक्ष रहना चाहिए।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जो वयोवृद्ध हैं उनकी कृपा होना भी अहोभाग्य है। जो भारतीय संस्कृति के पोषक हैं उन्हें ऐसी आपत्ति और सन्देह नहीं होना चाहिए।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

उनकी आपत्ति यही है कि आपने उन्हें बुड्ढा कह दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इसमें मुझे चिढ़ नहीं है। मैं तो बूढ़ा हूं, आपकी जवानी आगे बढ़ेगी।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जो छोटे हैं, उन्हें उसी दृष्टि से देखा जाय तो यह उनकी कृपा है। पक्षपात और जनसंघ के विद्यालय, तो इसका मैं भुक्तभोगी हुं। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं अर्ज करूंगा कि मैं किस कदर शिकार हुआ हूं। अगर कभी आदेश देंगे तो सारी कहानी, एक सर्टेन पीरियड की कहानी, सुना दूंगा। अगर वे मेरे समय की सुना देंगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। हम तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अध्यापक हैं। कभी सरकार के स्कूलों में काम करने का समय मिला। लेकिन वहां तबियत नहीं लगी। छोड़ कर चले आये।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

भुक्तभोगी होने के नाते क्या उन स्कूलों से बदले की भावना है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि कोई माननीय सदस्य कह दे कि कभी द्वेष, ईर्ष्या या पक्षपात के साथ व्यवहार किया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह तो समय आयेगा तो मैं बतला दूंगा।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मुझमें इतनी शक्ति दें कि किसी के प्रति राजनीतिक या पार्टीबाजी की दृष्टि से अन्याय करने की भी कल्पना न कर सकूं। लेकिन हमारे वरिष्ठ साथी को इतना छोटा आक्षेप नहीं लगाना चाहिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

एक ऐसे सूत्र से जानकारी होने पर जिस पर कि अविश्वास नहीं किया जा सकता यह कहना पड़ा।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैं तो भुक्तभोगी था तब भी नहीं कहा। लेकिन अगर मेरे वरिष्ठ साथी संकेत मात्र भी कर देंगे कि गोस्वामी जी ने यह गल्ती की है तो मैं उसका निराकरण करने में संकोच नहीं करूंगा। मैंने जीवन में मान्यताओं को महत्व दिया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

एक निवेदन यह है कि आज का शिक्षा से सम्बन्धित जो संकल्प हैं उसे भी पेश करा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह खत्म हो जायगा तो आ जायगा। आपने संकेत कर दिया।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इन परिस्थितियों में इन शिक्षा संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण से शिक्षा की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है।

श्री राजमंगल पांडेय---

मंत्री जी समाजीकरण पर बोल रहे हैं और प्रस्तावक महोदय ने तो स्वयं समाजीकरण के बारे में कहा है और कहा है समाजीकरण कर दिया जाए।

श्री बंशीधर पांडेय---

इसे आप बाद में कर लीजिएगा।

श्री राजमंगल पांडेय---

प्रस्तावक ने स्वयं अपने को राष्ट्रीयकरण से अलग करके समाजीकरण की बात कही है। इसलिए मंत्री जी भी उस पर आवें।

श्री बंशीधर पांडेय---

राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकारीकरण नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

समाजीकरण के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण आता है, राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत समाजीकरण नहीं आता है। अब मूल प्रस्ताव राष्ट्रीयकरण के लिए है, किन्तु अगर किसी वक्ता ने कहा है कि . . .

श्री राजमंगल पांडेय---

यह तो प्रस्तावक ने ही कहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

उनके मुंह से भी निकले, तो निकल जाएं। मंत्री जी तो राष्ट्रीयकरण की ही बात कहेंगे समाजीकरण की बात कैसे करें।

श्री बंशीधर पांडेय---

मंत्री जी समाजीकरण की बात चाहते हैं, तो उसी पर बोलें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

समाजीकरण में उन्हें आपत्ति है तो राष्ट्रीयकरण में तो उन्हें आपत्ति नहीं है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैं तो मूल प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। कोई भी उसे राष्ट्रीयकरण, राजकीयकरण या समाजीकरण के परिवेश में, उनका लक्ष्य, उनकी रूपरेखा को हमारे माननीय सदस्य हमसे अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो एक अध्यापक और शिक्षा मंत्री के नाते यह जानता हूं कि आज प्राइवेट संस्थाओं से शिक्षा की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पूरा हुई है। इसके राष्ट्रीयकरण से भयंकर समस्याएं भी आ सकती हैं। आज प्रश्न यह है इनका राष्ट्रीयकरण यदि कर देते हैं तो आगे स्कूलों के बारे में क्या होगा। क्या जितनी शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता प्रदेश को है, उसके लिए राज्य सक्षम होगा कि उनको शिक्षा दे सकें, इतने अधिक स्कूल खोल सकें। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में, बुन्देलखंड के जंगली इलाके में, मिर्जापुर के दुद्धी आदि क्षेत्र में एक दो राजकीय विद्यालय हैं जब कि 5-7 वहां पर प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं,

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

जो जनता की निरन्तर सेवा कर रहे हैं और शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। क्या इस दुरूह कार्य को शासन कर सकेगा। यदि दानदाता, उदारवेत्ता और समाजसेवी जन इसे न चलाएं तो यह अत्यन्त कठिन हो जाए। बिना जनसम्पर्क के इन्हें सरकार के लिए चलाना सम्भव नहीं है। इसलिए यह सोचना प्रदेश की शिक्षा की आवश्यकता पर, प्रदेश की शिक्षा की समस्या पर एक कुठाराघात होगा। प्रदेश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता जो कि जनसमाज द्वारा, समाजसेवियों द्वारा, जनसेवियों द्वारा पूरी होती है, वह असम्भव हो जाएगी और हम एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति में पीछे रह जाएंगे। इसके साथ-साथ मैंने शिक्षा शास्त्रियों के आपके सामने कुछ कोटेशन्स दिए, उसको भी विचार में रखना पड़ेगा। केवल भावुकतावश कोई कदम उठा लेना श्रेयष्कर नहीं होगा। हम उनकी खामियों को दूर करने में लगे हुए हैं, पाठ्य-पुस्तकों का प्रश्न है, उसको देखेंगे, अध्यापकों का प्रश्न देखेंगे, उनके आर्थिक प्रश्न और वेतन आदि के मामलों को भी देखेंगे।

श्री रामबिलास पांडेय--

क्या यह सरकार अब यह अनुभव कर रही है कि अब तक राष्ट्रीयकरण का नारा भावावेश में लगाया जाता रहा है, जिस पार्टी का शासन है क्या उसने अब महसूस किया है भावावेश में राष्ट्रीयकरण की तरफ न बढ़ा जाय?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, मैं भावावेश में राष्ट्रीयकरण की आवाज उधर से ज्यादा सुन रहा हूं। हम जैसे-जैसे राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता समझते हैं, वह लक्ष्य हमारे सामने है, हमारे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं। हमने प्राइमरी स्कूलों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता समझी। हमने समझा कि अगर बच्चों-बच्चों की प्राइमरी रूपरेखा यदि स्वस्थ न हुई, तो आगे रूपरेखा खराब होती चली जायगी। आज कल जो उच्छृंखलता की रूपरेखा बढ़ती चली जा रही है, वह प्राइमरी एजूकेशन है। विद्यार्थी थ्री आर्स लेकर जहां से चलता है वह परिपक्व हो कर नहीं जाता है हायर सेकेंडरी में उस स्तर का नहीं हो पाता, वह कक्षाएं छोड़ कर भागता है, उच्छृंखलता और अनुशासन की भावना आती है। जिस समय आप दरजा चार पास करके दरजा पांच में गये होंगे उस समय का स्टैंडर्ड देख लें और आज दरजा पांच का स्टैंडर्ड देख लें। इस कारण हमने राष्ट्रीयकरण किया भले उसके कारण सरकार पर बहुत बड़ा बोझ आया हो लेकिन उसने परवाह नहीं की और उसने किया लेकिन इन संस्थाओं को जो सही मानी में समाज, राष्ट्र और मानवता की सेवा कर रही हैं, प्रदेश की आवश्यकता को पूरी कर रही हैं, उनके राष्ट्रीयकरण की ओर ध्यान देना बहुत न्यायोचित नहीं होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय मंत्री जी ने केराला में अपनी पार्टी को ये विचार भेजने का कष्ट किया है, या उनसे सबक लेने की कोशिश की है या नहीं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यह जनता के विश्वास का पवित्र मंदिर है, अपने आप निर्णय लेने के लिए सक्षम है, किसी से लेने या देने की बात अपनी जगह पर है। यह जनता के विश्वास के पवित्र मन्दिर जनता के हित में निर्णय लेने में अपने आप सक्षम है। किसी की राय की नकल की आवश्यकता नहीं है। हम हायर सेकेंडरी शिक्षा में सुधार करते चले जा रहे हैं। हम इस बात की आवश्यकता नहीं समझते कि उसको राष्ट्र के नियंत्रण में ले लें। हम उन संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। उससे हमारे नवयुवक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर निकलें और देश का होनहार नागरिक बनें। इस भावना से उन विद्यालयों को चलाने

का प्रयास कर रहे हैं। उनकी प्रबन्ध समितियों को समस्याओं से मुक्त कर रहे हैं। भवन निर्माण, साज-सज्जा के प्रश्नों की ओर ध्यान दे रहे हैं। जहां तक वेतन आदि का प्रश्न है उनको हम ले रहे हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

राष्ट्रीय शब्द का तात्पर्य है कि राष्ट्र के अनुकूल हो। माध्यमिक शिक्षा का जो स्वरूप है वह ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनका संचालन करती है माध्यमिक शिक्षा परिषद् उसमें राष्ट्रीयता के अनुकूल आमूल परिवर्तन की योजना ला रहे हैं या नहीं और कब ला रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह अलग से प्रश्न है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वे अनुभवी शिक्षाविद हैं। वह जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा, परिषद् के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। यह हमारा हमेशा से दृष्टिकोण है कि हर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करे। शासन उसकी उपेक्षा कैसे कर सकता है? यह हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। उसको पूरा करने के लिये कृत संकल्प हैं। रही इन विद्यालयों के राष्ट्रीयकरण की बात तो इनकी अपनी सम्पत्ति है, साज-सज्जा है उसके टेक ओवर की बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने आती है। फिर जो चीज आज ठिकाने से आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, समस्या का समाधान कर रही है व्यर्थ में शासन ने उसको अपने ऊपर ले लिया और जो आंकड़े इसके निकलते हैं 11 से 15 करोड़ रुपये का बोझ शासन पर आ जाता है। कौन सी इसकी आवश्यकता आज है? राष्ट्रीयकरण के बाद क्या हो जायगा? कौन सा परिवर्तन आ जायगा? जिस जिले में राजकीय कोई स्कूल चल रहा है वहीं बहुत सी ऐसी प्राइवेट संस्थायें चल रही हैं जो किसी तरह से राजकीय स्कूलों से कम अच्छी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में 11 से 15 करोड़ का बोझ अपने ऊपर ले लेना कोई न्यायोचित बात नहीं है, व्यर्थ में यह बोझ सरकार पर पड़ जायगा। इतना रुपया प्रदेश की दूसरी विकास योजनाओं में लगाया जा सकता है। सड़कें बन सकती हैं, सिंचाई के साधन जुटाये जा सकते हैं, बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, अस्पताल बनाये जा सकते हैं। इस प्रकार की भौतिक आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। एक के कंट्रोल से विद्यालयों को निकाल कर दूसरे के कंट्रोल में ले आना मैं कोई बहुत उचित नहीं समझता।

माननीय सदस्य सरकार पर, शासन पर तानाशाही का आरोप भी लगाया करते हैं तो किसके नियंत्रण में ये विद्यालय आयेंगे? अगर समाज का एक अंग अपने उत्तरदायित्व को निभा रहा है और सेवा भाव से कार्य कर रहा है तो उसको भी अवसर देना चाहिये। हां उसके कार्यों पर नजर जरूर रखना चाहिये और जब उसके सम्बन्ध में कोई सूचना आती है कि कहीं मैनेजमेंट अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर रहा है तो हम तत्काल अथोराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त कर देते हैं और जैसे ही वहां का मैनेजमेंट प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी नई समिति बना लेता है हम तत्काल अथाराइज्ड कंट्रोलर को हटा भी लेते हैं। जन सेवा को मान्यता देना हमने सीखा है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री बलबीर सिंह—

माननीय मंत्री लाल बत्ती का भी ध्यान रखें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

आप बैठने की आज्ञा देंगे तो मैं फौरन ही बैठ भी जाऊंगा, मैं एक मिनट भी खड़ा नहीं रहूंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

दूसरे संकल्प में भी आप की रुचि होगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

वह तो आ जायगा लेकिन जब समय इस पर मिला है तो अपनी भावनाओं को मुझे व्यक्त कर लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

यह अधिकार तो उनको है ही कि जवाब देने में थोड़ा समय ले सकते हैं।

श्री बलबीर सिंह--

फिर तो आप 15 मिनट का समय बढ़ा दीजिये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

माननीय सदस्य ने अपने ढंग से तर्क उपस्थित किये। मैं उनका विरोध नहीं करता लेकिन मैंने देखा कि हृदय की भावनायें, आत्मा की पुकार स्वतः सामने आ गयी जब राष्ट्रीयकरण से वह समाजीकरण पर आ गये। समाजीकरण क्या है ? समाज के द्वारा संचालित जो संस्थायें हैं और अगर वे समाज की सेवाकर रही हैं तो इसको आज समाजीकरण नहीं कहेंगे ? क्या सरकारी नियंत्रण को ही समाजीकरण कहा जायगा ? राष्ट्रीयकरण आप चाहते हैं लेकिन क्या जनता की सेवाओं को आप मान्यता देने को तैयार नहीं हैं, यह सोचने और समझने की बात है। मैं जानता हूं कि मेरे सम्मानित सदस्य जो हैं जिनका कि बहुत आदर करता हूं। वे मेरे इतने निकट हैं कि मैं उनके हर आदेश का पालन करना अपना कर्तव्य समझता हूं। ऐसी परिस्थिति में वे मेरी भावनाओं को देखेंगे और राष्ट्रीयकरण के बारे में ऐसी बात नहीं कहेंगे जो प्रदेश के लिये न्याय संगत न हो। एक प्रश्न यह आता है कि कुछ वैधानिक कठिनाइयां आ जाती हैं। कुछ ऐसी संस्थायें देश में चलती हैं जिनको कि संविधान के आधार पर कुछ अधिकार दिये गये हैं जिनको कि हम छिपा नहीं सकते हैं और उनके मूलभूत अधिकारों को देखने का हमारा उत्तर-दायित्व है। व्यर्थ में, जब तक कि उनमें अराष्ट्रीयता की भावना पैदा न हो, जो कि सही माने में जन सेवा न कर रहे हों और अपने लक्ष्य को लेकर न चल रहे हों, तब तक उनके बारे में ऐसा कहना और करना उचित प्रतीत नहीं होता। संविधान की धारा 31 के अनुसार उनके संरक्षण का उत्तरदायित्व शासन पर है.....।

श्री रामबिलास पांडेय--

जब संविधान पर छुरी चला दी तो फिर ऐसा करके उसके थोड़े टुकड़े और कर दिये जायं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, केवल इधर से उधर रास्ते से बहकना काफी नहीं होता। जब मैं इन बातों के स्पष्टीकरण देने हेतु तैयार होता हूं तो मुझे फिर आपकी लालबत्ती समय नहीं देती। मान्यवर, किन परिस्थितियों में संविधान में परिवर्तन हुआ वह किसी से छिपा नहीं है, किन परिस्थितियों में ऐक्शन लिया गया इसे भी सभी लोग जानते हैं। मैं जानता हूं कि जो परिस्थितियां हमारे सामने चल रही हैं, जो समस्यायें हमारे सामने चल रही हैं उसमें यह कोई न्यायोचित मांग नहीं

हैं कि हम राष्ट्रीयकरण के लिये, सरकारी-करण के लिये और राज्यीकरण के लिये कहें। यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक चलती हुई स्वस्थ परम्परा को रोका जाय और उसके प्रयास किये जायं। एक भावना से चाहे वह धार्मिक हो, समाज सेवी को, पिछड़े क्षेत्रों के विकास की हो और चाहे वह गरीब किसानों के बच्चों को सस्ती शिक्षा देने की भावना से क्यों न हो जिनको लेकर आज हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसको समेट लेने की लालसा हमारी नहीं है। जहां सुधार करने की आवश्यकता समझी जायेगी, जहां आवश्यक होगा, जहां लोग परेशानी में होंगे उन्हें अवश्य पूरा किया जायेगा लेकिन राजकीय नियंत्रण में अभी इन संस्थाओं को लाने का कोई विचार नहीं है और न ही आवश्यकता है।

माननीय सदस्य बड़ी उदारता के साथ समाजीकरण में आ गये हैं। समाज के द्वारा संचालित समाज के लिये ये संस्थायें खूब फलें और फूलें यही हमारी शुभकामनायें और आशीर्वाद होना चाहिए। उनको किसी नियंत्रण में लेकर उनके अधिकारों का कुठाराघात नहीं करना चाहिए और उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात नहीं करना चाहिए। जो अपने लक्ष्य की पूर्ति में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हों उन पर माननीय सदस्यों को बाधिक नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी उदारता के साथ अपने उन माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संकल्प को वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

अब तो समय हो गया है।

श्री बंशीधर पांडेय---

15 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय। इन प्रस्तावों को प्रस्तुत कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो हम ले सकते हैं। लेकिन अब 5 बजे गये हैं और मंत्री स्वयं स्ट्रिक्ट हैं और 5 बजे तक वे ही बोले तो तब क्या हो सकता है। इस पर मैं आज वोट नहीं लेता हूं। प्रस्तावक महोदय इस पर सहमत हैं न ?

कई सदस्य---

ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दे दिया और सारी बातों का समाधान हो गया।

श्री करन सिंह---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक मंत्री की हैसियत से वक्तव्य नहीं दिया है, बल्कि एक अध्यापक की हैसियत से दिया है। आजकल गुरु-शिष्य में जो द्वन्द्व है उस पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किये इसलिये मैं अपने संकल्प को वापस नहीं ले रहा हूं। वह अपनी जगह पर है।

श्री उपाध्यक्ष---

स्थिति यह है कि शासन किसी पर वोट नहीं लेता तो आप समझें कि वह आपके विरुद्ध नहीं है, वह आपके पक्ष में है। इससे आपका रास्ता बन्द नहीं होता। राष्ट्रीकरण का विषय कब्ल अज वक्त होने की बात कही गयी, तो आप उनकी स्थिति को देखें।

श्री बंशीधर पांडेय---

उन्होंने आचार्य की हैसियत से अपना भाषण दिया है, अब शिक्षा मंत्री के भाषण के लिये पंडित जी को ढूंढ़ना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम आगे चलते हैं। श्री सच्चिदानन्द गुप्त जी, अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

राज्य में खर्चीले प्राथमिक स्कूलों के संचालन पर रोक लगाने तथा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने के संबंध में संकल्प

श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प इस प्रकार है :---

"इस सदन का निश्चित मत है कि समता और बराबरी कायम करने के लिये राज्य में खर्चीले प्राथमिक स्कूलों के संचालन पर रोक लगा दी जाये और प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और समान रूप से देने की समुचित व्यवस्था की जाये।"

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप भाषण उस दिन देंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत कई सूचनायें, प्राप्त हुई हैं। जो अकाल सम्बन्धी है उस पर तो दूसरे दिन बयान होगा और उस पर पूर्ण विचार अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा।

एक श्री बंशीधर पांडेय और कल्पनाथ सिंह जी का है---"जिला जौनपुर के सुमोधपुर स्थित गांधी स्मारक कालेज में पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 का लगाना।"

तो इसको मैंने 3-8-72 को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

एक सर्वश्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, सुरेन्द्र विक्रम और विश्वनाथ कपूर का है। "लखनऊ विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय में सीटों की भारी कमी"। चूंकि यूनिवर्सिटी स्वायत्तशासी संस्था है, उसके सम्बन्ध में भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नीति सम्बन्धी मामला नहीं है, तफसीली है।

और सभी अस्वीकार हुए हैं। अब हम उठते हैं। सोमवार 31 तारीख को 11 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बज कर 5 मिनट पर सोमवार, 31 जुलाई, 1972 के 11 बज दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
28 जुलाई, 1972।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 379 पर।)

1971 के पाक युद्ध के जिला देहरादून के शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी गई सहायता संबंधी सूची

क्रम-संख्या	नाम		यू0 पी0 पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा दी गई सहायता	मुख्य मंत्री कोष से दी गई सहायता
1	2		3	4
			रु0	रु0
1	लेफ्टीनेन्ट कर्नल ओंकार सिंह	..	5,000	..
2	लेफ्टीनेन्ट कर्नल राजकुमार दीवान	..	,,	..
3	मेजर टी0 बी0 राना	..	,,	500
4	मेंजर आर0 के0 अरोरा	..	,,	..
5	मेजर बृजेन्द्र सिंह	..	,,	1,000
6	सेकेन्ड लेफ्टीनेन्ट ए0 एस0 चौहान	..	,,	501
7	नायब सूबेदार गणेश बहादुर गुरंग	..	3,000	..
8	हवलदार दिल बहादुर थापा	..	2,000	500
9	हवलदार प्रेम मोहन थापा	..	,,	..
10	नायक सुरेन्द सिंह राना	..	,,	500
11	नायक नर बहादर राय	..	,,	..
12	नायका जंग बहादुर थापा	..	,,	..
13	लैन्स नायक जै बहादुर थापा	..	,,	..
14	लैन्स नायक बीर बहादुर गुरंग	..	,,	..
15	लैन्स नायक सुरेस सिंह थापा	..	,,	..
15	रायफलमैन दलीप सिंह थापा	..	,,	..
17	,, अरविन्द प्रताप थापा	..	,,	50
18	,, रमेश बहादुर थापा	..	,,	..
19	,, बिमल प्रकाश मन्डबाल	..	,,	..
20	,, जैचन्द	..	,,	..
21	,, चन्द्र बहादुर क्षेत्री	..	,,	..
22	,, देव सिंह भाल	..	,,	500
23	,, खड़क बहादुर थापा	..	,,	..

1	2		3	4
			रु0	रु0
24	सिपाही जगदीश चन्द	..	..	500
25	रायफलमैन राम बहादुर थापा	..	2,000	..
26	रायफलमैन ईश्वरसिंह थापा	..	,,	..
27	सिपाही कुल बहादुर सरकी	..	,,	..
28	मैकेनिक—3 ए0 पी0 राना	..	,,	..
29	रायफलमैन राम बहादुर थापा	..	1,000	..
30	रायफलमैन धीरेन्द सिंह	..	,,	..
31	सिपाही मंगल सिंह थापा	..	2,000	..
32	फ्लाईट लेफ्टीनेन्ट रवीन्द्र नेथानी		सहायता दी जा चुकी है परन्तु जिलाधिकारी ने धनराशि अंकित नहीं किया है।	आगरा जिले से दी।
		योग ..	79,000	4,051

नोट:—8 शहीद सैनिकों के परिवारों के संबंध में मामला यू0 पी0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान के विचाराधीन है।

खोये हुए व्यक्तियों को दी गई सहायता संबंधी सूची

1—10—14457, 8—10—71 मेजर जसकिरन सिंह मलिक	..	2,500
2—सेकेन्ड लेफ्टीनेट बी0 एस0 गुरंग, 3 आसाम रेजीमेन्ट	..	2,500
योग	..	5,000

नोट—इन लापता सैनिकों का नाम पहले शहीद हुए सैनिकों के सूची में था अतः उनके परिवार वालों को सहायता दे दी गई है। अन्य दो लापता सैनिकों के सम्बन्ध में अधिकृत सूचना मिलने पर ही उत्तर प्रदेश सहायता संस्थान द्वारा सहायता दी जा सकेगी।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 381 पर)

छठें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न सं0 29 का संलग्नक

(भूसा बिक्री का विवरण)

तहसील—घोसी

क्रम-सं0	ग्राम का नाम	भूसे की मात्रा जो बेचा गया
1	पतनई	5–00 क्विंटल
2	बहादुरपुर	17–00 „
3	दोहरीघाट	35–00 „
4	ठाकुर गांव (रौदा भगवानपुर)।	6–00 „
5	इब्राहीमाबाद	4–00 „
6	धनौली रामपुर	29–00 „
7	रामपुर	5–00 „
8	छुतिहर	11–00 „
9	बीबीपुर	18–00 „
10	जमारी चौराडीह	3–00 „
11	डहिया डिलिया	20–00 „
12	नई बाजार	4–00 „
	योग ..	157–00 क्विंटल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 381 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के छठें शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री रामपति द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

क्रम-सं0	सहायता की मद	पूरे जिले को	धुरियापार विधान सभा क्षेत्र को
		रु0	रु0
1	अहेतुक सहायता	10,48,400	1,19,100
2	गृह निर्माण अनुदान	16,03,000	2,22,100
3	तकावी	30,40,000	1,00,000
4	गैर-खेतिहरों को ऋण	3,10,000	8,200
5	विशेष गृह निर्माण योजना	9,00,000	35,340

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 382 पर)

सहकारी समितियों में गबन के मामलों के संबंध में सूची जो दिनांक 1-3-65 से 22-3-72 तक प्राप्त हुये

(जनपद कानपुर)

क्रम-सं0	नाम सहकारी समिति	गबन की धनराशि	एफ0 आई0 आर0 नं0 व दिनांक
		रु0	
	सूची उन गबन वादों की जिनमें पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई		
1	बारा क्षेत्रीय सहकारी समिति ..	930.00	129/6-7-66
2	पतारा साधन सहकारी समिति ..	734.00	170/26-3-67
3	बुधौली सहकारी समिति ..	705.35	15/27-1-60
4	जैनपुर सहकारी समिति ..	218.60	14/27-1-68
5	सी0 आई0 टी0 एण्ड सी0 इम्प्ला0 सो0 कानपुर	9,033.88	630/10-10-66
6	गोबिन्दनगर उप-सहकारी समिति कानपुर	4,811.88	474/17-10-68
7	निबौली बुजुर्ग साधन समिति ..	205.00	305/8-8-69
8	रतनपुर साधन सहकारी समिति ..	5,400.00	177/10-10-69
	न्यायालय में पड़े वादों की सूची		
9	धरमगंदपुर सहकारी समिति ..	25,705.45	87/3-9-65
10	एलगिन मिल्स उप0 भण्डार, कानपुर	1,494.24	786/18-11-65
11	सेहुपुर बील्हापुर पुरैनी समिति ..	7,020.50	16/26-1-67
12	झींझक सहकारी क्रय-विक्रय समिति ..	61,992.22	31/18-3-67
13	बरनांग साधन समिति ..	3,041.86	274/7-10-67
14	पतारा साधन सह0 समिति ..	13,778.00	295/30-10-67
15	कृषि विभाग कर्मचारी सह0 समिति कानपुर	19,843.12	1103/25-11-67
16	पचलतातारपुर साधन समिति ..	535.00	92/4-3-68
17	अकबरपुर सहकारी संघ लि0 ..	3,301.74	2-5-69
18	कानपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति ..	500.00	19-4-69
19	पतारा साधन सहकारी समिति ..	3,000.00	115/12-7-69
	सूची वाद जिनमें धनराशि वसूल हो गई		
20	रेउना साधन सह० समिति ..	1,041.00	159/14-7-65
21	धरउपुर साधन समिति ..	2,172.42	120/6-7-66

क्रम-सं0	नाम सहकारी समिति		गवन की धनराशि	एफ0 आई0 आर0 नं0 व दिनांक
			रु0	
22	भन्देमऊ साधन समिति	..	3,222.29	4/5-1-69
23	गौसगंज साधन सहकारी समिति	..	530.86	5-4-69
24	तुर्कमिऊ सीड स्टोर व संघ	..	7,071.47	30-9-70
25	सर्किल बिल्हौर (सहकारी कुर्कअमीन)		1,300.12	4-1-71
	वाद जो विभागीय कार्यवाही में हैं			
26	दलीपनगर साधन समिति	..	1,460.00	(67-68) एवार्ड इजराय में है
27	दुबियाना साधन समिति	..	2,972.12	(68-69) ,,
28	भौसाना साधन समिति	..	2,195.17	,, ,,
29	धौरारा महदेवा साधन समिति	..	10,000.00	,, ,,
30	धन्नू निवादा साधन समिति	..	6,410.28	,, डिक्री इजराय हो चुकी है
31	पिहानी साधन समिति	..	425.00	69-70 सालसी कार्यवाई
32	टाउन एरिया बिल्हौर	..	806.95	,, ,,
33	झींझक सर्किल (कुर्क अमीन)	..	2,772.50	70-71 जांच में है
	सूची वादों की जो पुलिस जांच में हैं			
34	पित्रपुर सहकारी समिति	..	10,300.00	116/17-11-65
35	अरिमलन्यायी क्षेत्रीय सह० समिति	..	2,757.60	150/13-9-65
36	अथर्टनवेस्ट इम्प्लाइज को0 सो०	..	1,61,000.00	709/23-4-71
37	बिक्रमपुर सहकारी समिति	..	4,983.64	74/10-14-66
38	जिला सहकारी बैंक लि0	..	24,000.00	144/अक्टूबर 67
39	कर्मचारी नगर गृह निर्माण समिति	..	33,455.37	15/23-10-67
40	हिसाबा साधन सहकारी समिति	..	3,501.53	6-11-67
41	केसा को0 सोसायटी लि0 कानपुर	..	5,070.00	26-4-60
42	गौरीहसन साधन समिति	..	1,500.00	52/21-4-60
43	हीरामन शिवली साधन समिति	..	3,298.52	161/7-10-60
44	भवइया प्राइमरी सहकारी समिति	..	35,550.60	165/10-10-60
45	लालपुर शिवराजपुर सहकारी समिति		700.00	46/26-2-60
46	कसेलर साधन समिति	..	3,090.14	105/21-6-60
47	डिलक्स साधन समिति	..	2,005.00	121/13-7-60
48	एलगिन मिल्स कर्मचारी सहकारी समिति		356.13	546/2-9-60

क्रम-सं0	नाम सहकारी समिति	गबन की धनराशि	एफ0 आई0 आर0 नं0 व दिनांक
		रु0	
49	सी0 आई0 टी0 एण्ड सी0 सहकारी समिति	..	444/26-7-60
50	अकबरपुर जन साधन सहकारी समिति	1,784.73	2-5-69
51	कानपुर हिन्दी केमिकल को0 सो0 ..	..	9-11-60
52	सेनपुरबपारा साधन समिति ..	6,277.99	106/24-6-71
53	बीरामऊ साधन सहकारी समिति ..	1,734.56	90/18-8-69
54	कानाखेड़ा साधन समिति ..	2,130.00	29-8-69
55	मनावापाठकान साधन समिति ..	2,705.49	7/10-7-69
56	नयाबाजार कानपुर ..	8,152.49	23-8-69
57	झींझक सर्किल (कुर्क अमीन) ..	1,901.42	100/17-6-69
58	केसा सहकारी समिति, कानपुर ..	4,55,695.02	742/30-12-69
59	उटठा साधन सहकारी समिति ..	960.12	8/12-1-70
60	सी0 आई0 जी0 एस0 इम्पलाइज सो0	12,192.20	3-9-68
61	भवानीपुर साधन समिति ..	10,736.83	9-2-70
62	इटरा साधन समिति	32,500.00	13-2-70
63	पलिया बासखोड़ा साधन समिति ..	1,072.32	3-3-70
64	मुबारकपुर लाटा साधन समिति ..	4,881.60	44/3-4-70
65	मन्थना सहकारी संघ ..	49,505.46	263/20-7-70
66	उटठा सहकारी संघ व बीज भंडार ..	3,030.11	20-3-70
67	नदिहाखुर्द सहकारी समिति ..	884.14	4-1-71
68	आर्डिनेन्स फैक्टरी इम्पला0 को0 सो0	3,260.00	928/1-6-71
69	रेलबाजार मीरपुर सहकारी समिति ..	2,049.24	15-3-71
70	केसरी निवादा शिवली साधन ..	2,103.35	17-6-71
71	रावतपुर साधन सहकारी समिति ..	2,231.27	16-6-71

सत्यमेव जयते विधान सभा

नत्थी 'ड०'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 384 पर)

परिशिष्ट–क

बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण गिरे हुए मकानों के पुनर्निर्माण के लिये स्वीकृत ऋण प्राप्त-कर्ताओं की सूची (तारांकित प्रश्न–37 से सम्बन्धित) जनपद-आजमगढ़ ।

क्रमांक	ऋणी का नाम मय पता	धनराशि जो दी गई
1	2	3
		रु0
1	श्री पद्माकर लाल, पुत्र श्री भारद्वाज, निवासी मु0 पाण्डे बाजार ..	6,250.00
2	,, परमानन्द राय, पुत्र श्री रामलोचन, मो0 हरी की चुंगी ..	6,250.00
3	,, ओंकार नाथ श्रीवास्तव, पुत्र श्री दामोदर, मो0 पाण्डे का बाजार	6,250.00
4	,, दिवाकर प्रसाद, पुत्र श्री भारद्वाज, मो0 पाण्डे बाजार ..	6,250.00
5	,, धनपति यती, पुत्री श्री धनराज यती, मो0 सीताराम ..	6,250.00
6	,, सुधाकर लाल, पुत्र श्री भारद्वाज, मो0 पाण्डे बाजार ..	6,250.00
7	श्रीमती चन्द्रावती देवी, पत्नी श्री रामकुंवर सिंह, जालन्धरी ..	6,250.00
8	श्री आपा शंकर मिश्र, पुत्र श्री बृजशंकर मिश्र, मो0 खत्री टोला ..	6,250.00
9	,, सत्यगुरु सेवक, पुत्र श्री शीतल प्रसाद, मो0 बदरका ..	6,250.00
10	,, इन्द्रजीत सिंह, पुत्र श्री हरिहर सिंह, मो0 अराजोवाग ..	6,250.00
11	,, नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री हरदेव सिंह, मो0 रैदीपुर ..	6,250.00
12	,, सत्यनरायन लाल, पुत्र श्री बन्धू लाल, मो0 कुर्मीटोला ..	6,250.00
13	श्रीमती मैना देवी, पत्नी श्री गोरखनाथ, मो0 एलवल ..	6,250.00
14	,, बिमला देवी, पत्नी श्री लालता प्रसाद, मो0 बाजबहादुर ..	6,250.00
15	श्री दानबहादुर सिंह व जगदीश सिंह पुत्रगण श्री सुखदेव व धर्मदेव, निवासी मड़या, आजमगढ़	6,250.00
16	,, कमला प्रसाद अग्रवाल, पुत्र श्री गिरधर, मो0 जालन्धरी ..	6,250.00
17	,, हींगू राम, पुत्र श्री नायक, मो0 मातबरगंज	6,250.00
18	,, फूलचन्द्र, पुत्र श्री भैरव प्रसाद, मो0 शिक्ली ..	6,250.00
19	,, मन्नान अहमद, पुत्र श्री शैण मित्तन, निवासी दोहरीघाट, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़	5,000.00
20	,, मु0 जियाउद्दीन, पुत्र श्री मु0 हुसैन, निवासी दोहरीघाट, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़	5,000.00
21	,, राम प्रताप सिंह, पुत्र श्री सुखदेव सिंह, मु0 पूरा जोधी ..	6,250.00

क्रमांक	ऋणी का नाम मय पता	धनराशि जो दी गई
1	2	3
		रु0
22	श्री राम प्रताप सिंह, पुत्र श्री सत्यराम सिंह, मो0 मड़या ..	6,250.00
23	,, रामरतन राय, पुत्र राम उदित राय, मो0 मड़याजै रामपुर ..	6,250.00
24	,, बृजवासी सिंह, पुत्र श्री बलिहारी सिंह, ग्राम चण्डेसर ..	5,000.00
25	,, तेजबहादुर सिंह, पुत्र श्री श्यायवली सिंह, मो0 मड़याजैरामपुर	6,250.00
26	,, लालबहादुर सिंह, पुत्र श्री रामबली सिंह, मो0 मड़याजैरामपुर	6,250.00
27	,, महेन्द्रनाथ राय, पुत्र श्री मनिरामराय, मो0 मुकेरीगंज ..	6,250.00
28	,, शौकत अली खां, पुत्र श्री मुहम्मद असन खां, ग्राम मिर्जापुर ..	5,000.00
29	,, केशवप्रसाद सिंह, पुत्र श्री रामहृदय सिंह, ग्राम बीबीपुर,तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़	500.00
30	,, हरदेव सिंह, पुत्र श्री रामगुलाम सिंह, मु0 सिविल लाइन ..	6,250.00
31	,, नगेन्द्रनाथ सिंह, पुत्र श्री लोकनाथ सिंह, मु0 मड़या ..	6,250.00
32	,, कृष्णचन्द्र श्रीवास्तव, पुत्र श्री शम्भूनाथ, मो0 एलवल ..	6,250 00
33	,, आनन्द मोहन, पुत्र श्री अदूलाल, ग्राम मटमोला, तहसील घोसी जिला आजमगढ़	5,000.00
34	,, हरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री दविवल सिंह, ग्राम बुड़ावे, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़	5,000.00
35	,, अफजा उल्ला, पुत्र श्री सलीम, मु0 गुरन्ट टोला ..	6,250.00
36	,, अजीमुल्लाह, पुत्र श्री हसन, मु0 बाजबहादुर ..	3,000.00
37	,, यदुनाथ पाण्डेय, पुत्र श्री रामअवतार, मु0 गुरन्ट टोला ..	6,250.00
38	,, मूलचन्द्र, पुत्र श्री बनवारी लाल, मु0 कुर्मीटोला ..	6,250.00
39	,, केशवदत्त यादव, पुत्र श्री शिफर यादव, मु0 सिधारी ..	6,250.00
40	,, गुलाबचन्द्र यादव, पुत्र बागेश्वर यादव, मु0 सिधारी ..	6,250.00
41	,, हरदेव प्रसाद गुप्त, पुत्र श्री बंशलोचन, मु0 धूसविल लाईन ..	6,250.00
42	,, काशीनाथ अग्रवाल, पुत्र श्री मोहन लाल, मु0 सरफुद्दीनपुर ..	6,250.00
43	,, मदनलाल अग्रवाल, पुत्र श्री मोहन लाल, मु0 एलवल ..	6,250.00
44	,, संकटा प्रसाद, पुत्र श्री राजराम, मु0 एलवल ..	6,250.00
45	,, उदय प्रताप सिंह, पुत्र श्री सूर्यनारायन सिंह, मु0 आराजीबाग	6,250.00
46	,, बच्चा राम, पुत्र श्री महंगू राम, मु0 दलसिंगार ..	6,250.00
47	,, विद्याधर, पुत्र श्री चन्द्रभूषण मिश्र मु0 सिविल लाईन ..	6,250.00
	योग ..	2,81,750.00

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 385 पर)

सूची

गांव सभा अमरपुर, कोण्डला तहसील कोल सन् 1968–69 में निम्नलिखित व्यक्तियों को आबादी के लिये भूमि आवंटित की गई:—

1—श्री परसराम, पुत्र नंदा, 2—जौहरी, पुत्र छोतरिया, 3—हरिया, पुत्र टुण्डा, 4—विशना, पुत्र छोतरिया, 5—मवासी, पुत्र छोतरिया, 6—सामन्ती, पुत्र ननुआ, 7—सरदारी, पुत्र श्री गरीब खां, 8—नन्ने खां, पुत्र यासीन खां, 9—इसमायल खां, पुत्र नन्नू, 10—हशमुद्दीन, पुत्र जमालुद्दीन, 11—रुस्तम, पुत्र चांद खां, 12—रशीद, पुत्र रुस्तम, 13—अल्लामहर, पुत्र जमालुद्दीन, 14—औसफ अली, पुत्र इसमायल, 15—इसलामुद्दीन, पुत्र शमसुद्दीन, 16—नन्नू खां, पुत्र अल्लादीन, 17—शेर मोहम्मद, पुत्र अल्लादीन, 18—राजमियां, पुत्र नन्नूआ, 19—बीरबल, पुत्र धूरे, 20—राम स्वरूप, पुत्र धूरे, 21—ढोलू, पुत्र तोला, 22—तारा, पुत्र सरमन, 23—खचेरा, पुत्र भूरा, 24—गंगा, पुत्र मंसूरी, 25—चुन्ना, पुत्र मथुरी, 26—भीमा, पुत्र झण्डू, 27—सिलिया, पुत्र बिहारी, 28—दुर्गन, पुत्र टीका, 29—सुआ, पुत्र छुट्टा, 30—हीरा सिंह, पुत्र छिद्दू सिंह, 31—मोहन लाल, पुत्र छिद्दू सिंह, 32—चन्द्र पाल, पुत्र मोहन लाल, 33—तेज सिंह, पुत्र छीता, 34—छत्तर पाल, पुत्र तेज सिंह, 35—बाबू सिंह, पुत्र करन सिंह, 36—फतेह सिंह, पुत्र करन सिंह, 37—श्रीमती शांती देवी, पत्नी श्री बाबू सिंह, 39—किशन लाल, पुत्र श्री टोडी सिंह, 39—नेत्र पाल सिंह, पुत्र टोडी सिंह, 40—इंदरा, पुत्र गुपाली, 41—नेक्सा, पुत्र चुन्ना, 42—महेन्द्रपाल सिंह, पुत्र मुंशी सिंह, 43—नेत्र पाल सिंह, ओम पाल सिंह, पुत्रगण सूरज पाल सिंह, 44—राम चन्द्र, पुत्र मंशी सिंह, 45—अल्लादीन, पुत्र दीना।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 392 पर)

जी0 एम 0 एफ0 71–72	..	..	186–43
डब्लू ए0 फीस ..	..	..	0–50
			186–93

ज0 वि0 आकार–पत्र 70
(नियम 235 देखिये)
गिरफ्तारी का अधिपत्र

(देखिये धारा 281, उ0 प्र0 ज0 वि0 और भूमि व्यवस्था, ऐक्ट 1950 ई0)

सेवा में,

श्री मंसूर खा पुत्र सुबराती खां

(अधिपत्र निष्पादन करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद नाम)

निवासी गनियावाली, तहसील अतरौला, रु0 186.93 (एक सौ छियासी रुपये तिरानबे पैसे) की मालगुजारी का बाकीदार है। इसलिये एतद्द्वारा आप को यह निदेश किया जाता है कि मंसूर खां को गिरफ्तार करें और उसे इस न्याययालय में दिनांक 25–2–72 को या उससे पूर्व उपस्थित करें।

दिनांक 23–2–72

ह0 अपठनीय
हस्ताक्षर
वासिल बाकी नवीस

ह0 अपठनीय,
कलेक्टर या असिस्टेन्ट कलेक्टर।
मुहर

उत्तर प्रदेश संसद

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 393 पर)

प्रत्यावर्तन के कारण

1—श्री श्याम बिहारी नाथ—इन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप वरिष्ठ लिपिक के पद से जिस पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे, कनिष्ठ लिपिक के पद (उनका मूल पद) पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। बाद में वह पुनः प्रोन्नत कर दिये गये हैं।

2—श्री चन्द्रशेखर भट्ट—इनको अल्पकालिक रिक्ति में प्रोन्नत किया गया था। उक्त रिक्ति की समाप्ति पर इन्हें मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

3—श्री सुरेन्द्रसिंह विष्ठ—इनकी प्रोन्नति अनुभाग अधिकारी के पद पर की गई थी। जिसके विरुद्ध एक अन्य कर्मचारी द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया था और उस पर विचार करके उसे स्वीकृत किया गया फलस्वरूप इन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

4—श्री नकछेद प्रसाद—इनकी प्रोन्नति उपलेखक–प्रालेखक पद पर अल्पकालिक रिक्ति में की गई थी जिसके समाप्त होने पर इन्हें मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

5—श्री के0डी0 सिंह—यह अस्थायी आधार पर प्रोन्नत हुए थे और बाद में प्रशासनिक कारणों से मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिये गये।

6—श्री शिव शंकर लाल—इनकी प्रन्नति फैजाबाद में स्थित एक विभागीय संस्था में की गई थी। उक्त पद से वापस आने के लिये इनके ही प्रार्थना-पत्र पर इन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 394 पर)

जिला शाहजहांपुर में 1970 में सेवा निवृत लेखपालों को पेन्शन आदि के भुगतान के बारे में विवरण

क्रमांक	तहसील	नाम लेखपाल	सेवा निवृत्ति की तिथि	अवशेष वेतन	ग्रेच्युटी का भुगतान	पेंशन का भुगतान	जी0पी0 फंड का भुगतान	भुगतान न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सदर	हरनन्दन सहाय	10-1-70	बाकी नहीं	हो गया	हो गया	नहीं	महालेखाकार से आदेश प्रतीक्षित है।
2	पुरायां	बृज बिहारी लाल	7-9-70	"	"	"	"	"
3	"	राम बिहारी ..	20-1-70	"	नहीं	नहीं	"	"
4	"	मुकुट बिहारी लाल	7-8-70	"	"	"	"	"
5	"	धनपत राय ..	30-11-70	"	"	"	"	"
6	"	जगदम्बा सहाय	4-12-70	"	"	"		फंड न कटने के कारण देय नहीं है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 402 पर)

वर्ष	ग्राम बरहन, तहसील ऐतमादपुर, जिला आगरा में वर्ष 1970–71 और 1971–72 में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से अधिकार किये जाने के मामले में किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध 115–सी की कार्यवाही की गई	उक्त ग्राम को कितनी अनधिकृत भूमि के लिये किस-किस पर कितना-कितना अर्थ-दन्ड कब-कब किया गया		
		रकबा	धनराशि	तारीख
1	2	3	4	5
वर्ष			रु0	
1970–71	भीकम ..	.. 0–1–0	2.00	30–6–71
	राम खिलाड़ी ..	.. 0–1–0	21.00	29–7–71
	केदार नाथ ..	.. 0–1–0	2.00	24–6–71
	सरनाम सिंह ..	.. 0–1–0	4.00	14–7–71
	भगवती प्रसाद	.. 0–5–12	9.00	14– 7–71
	भागीरथ ..	.. 0–2–0	6.00	14–7–71
	भजन लाल आदि	.. 0–6–9	7.90	27–5–71
	राम आदि	.. 0–10–18	12.30	27–5–71
	नैकसे ..	.. 0–13–12	9.00	23–6–71
	पूरन ..	.. 0–4–17	5.00	17–6–71
	रमेश चन्द्र ..	.. 0–6–0	8.00	31–8–71
	कलियान ..	.. 0–2–0	2.45	27–5–71
	लाल सिंह ..	.. 0–2–0	2.45	7–5–71
	पन्ना लाल ..	.. 0–0–19	1.15	27–5–71
	कोमल सिंह ..	.. 0–1–0	2.00	19–7–71
	कोमल सिंह ..	.. 0–13–0	13.00	7–7–71
	चुन्नी ..	.. 0–5–0	4.00	17–6–71
	हेतराम ..	.. 1–9–0	22.00	27–6–71
	राम चरन ..	.. 0–10–0	21.00	27–6–71
	रोशनलाल ..	.. 0–3–13	7.00	7–7–71
	राजपाल सिंह ..	.. 0–13–0	16.00	24–6–71
	राम प्रसाद ..	.. 1–15–0	33.00	30–7–71
	जोध सिंह ..	.. 0–12–13	7.00	24–6–71
	राम स्वरूप ..	.. 3–5–0	61.00	17–6–71
	लेखराज ..	.. 0–15–0	14.05	27–5–71

मुख्य पुस्तकालय विधान सभा

1	2		3	4	5
1970–71	सुनहरी लाल	..	1–7–0	30.40	27–5–71
	केदारनाथ	..	0–10–0	60.00	17–9–71
	पूरन सिंह	..	0–0–11	5.00	27–9–71
	छोटे	..	0–1–7	10'00	25 8–71
	नरू राम	..	0–1–7	10.00	25.8–71
	जवाहर प्रसाद	..	0–3–0	18.00	30—971
	नौरंगी लाल	..	0–2–0	3.00	7–7–71
	भगवती प्रसाद	..	0–5	4.00	,,
	रामगाबू	..	0–2–18	7.00	,,
	भजनलाल आदि	..	0–17–0	37.00	17–6–71
	महराजसिंह	..	0–2–0	3.00	14–7–71
योग वर्ष 1970–71		.	16–12–16	177.–70	
	अनार देवी	..	0–1	12.00	29–11–71
	सत्या प्रकाश	..	0–12	10.00	30–10–71
	केदार नाथ	..	0–10–12	88.00	30–10–71
	ज्वाला प्रसाद	..	0–0–5	22.00	13–10–71
	भरत सिंह	.	0–3–10	21.00	29–11–71
	चुन्नीलाल	..	0–1–0	9.00	,,
	शंकर लाल आदि	..	0–1–10	14.00	,,
	हरनरायन	..	0–0–10	3.00	,,
	उदयबीर सिंह	..	0–0–10	3.00	,,
	गौतम सिंह	..	0–0–10	3.00	,,
	फूल सिंह	..	0–1–0	8.00	,,
	अमीरी सिंह	..	0–1–10	12.00	,,
	देवकी आदि	..	0–6–8	12.99	,,
	जयन्ती प्रसाद	..	0–8–8	24.00	31–12–71
	नंद राम	..	0–2–0	7.00	21–2–72
योग, वर्ष 1971–72		..	1–15–13	229.00	

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 403 पर)

परिशिष्ट (अ)

गोंडा (बड़गांव) सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0 के उन सदस्यों की सूची जिन्हें वर्ष 1969–70 में ऋण दिया गया है।

क्रम-संख्या	नाम सदस्य	वर्ष में दिया गया ऋण
1	2	3
		रु0
1	श्री जटा शंकर तिवारी, पुत्र श्री लक्ष्मी नरायन तिवारी, ग्राम खेरा	370.00
2	श्री बंशगोपाल तिवारी, पुत्र श्री बिहारी तिवारी, बड़गांव ..	1,595.00
3	श्री बासदेव, पुत्र श्री राम रूप, निवासी चन्दवतपुर ..	600.00
4	श्री छेदी पुत्र, निरहू	1,880.00
5	श्री रामसुख, पुत्र जै राम, निवासी उसरैना	5,130.00
6	श्री शिवराज भारती, पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी, ठकुरापुर ..	6,980.00
7	श्री शोभा राम, पुत्र राम केलाब, निवासी पैड़ी बरा ..	14,900.00
8	श्री राज बहादुर, पुत्र जयजयराम, निवासी पैड़ी बरा ..	4,860.00
9	श्री सत्य देव, पुत्र राम सहाय, निवासी पैड़ी बरा ..	4,875.00
10	श्री हजारी लाल, पुत्र सूर्य, निवासी ठकुरापुर	1,600.00
11	श्री लखन लाल पुत्र राज बहादुर, निवासी कौडिया ..	5,000.00
12	श्री लक्ष्मी चन्द, पुत्र श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, राधा कुंड ..	430.00
13	श्री लाल बहादुर पुत्र, सन्तु, निवासी लब्बाटपरा	210.00
14	श्री शीतला प्रसाद, पुत्र श्याम सुन्दर, निवासी बरियारपुरवा ..	402.00
15	श्रीमती शान्ति देवी, धर्मपत्नी श्री आनन्द प्रकाश, राधाकुण्ड ..	2,400.00
16	श्री दुलारे, पुत्र नाथ, निवासी पूरे पाठक	975.00
17	श्री सूर्य प्रसाद, पुत्र श्री गणेश, निवासी भरथा ..	4,050.00
18	श्री औतार सिंह, पुत्र सरदार नरायन सिंह, निवासी सालपुर घौताल	6,831.00
19	श्री मुक्तिनाथ, पुत्र श्री गौली राम, निवासी बरियारपुरा ..	330.00
20	श्री हीरा लाल, पुत्र श्री रुद्र प्रसाद, निवासी पेड़ीवरा ..	4,940.00
	योग ..	68,358.00

विधान सभा

परिशिष्ट (ब)

गोण्डा (बड़गांव) सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0 के उन सदस्यों की सूची जिन्हें वर्ष 1970–71 में ऋण दिया गया है ।

क्रम सं0	नाम सदस्य	वर्ष में दिया गया ऋण
		रु0
1	श्री जटा शंकर तिवारी पुत्र, श्री लक्ष्मी नारायन तिवारी, निवासी खेरा	60.00
2	श्री राम कैलाश, पुत्र श्री जैजैराम, निवासी पैड़ी बरा ..	3,300.00
3	श्री शोभाराम पुत्र राम कैलाश, निवासी पैडी बरा ..	8,200.00
4	श्री राम सुख पुत्र श्री जैजै राम, निवासी पैड़ी बरा ..	3,300.00
5	श्री राज किशोर मिश्र, पुत्र सुमेश्वर प्रसाद, निवासी मनोपुर जात ..	7,301.00
6	श्री करनल सिंह, पुत्र श्रीमती सिंह, निवासी इंटियाथोक ..	5,000.00
7	श्री राम चन्दर श्रीवास्तव, पुत्र श्री कालिका प्रसाद, निवासी बहलोलपुर, ।	3,620.00
8	श्री बासा राम, पुत्र चेला राम, निवासी बनकटवा ..	5,000.00
9	श्रीमती शान्ती देवी धर्मपत्नी आनन्द प्रकाश, राधा कुण्ड	700.00
10	श्री राम औतार पुत्र श्री सरदार नरायन सिंह, निवासी सालपुर धौताल	33,000.00
11	श्री गुल्ल उर्फ महाराजदीन पुत्र बलेसर, निवासी दुबावल ..	490.00
12	श्री राम निवास, पुत्र श्री ईश्वर दीन, निवासी रुपईडीह ..	700.00
13	श्री सुधीर प्रकाश, पुत्र श्री आनन्द प्रकाश, राधाकुन्ड ..	2,585.00
14	श्री सुखदेव मिश्र, पुत्र श्री द्वारिका मिश्र, निवासी पूरेदयाल	535.00
15	श्री कमलाधर द्विवेदी, पुत्र केदार नाथ , निवासी माझा तरहर .	3,605.00
16	श्रीदीप नरायन पुत्र बन चेला, स्वयंम्बर बन, श्रीनगर ..	5,000.00
17	श्री राम अचल दूबे पुत्र राजित राम दूबे, निवासी बरई पीरा .	5,000.00
18	श्री हरि प्रसाद सिंह, पुत्र मरियाद सिंह , निवासी डुमरी कला ..	5,000.00
19	श्री राम समुझ पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद, मेलपुर ..	800.00
20	श्री चन्द्र भान, पुत्र राम छत्तर शुक्ल	330.00
	योग ..	94,226.00

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 403 पर)

प्रश्न 8 के सम्बन्ध में बन्धक के रूप में रक्खी हुई वस्तु की सूचना

वस्तु			मात्रा			
1—आलू	..	..	1,898	कुन्टल	88	किलो
2—गेहूं	..	..	18	कुन्टल	58	किलो
3—चावल ..	..	..	4	कुन्टल	75	किलो

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 405 पर) ।

संलग्नक (क)

शासनादेश संख्या 939/छब्बीस—943—65, दिनांक 16 फरवरी, 1972 द्वारा पुनर्गठित जिला हरिजन समाज कल्याण समिति के सदस्यों की सूची।

1—जिलाधिकारी	पदेन अध्यक्ष
2—अध्यक्ष जिला परिषद	पदेन उपाध्यक्ष
3—अतिरिक्त जिलाधीश (जियोजन) जिला नियोजन अधिकारी	पदेन सदस्य
4—जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
5—जिले के समस्त संसद सदस्य सदस्य .. .. विधान सभा तथा सदस्य विधान परिषद	सदस्य
6—तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत जो ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण में विशेष रुचि हो तथा जिले के निवासी हो	सदस्य
7—जिले में तैनात एक हरिजन डिप्टी कलेक्टर जिसे जिलाधिकारी नामित करें अथवा जिले में यदि कोई ऐसा अधिकारी है नहीं तो कोई भी डिप्टी कलेक्टर जिसे जिलाधिकारी मनोनीत करें	सदस्य/सचिव
8—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ..	सदस्य संयुक्त सचिव

जिला समिति की शिक्षा उप समिति

1—जिला विद्यालय निरीक्षक	अध्यक्ष
2—उप जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
3—जिला कमेटी के सचिव	सदस्य/सचिव
4—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/संयुक्त सचिव।

संलग्नक (ख)

शासनादेश संख्या 2057/छब्बीस—943—65, दिनांक 10 जनवरी, 1972 द्वारा पुनर्गठित जिला हरिजन समाज कल्याण समिति के सदस्यों की सूची।

1—जिला अधिकारी	..पदेन अध्यक्ष
2—राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	.. उपाध्यक्ष
3—अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन)/ जिला नियोजन अधिकारी	.. सदस्य
—जिला विद्यालय निरीक्षक	.. सदस्य
5—जिले के समस्त संसद सदस्य, सदस्य विधान सभा तथा विधान परिषद	.. सदस्य
6—यदि क्र0सं0—5 में जिले की विमुक्त जातियों, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के कोई विधायक सदस्य न हों तो इन जातियों में एक सदस्य को राज्य सरकार मनोनीत करेगी। ..	सदस्य
7—राज्य सरकार द्वारा मनोनीत तीन सदस्य	सदस्य
8—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ..	.. सदस्य/सचिव

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0—137 एल0 ए0—1973—835।